पंचम माला, खंड 23, अंक 4
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 4

गुरुवार, 22 फरवरी, 1973/3 फाल्गुन, 1894 (शक)
Thursday, February 22, 1973/Phalguna 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : 2 रुपये
Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/ अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, 22 फरवरी, 1973/3 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 4, February 22, 1973/Phalguna 3, 1894 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—18
	ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
41.	प्रधान मंत्री को पाकिस्तान आने का निमंत्रण	Invitation to Prime Minister to Visit Pakistan ...	1—4
42.	भविष्य-निधि कर्मचारी संघ द्वारा माँग दिवस का मनाया जाना	Demands day observed by PFR-Employees Union ...	4—6
43.	पाकिस्तान को चीनी शस्त्र सहायता	Chinese Arms Aid to Pakistan ...	6—8
45.	लाओस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा	Visit by Prime Minister of Laos ...	8—9
46.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र और भारत द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र को खाली किया जाना	Indian Territory vacated by Pakistan and Pakistan Territory vacated by India...	9—14
47.	आधुनिकतम युद्ध टैंकों का निर्माण करने सम्बन्धी योजना	Plan to produce sophisticated Battle Tanks ...	15
49.	तापीय बिजलीघरों के लिए कोयला	Coal for Thermal Power Stations ...	15—18

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		18—136
44. 1971 के युद्ध में पशुओं की क्षति के लिये जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुआवजे की अदायगी	Payment of compensation to people of Jammu and Kashmir for loss of their cattle during 1971 war ...	18—20
48. भारत में पाक-युद्धबन्दियों को रिहा न किये जाने के बारे में पाकिस्तान का आरोप	Pak allegations *re* : non release of P.O.Ws. in India ...	20
50. विदेशों में विक्रय कार्य के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एकक	HMT Unit for Overseas sales ...	20—21
51. राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers Conference ...	21
52. प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा पनडुब्बी का पता लगाने वाले नये यंत्र का विकास	Developing of a New Submarine Detector by Defence Research and Development Organisation ...	21
53. बोनस का भुगतान	Payment of Bonus ...	21—22
54. औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Industrial Accidents ...	22
55. एल्यूमिनियम उद्योगों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Aluminium Industries ...	23
56. बंगला देश के शरणार्थियों का बंगला देश से लौट आना	Return of Bangladesh Refugees back from Bangladesh ...	23
57. दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीकी उपस्थिति के बारे में थाइलैंड और सिंगापुर की कथित मांग	Alleged Plea by Thailand and Singapore for American Presence in South East Asia ...	23—24
58. कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on ESI Scheme ...	24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं S. Q. Nos.		
59. कोयला खान मजदूरों की भविष्य-निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund of Coal-mine Employers ...	24—25
60. प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव का तेहरान का दौरा	Visit to Teheran by Principal Secretary to Prime Minister	25
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
402. सरकारी कर्मचारियों को कारों तथा स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters to Government Employees ...	25—26
403. छोटे इस्पात कारखाने (मिनी स्टील प्लांट्स)	Mini Steel Plants ...	26
404. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा आयुध कारखानों में स्ट्राइक बैलेट	Strike Ballot in Ordnance Factories By All India Defence Workers Union ...	27
405. जबलपुर के आयुध कारखानों में आग लगाने की घटना	Fire accident in Ordnance Factories of Jabalpur ...	27
406. गणतंत्र दिवस समापन समारोह (बीटिंग रिट्रीट) के टिकटों की बिक्री	Sale of Tickets of Beating Retreat ...	28
407. मजदूर संघों द्वारा स्ट्राइक बैलट	Strike Ballot by Trad Unions ...	28—29
408. उत्तर वियतनाम में युद्धबन्दी की घोषणा	Declaration of cease fire in North Vietnam ...	29
409. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Public and Private Sector Steel Plants ...	29
410. मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences for Coal Mining Unit in Madhya Pradesh ...	29—30
411. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक अधिकारी का एक ही स्थान पर रहना	Stay of an Officer in EPF Organisation at one place ...	30—31
412. युद्ध-पीड़ित कृषकों को मुआवजा	Compensation to Agriculturist War Victims ...	31

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

413.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, त्रिवेन्द्रम के लिए कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर	Office Building and Staff Quarters for RPFC Trivandrum ..	31—32
415.	श्रमिकों को उपदान की अदायगी के लिए राज्यों द्वारा कानून बनाया जाना	Enactment of Law by States for Payment of Gratuity to Workers ...	32
416.	कुवैत से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from Kuwait ...	33
417.	कारों तथा बसों का उत्पादन	Production of Cars and Buses ...	33—34
418.	किरकी स्थित मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज में पैट्रोल के बिना बैटरी से चलने वाली कार का विकास	Development of Petrolless and Battery Driven Car at C.M.E. Kirkee ...	34
419.	व्यापारिक मोटरगड़ियों की कमी	Shortage of Commercial Vehicles ...	34—35
420.	सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का कारखाना	Scooter plant in Public Sector ...	35
421.	फियेट कार के मूल्य में अन्तर के भुगतान के बारे में सरकार से परामर्श	Advice sought from Government for Payment of Difference in price of Fiat Car ...	35
422.	दोषयुक्त योजना के कारण इस्पात मिलों में उत्पादन में कमी	Low production at Steel Mills due to Faulty Planning ...	35—36
423.	संसद् सदस्यों का शिष्टमण्डल	Delegation of Members of Parliament ...	36
424.	मारुति लिमिटेड को दिये गये आशय-पत्र की अवधि बढ़ाना	Extension of letter of Intent Issued to Maruti Ltd. ...	36—37
425.	प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर के विरुद्ध जांच	Enquiry against Praja Sahakari Udyog, Bharatpur ...	37
426.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज, हरिद्वार द्वारा प्रयोग में लाई गई भूमि	Land utilised by Bharat Heavy Electricals, Hardwar ...	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
427. मशीनी औजारों के डिजाइन और उपयोग में सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Safety in Design and Utilisation of Machine Tools ...	38
429. उदयपुर जिंक लिमिटेड, राजस्थान से विषैली गैस	Poisonous Gases from Udaipur Zinc Limited, Rajasthan ...	38—39
430. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर को हुई हानि	Loss incurred by HMT Bangalore ...	39
431. कारों तथा स्कूटरों के निर्माण के लिए आवेदन पत्र	Applications for manufacture of Cars and Scooters ...	39—42
432. एम्बेसेडर तथा प्रिमीयर कारों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Ambassador and Premier Cars ...	42
433. कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने की उत्पादन समय सूची	Production Schedule of Korba Aluminium Plant ...	42
434. मारुति लिमिटेड द्वारा निर्मित छोटी कार	Small Car manufactured by Maruti Ltd. ...	42—4
435. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील आथेरिटी आफ इंडिया लिमिटेड) का गठन	Composition of SAIL ..	43—443
436. संवेदी रक्षा सामग्री का निर्यात	Export of Sensitive Defence material ..	44
437. भारतीय सेना द्वारा अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्र को खाली करने से पूर्व वहां कथित बरबादी के बारे में पाकिस्तान का प्रचार	Pak propaganda alleging destruction in Pak areas by Indian forces before Vacation ...	44
438. समूचे भारत में समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed strike by Newspaper Employees all over India ...	45
439. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for expansion of TISCO	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
440. उड़ीसा में कोरापुट स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कारखाने में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets in HAL Factory at Koraput, Orissa ...	45—46
441. हड़तालों और तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध	Ban on Strikes and Lock outs ...	46
442. वियतनाम के बारे में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	Proposed International Conference on Vietnam ...	46—47
443. कोलार तथा रायचूर खानों से निकाले गये खनिज उत्पाद	Minerals from Kolar and Raichur Mines ...	47—48
445. वायु सेना में अधिकतम जन-शक्ति सीमा का लागू किया जाना	Imposition of Man Power Ceiling in Air Force ...	48—49
446 शिमला समझौते के सम्बन्ध में राष्ट्रपति भुट्टो को पत्र	Communication to President Bhutto regarding Simla Agreement ...	49
447. पेरू से आये एक सद्भावना मिशन का दौरा	Visit by a Goodwill Mission from Peru...	49
448. भारतीय मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा प्रयुक्त कथित आपत्तिजनक भाषा	Alleged Objectionable language used by President Bhutto against Indian Minister ...	50
449. कोयला खान कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token Strike by Coal Mine Workers ...	50
450. मद्रास पत्तन में कार्य-दर योजनाओं के बारे में श्री राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन	Report of Sriramamurty Committee on Piece Rate Schemes in Madras Port ...	50—51
451. उत्तर प्रदेश के शिविर से युद्धबन्दियों का फरार होना	P. O, Ws. Escape from a camp of Uttar Pradesh ...	51
452. एशियाई अफ्रीकी विधिक सलाहकार समिति	Asian African Legal Consultative Committee ...	51—52
453. भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों के निर्माण सम्बन्धी योजना	Plan to Manufacture Warships for Indian Navy ...	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
454.	राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान	National Labour Institute ...	52
455.	तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई के बारे में समिति	Committee on Supply of Coal to Thermal Power Stations ...	53—54
456.	इलैक्ट्रानिक्स और राडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा शत्रु की तोपों का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण का डिजाइन तैयार करना	Designing of an Electronic Equipment to obtain Location of Enemy Guns by Electronics and Radar Development Establishment ...	54—55
457.	इलैक्ट्रोनिक्स राडार डेवलपमेन्ट एस्टैब्लिशमैन्ट, बंगलौर द्वारा ट्रांजिस्टरा-इज्ड जाइरो एम्पलीफायर का डिजाइन तैयार किया जाना	Designing of a Transistorised Gyro Amplifer by Electronics Radar Development Establishment Bangalore...	55
458.	आर्थिक विकास में बोकारो इस्पात संयंत्र का अंशदान	Contribution of Bokaro Steel for Economic Development ...	55—56
460.	रूसी विश्व कोष में भारत की उत्तरी सीमाओं का न दिखाया जाना	Ommission of India's Northern Borders in Great Soviet Encyclopaedia ...	56
461.	दीवानी मुकदमों में डिग्री होने के परिणामस्वरूप भुगतान की गई राशि	Amount paid on account of decrees in Civil Suits ...	56—57
462.	सेना द्वारा शान्ति के दौरान किया गया कार्य	Work done by Army personnel during peace ...	57
463.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Indian Missions abroad,..	57—58
464.	भूटान, सिक्किम और नेपाल को सहायता	Aid to Bhutan, Sikkim and Nepal ...	58
465.	दुर्घटनाओं के कारण जन-दिवसों की हानि	Man Days Lost due to Accidents ...	58
466.	हड़तालों, कराखानों के बन्द होने तथा तालाबन्दी से 1971-72 में जनदिवसों की हानि	Man Days Lost due to Strikes, Closures and Lock outs in 1971-72 ...	59

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

467.	भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकों की स्वदेश वापसी	Repatriation of Civilians Between India and Pakistan ...	59—60
468.	भारतीयों द्वारा उगांडा में छोड़ी गई सम्पत्ति की पूरी कीमत	Full price of properties left behind in Uganda by Indians ...	60
469.	कर्मचारियों को उपदान की अदायगी न करना	Non payment of gratuity to workers ...	60
470.	विदेश में प्रचार	External Publicity ...	60—61
471.	कोयला खान श्रमिकों को रोजगार देने में कदाचार	Malpractices in employing coal mines workers ...	61
472.	पाकिस्तान में युद्धबन्दियों के बारे में जानकारी	Information regarding Indian Prisoners of War in Pakistan Custody ...	61—62
473.	इस्पात के उत्पादन में स्थिरता	Stagnation in Steel Production ...	62—63
475.	श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वास के लिए राज्यों को सहायता	Help to States for Rehabilitation of Sri Lanka Repatriates ...	64
476.	विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की कमी	Reduction of Staff in Indian Missions abroad ...	64—65
477.	सलेम इस्पात संयंत्र की प्रगति	Progress on Salem Steel Plant ...	65—66
478.	1972-73 में हड़तालों, कारखानों के बन्द होने, तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों के कारण जन-दिवस की हानि	Man-days lost due to Strikes, Closures, Lock outs and Lay Offs in 1972-73 ...	66—67
479.	धनबाद कोककारी कोयला खानों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य-निधि की हानि	Loss of E. P. F. to workers in Dhanbad Coking Coal Mines ...	68
480.	विदेश मंत्री द्वारा जापान की यात्रा	Visit to Japan by Minister of External Affairs ...	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
481. सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त कमान का गठन	Setting up of a Joint Command for Armed Forces ...	68—68
482. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड	Third Wage Board for Working Journalists ...	69
484. पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों का पंजीकरण	Registration of Trade Unions in West Bengal ...	69
485. पाकिस्तान के प्रचार तन्त्र द्वारा रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से अनुचित लाभ उठाया जाना	Exploitation of I. C. R. C. by Pakistan Propaganda Machinery ...	70
486. भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आये लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of People Migrated to India during Indo-Pak War ...	70—71
487. औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations ...	71
488. लन्दन स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के लिए नया निवास गृह	New House for Deputy High Commissioner of India in London ...	72
489. युद्धबन्दियों पर व्यय	Expenditure on P.O.Ws ...	72—73
490. कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of E. P. F. ...	73—74
491. त्रिपुरा में चाय बागानों के श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of Tea Garden Labourers in Tripura ...	74
492. लौह अयस्क बोर्ड	Iron Ore Board ...	75—76
493. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Triveni Structurals Limited ...	77
495. जेनेवा समझौते के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियंत्रण आयोग का भविष्य	Future of International Commission for Supervision and Control set up under Geneva Agreement ...	77—78
496. भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव की पेशकश	U. N. Secretary General's Offer for restoring Normalcy in Indian Sub-continent ...	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
497. गुजरात में लघु इस्पात कारखाना	Mini Steel Plant in Gujarat ...	78
498. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध	U. N. Economic Sanction Imposed on Rhodesia ...	78—79
500. भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant ...	79
501. आर्थिक संकटग्रस्त और बन्द पड़ी कोयला खानें	Sick and Closed Colleries ...	80
502. कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Coal Wage Board ...	80
503. इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of production of Steel ...	81
505. गत भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के हथियारों और उपकरणों की हुई हानि को पूरा करना	Replenishing of losses of Indian arms and equipment during last Indo-Pak. War ...	81
506. गणतन्त्र दिवस परेड के व्यय में वृद्धि	Increase in the Expenditure of Republic Day Parade ...	82
507. शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed ...	82—84
508. चीन-भारत सीमा विवाद के सम्बन्ध में रूसी विद्वानों द्वारा भारत का समर्थन	Russian Scholar's support to India on Sino Indian border disputes ...	84—85
509. पाकिस्तान के साथ संचार, व्यापार और यात्रा सुविधाओं को फिर से चालू करना	Restoration of communications, Trade and travel facilities with Pakistan ...	85
510. भारत चीन सम्बन्ध	Sino Indian Relations ...	85—86
511. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission regarding EPF Organisation ...	86
512. रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता	Percentage of S.C. and S.T. in Defence Establishments ...	86—87

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

513. वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश न किये जाने के कारण रक्षा कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among defence employees due to non-submission of Pay Commission Report ...	87
514. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देना	Bonus to Central Government Employees ...	87
515. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता	Recognition of PRG of South Vietnam ...	87—88
516. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परामर्शदाता के रूप में जापान की मैसर्स निपॉन स्टील की नियुक्ति	Appointment of M/s Nippon Steel of Japan as Consultants for TISCO ...	88—89
517. प्रिंस सिहानुक के कम्बोदियाई शासन को मान्यता देने का प्रस्ताव	Proposal to recognise Cambodian Regime headed by Prince Sihanouk ...	89
518. भारतीय सेना द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों की पाकिस्तान में रह रहे विदेशी राजनियकों द्वारा यात्रा	Visit by Foreign Diplomats stationed in Pakistan to areas vacated by Indian Troops ...	89
519. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दोषपूर्ण गणना की जाँच	Probe into faulty calculation of Consumer Price Index ...	90
520. पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों की बंगला देश को वापसी	Repatriation of Bengalis in Pakistan to Bangladesh ...	90
521. बोकारो तथा कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्रों के लिए सोवियत इस्पात सम्बन्धी समाचार	News report regarding Soviet Steel for Bokaro and Korba Aluminium ...	90—91
522. एशिया में अमरीकी सेना की उपस्थिति के लिए चीन का अनुरोध	Chinese plea for US Army presence in Asia ...	91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
523. सरकार द्वारा केदला और झारखंड कोयला खानों का नियंत्रण अपने हाथ में लिये जाने के बाद उनका बन्द हो जाना	Closure of Kedla and Jharkhand Coal Mines after take over by Government ...	92
524. पंचवर्षीय योजना में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्मी दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन	Report of Task Force for Setting up new Steel Plants during fifth Plan ...	92
525. खनिज अन्वेषण निगम	Mineral Exploration Corporation	93
526. कर्मचारी भविष्य-निधि के सम्बन्ध में बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from employees of Birla Cotton Spinning and Weaving Mills regarding E.P.F- ...	93
527. कोरबा (मध्य प्रदेश) में कोयला खानें कल्याण संगठन के अन्तर्गत अस्पताल का खोला जाना	Qpening of a Hospital in Korba, Madhya Pradesh under Coal Mines Welfare Organisations ...	94
528. जापान को कच्चे लोहे का निर्यात	Pig Iron Exports to Japan ...	94—95
529. खेती को एक उद्योग के रूप में मानना	Treatment of Agriculture as Industry ...	95
530. युद्धबन्दियों की स्वदेश वापसी	Repatriation of P.O,Ws. ...	95—96
532. बंगला देश के शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास	Rehabilitation of Bangladesh Refugees in India ...	96
533. पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण की सम्भावना	Possible attack on India by Pakistan ...	96—97
534. सीमा विवाद	Border Disputes ...	97
535. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant ...	97
536. लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में समाचार	News report regarding Mini Steel Plants...	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
537.	विदेशों के साथ शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की संधियाँ	Treaties of peace, Friendship and Co-operation with foreign countries ...	98
538.	विजयनगरम इस्पात संयंत्र का शीघ्र चालू किया जाना	Early Commissioning of Vijayanagaram Steel Plant ...	98—99
539.	भारतीय नौसेना से सेवा निवृत्त होने वाले नाविकों के पुनर्वास के लिए योजनाएँ	Schemes for resettlement of Sailors retiring from Indian Navy ...	99—100
540.	इस्पात संयंत्रों और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रशासकीय ढांचा	Administrative set up of Steel Plants and SAIL ...	100—101
541.	भारत में पाकिस्तान युद्ध-बन्दियों के साथ व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति की पक्षपातपूर्ण टिप्पणी	Biased Observations by ICRC about Treatment with Pak P. O. Ws in India ...	101
542.	युद्ध-पीड़ितों का सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्वास	Rehabilitation of War Victims in Border Areas ...	101—102
543.	शहीदों के बच्चों द्वारा सेवाओं और शैक्षणिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की सुविधाओं का उपयोग	Utilisation of reservation in Services and Admission to Educational Technical and Medical Insitutions by Children of Martyrs ...	102
544.	परमवीरचक्रम पुरस्कार विजेता	Param Vir Chakra Award Winners ...	102—105
545.	विक्टोरिया क्रॉस विजेता	Victoria Cross Award Winners ...	105—107
546.	उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करना	Implementation of ESIS in Orissa ...	107—108
547.	राउरकेला इस्पात कारखाने में कोयले की कमी	Shortage of Coal for Rourkela Steel Plant ...	108
548.	उड़ीसा में मलंगटोली लोहा खानों का कार्यकरण	Working of the Malangtoli Iron Mines in Orissa ...	108—109

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

549.	देश में तांबा अयस्क के भंडार	Copper Ore Resources in the Country ...	109—110
550.	दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots in Rehabilitation Colonies of Delhi ...	110
551.	जीवाणु शस्त्रों तथा विषैले शस्त्रों सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश	Signatories to Convention on Biological and Toxic Weapons ...	110
552.	विभिन्न शिविरों से पाकिस्तानी युद्धबन्दियों का भाग जाना	Pakistani POW's Escaped from Various Camps ...	110—111
553.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में तालाबन्दी	Lock out in Hindustan Cables Ltd. ...	111
554.	युगांडा से भारत वापस आए भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indian Repatriates from Uganda ...	111—112
555.	विदेशों में हिन्दी भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposals to set up Hindi Bhavans Abroad ...	112
556.	प्रिंस सुबन्नह् फूमा के दिल्ली के दौरे के दौरान चीनी प्रतिनिधियों से वार्ता	Discussions with Chinese Representative during Visit of Prince Souvanna Phouma to Delhi ...	112
557.	बीड़ी उद्योग में समान मजूरी	Uniform Wages in Beedi Industry ...	112—113
558.	भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों पर नियंत्रण	Control over Foreign Cultural Centres in India ...	113—114
559.	इस्पात का आयात	Import of Steel ...	114
560.	गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई झांकियों की नीलामी	Auction of Tableaux Displayed at Republic Day Parade ...	114—115
561.	1973-74 में इस्पात की कमी पूरी करने के लिए इस्पात का आयात	Import of Steel to meet its shortage in 1973-74 ...	115—116

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

562.	इटारसी स्थित सेन्ट्रल प्रूफ एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र से हटाए गए लोगों का पुनर्वास तथा उन्हें दिया गया मुआवजा	Rehabilitation and Compensation Provided to evacuated persons of Central Proof Establishment area at Itarsi ...	116—117
563.	केन्द्रीय शस्त्र परीक्षण संस्थान	Central Arms Proof Establishments ...	117—118
564.	उड़ीसा में नेवल ब्वायज सेन्टर के लिए स्थान	Site for Naval Boys Centre in Orissa ...	118
565.	राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant ...	118
566.	उड़ीसा की तीन खान परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन	Project reports of Three Mining Projects in Orissa ...	119
567.	मेजर अनिल परब की मृत्यु	Death of Major Anil Parab ...	119—120
568.	मारे गये सैनिकों की विधवाओं के साथ-साथ उनकी माताओं को मुआवजा दिया जाना	Compensation to Mothers of killed Army Personnel along with Widows ...	120
569.	औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधान	Legislation on Industrial Relations ...	120—121
570.	भारत द्वारा सोवियत संघ की पनडुब्बियों की खरीद	Purchase of Submarines from U.S.S.R. by India ...	121
571.	राष्ट्रीयकृत और सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों के प्रबन्धक मंडल में कर्मचारियों का सम्मिलित किया जाना	Workers participation in Management of Nationalised and Public Sector Institutions ...	121—122
572.	त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों द्वारा किये गये दावों के अनिर्णीत मामले	Pending Cases of Claims of People of Border Areas of Tripura ...	122
574.	त्रिपुरा में श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि का कार्यालय	Employees Provident Fund Office for Workers in Tripura ...	122—123

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

575.	सैनिक स्कूलों में भरती के इच्छुक छात्रों को नडियाड में भरती से पूर्व प्रशिक्षण देना	Pre-admission training for Sainik School Aspirants at Nadiad ...	123
576.	कच्छ के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey for Mineral Resources of Kutch ...	123—124
577.	युद्ध-पीड़ितों को अनुग्रहात अनुदान की राशि में वृद्धि	Enhancement of Ex-gratia Grant to War Victims ...	124
578.	स्वतंत्रता दिवस समारोह पर व्यय	Expenditure on Independence Day Celebrations ...	124
579.	पदोन्नत किये जाने वाले और सीधे भर्ती किये जाने वालों में पदोन्नति का अनुपात	Ratio of Promotion between Promotees and Direct Recruits ...	125—126
580.	अफसरों तथा जवानों के लिए एक मैस	Common Mess for Officers and Jawans ...	126
581.	भटिंडा में छावनी के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Cantonment in Bhatinda ...	126—127
582.	सरकारी उपक्रमों में इस्पात और लोहे का उत्पादन	Production of Steel and Iron by Public Undertakings ...	127—128
583.	विदेशों में बसे हुए भारतीयों द्वारा दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए अनुरोध	Request for Dual Citizenship from Indians Abroad ...	128—129
584.	पाकिस्तान द्वारा खाली किये गये क्षेत्र में विकास कार्य	Improvement done in the Territory Vacated by Pakistan ...	129—130
586.	भारतीय वायु सेना को दिए गये भारत निर्मित मिग विमान	Indian made MIG provided to Indian Air Force ...	130
587.	गैर सरकारी व्यापार-गृहों द्वारा छोटे शस्त्रों के निर्माण के लिये लाइसेंस	Licences to Private Houses for Manufacturing of Small Arms ...	130
588.	भारत में बंद युद्ध-बन्दियों की रिहाई के लिये पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का प्रयत्न	Pak move to mobilise international opinion for release of P.O.Ws. in India ...	131

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

589.	भारतीय वायु सेना के पुराने वायुयानों को आधुनिक वायुयानों से बदलना	Replacement of old IAF Planes with Modern Aircraft ...	131—132
590.	वियतनाम में तीन सरकारों के साथ सम्बन्धों की स्थापना	Establishment of relations with three Regimes in Vietnam ...	132
591.	बोकारो इस्पात संयंत्र का 10 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Plant to 10 Million Tonnes Capacity ...	132—133
592.	छम्ब क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाना	Rehabilitation of Displaced Persons from Chhamb area in J. & K. ...	133
593.	गणतंत्र दिवस परेड के टिकटों की बिक्री	Sale of Republic Day Parade Tickets	133
594.	पाकिस्तान के संविधान में बंगलादेश को पाकिस्तान का सूबा दिखाया जाना	Bangladesh shown as Pakistan's Province in Constitution of Pakistan ...	133—134
595.	भारतीय सेनाओं की वापसी के पश्चात् खाली किए गए क्षेत्रों को फिर से आजाद किया जाना	Rehabilitated AreasA fter Withdrawl ...	134
596.	हिन्दालको को सरकारी अधिकार में लिया जाना	Taking over of HINDALCO	134
597.	भारतीय वायुसेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात	Unauthorised Imports by Indian Air Force Officers. ...	134—135
598.	न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर गोलियां चलाया जाना	Bullet-fires at the Indian Consulate in New York ..	135—136
599.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी	Industrial Relations Machinery in Public Sector Undertakings ...	136
600.	भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ बातचीत	Talks with Soviet Union for expansion of Bhilai and Bokaro Steel Plants ...	136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
अविलम्बनीय-लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	137—149
ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण के बारे में समाचार	Reported attack by Pakistani Gunmen on the Indian High Commission in U. K. ...	137—138
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	138—139
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh ...	139—141
सदस्य का निलम्बन (श्री ज्योतिर्मय बसु)	Suspension of Member (Shri Jyotirmoy Bosu) ...	141—144
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना (श्री ज्योतिर्मय बसु)	Termination of suspension of Member ... (Shri Jyotirmoy Bosu)	144—145
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	145—147
लोक-लेखा समिति 64वां प्रतिवेदन	Public Account Committee ... Sixty Fourth Report	147
रेल अभिसमय समिति दूसरा प्रतिवेदन	Railway Convention Committee ... Second Report	147
विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill ...	147—148
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना	Extention of Time for Presentation of Report of Joint Committee	
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना	Companies (Amendment) Bill—Extention of Time for Presentation of Report of Joint Committee ...	148—149
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address ...	149—160
श्री जांबुवंत धोते	Shri Jambuwant Dhote ...	149—150
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ...	150—152
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ...	152—153

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S· Q. Nos.		
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	... 153—154
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	... 154—156
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J.Rameshwar Rao	... 156—157
श्री पी० के० देव	Shri P.K.Deo	... 157—158
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	... 158—160

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 22 फरवरी, 1973/3 फाल्गुन, 1894 (शक)

Thursday, February 22, 1973/Phalguna 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रधान मंत्री को पाकिस्तान जाने का निमंत्रण

*41. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान आने का निमन्त्रण दिया हैं;

(ख) क्या निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यात्रा की सम्भावित तिथि क्या है तथा प्रस्तावित भेंट में किन विषयों पर चर्चा किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री भागवत झा आजाद : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि श्री भुट्टो ने, न केवल समाचार पत्रों के माध्यम से बल्कि कई सभाओं में स्वयं यह कहा है कि मैंने भारत के प्रधान मंत्री को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है । यह समाचार न केवल समाचारपत्रों और रेडियो द्वारा

प्रसारित किया गया है, बल्कि उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। निमंत्रण के सम्बन्ध में उन्होंने जिस पत्र का उल्लेख किया है, उसका सारांश क्या है ?

श्री स्वर्णसिंह : प्रेस में छपे समाचारों पर मुझे भी उतना ही आश्चर्य है जितना कि माननीय सदस्य को है।

श्री पीलू मोदी : पत्र में क्या कहा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : राष्ट्रपति भुट्टो और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है और सामान्यत: ऐसे पत्रों की बातें बताई नहीं जातीं। मैंने स्वयं उन पत्रों को पढ़ा है किन्तु उनमें हमारे प्रधान मंत्री को पाकिस्तान आने का निमंत्रण कहीं भी नहीं दिया गया है। हां, ऐसा सुझाव अवश्य दिया गया था कि यदि ये मामले न सुलझें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत की प्रधान मंत्री की बैठक का होना अच्छा रहेगा। परन्तु इसे तो पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण नहीं माना जा सकता। यह एक अलग बात है।

श्री भागवत झा आजाद : शिमला में प्रधान मंत्री और उनके साथ गये शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति भुट्टो को अधिक से अधिक रियायतें दी थीं। उसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान राष्ट्रपति भुट्टो के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में अगला कदम पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों के स्वदेश लौट जाने के बाद ही उठाया जायेगा। इस वक्तव्य और प्रधान मंत्री के इस सुझाव के संदर्भ में, कि आकाश, जल और स्थलीय संचार-साधनों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत होनी चाहिए, मंत्री महोदय क्या यह बता सकते हैं कि शिमला समझौते की भावना को जीवित कैसे रखा जा सकता है और दोनों देशों के बीच सम्बन्ध कैसे सामान्य हो सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने अपने देश में ऐसे वक्तव्य दिये हैं जिनसे शिमला समझौते की भावना का हनन होता है और वे सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में सहायक नहीं हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शिमला समझौते को क्रियान्वित करे और हम इसी आधार को लेकर उस दिया में अग्रसर हो रहे हैं।

श्री पोपटलाल एम० जोशी : यह तो इकतरफा प्रयास है।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है कि पत्र में यह लिखा था कि यदि ये मामले न सुलझे तो प्रधान मंत्री और श्री भुट्टो की बैठक हितकर होगी। चूंकि ये मामले अभी सुलझे नहीं हैं, इसलिए क्या यह वांछनीय नहीं है कि प्रस्तावित शिखर वार्ता हो। क्या यह एक सशर्त निमंत्रण नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो निमंत्रण के बारे में है और हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : यह इस उत्तर से सम्बद्ध है कि इन मामलों के तय न होने पर दोनों नेताओं की बैठक होनी चाहिए। यह बात सशर्त सी लगती है।

श्री स्वर्ण सिंह : सिद्धान्ततः हम ऐसी बैठक के विरोधी नहीं हैं। किन्तु हम चाहते हैं कि शिखर-वार्ता से पूर्व किसी अन्य स्तर पर भी विचार-विमर्श हो, चाहे यह अधिकारी स्तर पर हो अथवा मंत्री स्तर पर, ताकि शिखर-वार्ता के लिए मुद्दे चुने जा सकें और शिखर-वार्ता में गतिरोध उत्पन्न न होकर कुछ मामले अन्तिम रूप से तय हो जाएं।

श्री पीलू मोदी : क्या सरकार चाहती है कि जब भी श्री भुट्टो और श्रीमती इन्दिरा गांधी परस्पर मिलें, वह बैठक शिखर-वार्ता ही हो ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों नेता दो ऐसे व्यक्तियों के नाते परस्पर मिलें जिनके कंधों पर देश के प्रधान होने का दायित्व भी हो, और अपनी नीतियों के बारे में विचार-विमर्श करें जिससे लोगों को यह आशा बंध सके कि इस वार्ता के ठोस परिणाम निकलेंगे। क्या दो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, बिना उसे शिखर-वार्ता का नाम दिये, नहीं हो सकती ? क्या सभी स्तरों पर अर्थात् अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर और राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर, वार्ता नहीं हो सकती ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब दो राष्ट्रों के प्रधानों की बैठक होती है तो वह शिखर-वार्ता ही होती है, चाहे आप उसे शिखर-वार्ता कहें चाहे न कहें। भारत के प्रधान मंत्री और श्री पीलू मोदी की हैसियत में बहुत अन्तर है। अतः श्री पीलू मोदी ने जिस तरह की बैठक का सुझाव दिया है, वर्तमान परिस्थितियों में उससे कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि आप बातचीत जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसा करते क्यों नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : बातचीत जारी हैं। हम पाकिस्तान से सम्पर्क बनाए हुए हैं और परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता रहता है।

श्री एस० ए० कादर : क्या यह अफवाह सच है कि श्री पीलू मोदी की सलाह मानकर श्री भुट्टो ने पत्र लिखा था ?

श्री पीलू मोदी : मैं नहीं चाहता कि मुझे इस प्रकार से बदनाम किया जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से श्री भुट्टो श्री मोदी की सलाह नहीं मानेंगे, चाहे मोदी ऐसा दावा करते हों।

श्री वसन्त साठे : चूंकि श्री भुट्टो ने आगे बात करने से पहले युद्धबन्दियों की रिहाई की शर्त रखी है, इसलिए क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि युद्धबन्दियों की रिहाई के मामले में भारत अकेला कोई निर्णय नहीं लेगा और इस प्रकार पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दिया जाना पाकिस्तान के साथ अगली वार्ता के लिए हमारी शर्त होगी।

श्री स्वर्ण सिंह : समय-समय पर सरकार यह स्पष्ट करती रही है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बंगला देश में भारत और बंगला देश की संयुक्त कमान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था इसलिए युद्धबन्दियों के रिहाई के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय बंगला देश की सहमति से ही लिया जायेगा।

श्री जी० विश्वनाथन : विश्व में ऐसी धारणा बन गई है कि हमारी प्रधान मंत्री राष्ट्रपति भुट्टो का निमन्त्रण स्वीकार करने में संकोच कर रही हैं। क्या हमारी प्रधान मंत्री बिना किसी पूर्व-शर्त के राष्ट्रपति भुट्टो से बात करने को तैयार हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : विश्व के किसी भी भाग में ऐसी धारणा नहीं है कि भारत की प्रधान मंत्री प्रेजीडेंट भुट्टो के साथ बातचीत करना नहीं चाहतीं। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हम शिखर सम्मेलन को सफल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि शिखर-वार्ता से पूर्व अन्य स्तरों पर भी बातचीत हों, जिससे शिखर-वार्ता के लिए तैयारी हो जाए।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The honourable Minister has said that the Government of Pakistan or President Bhutto is not prepared to accept any suggestion of Government of India and to act according to the terms of the agreement and Government of Pakistan is violating it again and again. Mr. Bhutto has replied to the Prime Minister that unless the issue of POW's release is solved, there cannot be any further talks. In these circumstances, I would like to know whether our Government is still sticking to the Simla agreement ?

Shri Swaran Singh : Yes, Sir. If Pakistan wants to evade the Simla Agreement, it does not mean that we should also evade it. We would try that she does not evade it.

भविष्य निधि कर्मचारी संघ द्वारा मांग दिवस का मनाया जाना

*42. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि कर्मचारी संघ ने 17 नवम्बर, 1972 को मांग दिवस के रूप में मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना देने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4220/73**]

श्री सरोज मुखर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर में प्रायः सभी बातों का उत्तर आ गया है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी क्षेत्र के प्रगतिशील भविष्यनिधि कर्मचारी संघ तथा दूसरे संघों द्वारा रखी गई अन्य मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया है जिसका उल्लेख तत्कालीन श्रम मंत्री श्री खाडिलकर ने 11 अगस्त, 1972 को राज्य सभा में उत्तर देते हुए कहा था कि यह सभी मांगें केन्द्रीय न्यास बोर्ड की समिति को भेज दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन मांगों का क्या हुआ ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी मांगों पर उपसमिति द्वारा विचार कर लिया गया है। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यह

प्रतिवेदन बोर्ड के पास भेजा जाएगा । सम्भावना है कि बोर्ड निकट भविष्य में इस पर विचार करेगा ।

श्री सरोज मुखर्जी : उप समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : उप समिति ने एक प्रतिवेदन पेश किया है । उप-समिति का प्रतिवेदन बोर्ड के पास भेजा जा रहा है । बोर्ड के विचार करने के उपरान्त मामला सरकार के पास आएगा ।

श्री वयालार रवि : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भविष्य निधि कर्मचारी संघ को, जो कि सबसे बड़ा एवं विशाल संघ है तथा जिसके अध्यक्ष उपमंत्री हैं, मान्यता देने के लिए तैयार है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस प्रश्न पर भी उपसमिति ने विचार किया है और जब बोर्ड इस पर विचार करेगा तभी इस मामला पर भी विचार कर लिया जाएगा । (**व्यवधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has replied the question in detail. It runs in eight pages and it is very difficult to go through it in such a short time. I would, therefore, request the hon. Minister to reply in brief so that proper supplementaries could be raised.

It was decided in the last meeting of advisory committee that the Federation should be recognised and it is on the record also. I wish to know why it has not been recognised till the date.

I also want to know the demands put forward by the union in their demand charter and out of them how many are conceded to.

Few workers of Punjab were thrown out from their jobs and they filed a suit in the court. Finally they won the case but still they have not been allowed to resume their duties. May I know what are the reasons therefor.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मांग भविष्य निधि के केन्द्रीय ट्रस्टी के क्षेत्राधिकार में आती हैं उन पर बोर्ड विचार कर रहा है और इसके लिए एक समिति नियुक्त का गई है । समिति ने मामले की जाँच की है और अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । अब बोर्ड इस पर विचार करेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted to know whether the union has been recognised or not because the advisory committee had agreed to its recognition and it is on the record also.

Secondly I had asked about the workers of Punjab. The hon. Minister has not replied my question.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मान्यता के प्रश्न पर भी उपसमिति ने विचार किया है और बोर्ड भी इस मामले पर विचार करेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Some workers in Punjab are retrenched.....

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : I am fully conversant with the case of workers of Punjab because I am the President of this Federation. I had myself put forward the demand charter. We will certainly take up the demands of the employees and will consider the matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why the union has not been recognised when they had agreed to give recognition ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

पाकिस्तान को चीनी शस्त्र सहायता

*43. **डा० रानेन सेन** :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च शक्ति प्राप्त सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल पाकिस्तान से चीन गया था, और उसने बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र की सहायता के लिए अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को इसकी जानकारी है कि जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 1973 में चीन का दौरा किया था तथापि, सरकार के पास इस दौरे के निष्कर्ष के बारे में कोई अधिप्रमाणित सूचना नहीं है ।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली पाकिस्तान में हुई गतिविधि पर ध्यान रखा जाता है ; हमारे रक्षा उपायों का आयोजन करते समय इन पर विचार किया जाता है ।

डा० रानेन सेन : चीन इस उपमहाद्वीप में सुख-शान्ति भंग करने की चेष्टा कर रहा है और उसने बंगला देश के मुक्ति संग्राम का भी विरोध किया है और अब भी बंगला देश को राष्ट्र मंडल में शामिल होने के विषय का भी विरोध प्रगट कर रहा है । साथ ही समाचार पत्रों में जनरल टिक्का खान के चीनी दौरे के बारे में और पाकिस्तान को चीन द्वारा हथियारों की सप्लाई के बारे में खबरें अखबारों में छपी हैं । जनरल टिक्का खाँ ने जिन-जिन विषयों पर बातें की हैं वे भी प्रकाशित की गई हैं । क्या सरकार ने इन सब बातों की गंभीरता को अनुभव किया है, और यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने मुख्य उत्तर में पहले ही इस बात का संकेत दे दिया है कि सरकार का ध्यान इन सभी घटनाओं की ओर दिला दिया है । जब भी पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष

चीन का दौरा करता है और जब भी हमें पता चलता है कि पाकिस्तान गत युद्ध के दौरान हुई हानि को पूरा करने और सैनिक शक्ति में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है तो हम भी अपनी युद्ध नीति के संबंध में निर्णय लेते समय उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हैं। अतः हमें मामले की पूरी-पूरी जानकारी है और हमने तदनुसार कार्यवाही कर ली है।

डा० रानेन सेन : कुछ दिन पूर्व अखबारों में फील्ड मार्शल मानेक शा का लेख छपा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अमरीकी तथा चीनी हथियारों की सहायता से पाकिस्तान निश्चय ही भारत पर आक्रमण करेगा। इग्लैंड और भारत के समाचार पत्रों में छपी इस प्रकार की खबरों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने भारत और बंगला देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में फील्ड मार्शल मानेकशा ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने देश का ध्यान खतरनाक स्थिति की ओर दिलाया है, परन्तु इस प्रकार की सूचना हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है।। कोई भी कार्यवाही करने अथवा युद्धनीति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व हम इन सभी घटनाओं पर विचार कर लेते हैं।

Shri D. N. Tiwari : May I know whether Government have any information about the arms help, in terms of quantity or amount, sought by Pak-delegation from China and how much help China has agreed to extend.

Shri V. C. Shukla : As I have stated clearly in the (a) part of my reply that we have no authentic information in this regard. I mean that information is there but we do not want to say anything about it.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनरल टिक्का खाँ के अतिरिक्त बेगम भुट्टो ने भी चीन का दौरा किया था। पाकिस्तान वापिस आने पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें अत्यधिक सफलता मिली है और चीनी नेताओं से हुई बातचीत से वह संतुष्ट हुए हैं। इस सफलता के अन्तर्गत चीन द्वारा पाकिस्तान को काफी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की बात भी शामिल है। क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां।

श्री जी० विश्वनाथन् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने चीन से हथियारों की मांग की है, क्या सरकार चीन को इस बात के लिए राजी करने की स्थिति में है कि वह पाकिस्तान को हथियार न दे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : चीन लोक गणतंत्र के बारे में हमारा विचार सर्वविदित है। स्थितियों की सीमाओं में रहते हुए हम चाहेंगे कि कोई भी देश ऐसी कार्यवाही न करे जिससे स्थिति गंभीर हो अथवा इस उपमहाद्वीप में तनाव पैदा हो।

श्री भागवत झा आज़ाद : पाकिस्तानी शिष्टमंडल चीन में यह बातचीत करने गया था कि पाकिस्तान गत युद्ध के दौरान नष्ट हुए 100 मिग, 200 टैंक तथा उन दो डिवीज़नों जिनको

चीन ने लैस किया था की कमी को पूरा कर सके और यदि हां, तो उपमहाद्वीप में रक्षा शक्ति संतुलन को बनाये रखने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई है लेकिन मैं यह सूचना देने की स्थिति में नहीं हूँ । जहाँ तक शक्ति संतुलन का प्रश्न है हम इसको सदैव ध्यान में रखते हैं ।

लाओस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

*45 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :
श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस के प्रधान मंत्री, राजकुमार सुवन्ना फूमा ने जनवरी, 1973 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान वियतनाम में शांति की घोषणा होने के पश्चात् लाओस में युद्ध-विराम की सम्भावनाओं के बारे में सरकार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) क्या लाओस के आर्थिक पुनर्गठन में भारत की सहायता के बारे में भी बातचीत हुई थी ; और

(ग) बातचीत का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा जिन दायित्वों के लिए सहमति हुई है उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) दोनों प्रधानमंत्रियों ने इण्डो-चीन की अद्यतन घटनाओं की समीक्षा की । उन्होंने पैरिस में हस्ताक्षरित वियतनाम शांति समझौते का स्वागत करते हुए यह आशा प्रकट की कि इससे न सिर्फ वियतनाम में, बल्कि लाओस तथा कम्बोडिया जैसे पड़ोसी देशों में भी स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी ।

प्रिंस सुवन्न फूमा ने लाओस के युद्ध-विराम के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग की भूमिका के महत्त्व पर बल दिया तथा यह आशा व्यक्त की कि लाओस में स्थायी शांति स्थापित करने तथा तटस्थता, संप्रभुता एवं उसकी स्वाधीनता को सुरक्षित रखने में भारत अपनी भूमिका निभाएगा । हमारी प्रधानमंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस कार्य में भारत सहायता देने के लिए अत्यधिक इच्छुक है ।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या सरकार के पास लाओस करार संबंधी कोई विवरण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि आप जानते हैं युद्धविराम के लिए लाओस करार पर सम्बन्धित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जा चुके हैं । हम युद्ध-विराम के इस करार का स्वागत करते हैं । इस

करार का पूरा मूल लेख यद्यपि अभी उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि हमें इस करार से सम्बन्धित कुछ आवश्यक बातें मालूम हैं। वस्तुतः इसे 'स्थानीय' युद्ध-विराम कह सकते हैं अर्थात् सम्बन्धित पक्षों ने वर्तमान क्षेत्रों में रहते हुए (जो जहाँ पर है) युद्ध-विराम किया है। फिर इसका अभिप्राय है "आज दोपहर अर्थात् वस्तुतः 10·30 बजे प्रातः (भारतीय समय) से सभी प्रकार की स्थल सेनाओं तथा वायु सेनाओं की गतिविधियों को रोकना।" जैसा कि आपको मालूम है लाओस का समय हमसे आगे है। अस्थायी सरकार के गठन के 60 दिन के अन्दर-अन्दर सभी युद्ध-बन्दियों को मुक्त कर देने की बात भी स्वीकार की गई है।

हमारी यही जानकारी है। परन्तु और अधिक ब्यौरा देने तथा इस सूचना की सत्यता को प्रमाणित करने से पूर्व हमें उक्त करार के उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या सरकार को आन्तरिक सुपरवाइज़िंग बल की शक्ति में वृद्धि के बारे में भी कोई जानकारी है तथा क्या इस सम्बन्ध में किसी पक्ष ने कोई सुझाव दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें मालूम हुआ है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बना रहेगा जिसका भारत अध्यक्ष है तथा पोलैंड और कनाडा सदस्य हैं। हमें अभी और अधिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यदि दोनों पक्ष सहायता की मात्रा तथा स्वरूप के बारे में सहमत हो जायें तभी हम कोई सहायता कर पायेंगे।

श्री हरीकिशोर सिंह : लाओस में तथा वियतनाम में युद्ध-विराम करारों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में एक नये संस्थान का विकास हुआ है। क्या सरकार ने उत्तर तथा दक्षिण दोनों वियतनामों तथा लाओस के पुनर्निर्माण में सहायता देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम कह चुके हैं कि युद्ध से नष्ट हुए वियतनाम—उत्तर तथा दक्षिण और लाओस के पुनर्निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किये गए हर प्रयास में हम सहयोग देने के इच्छुक हैं तथा उसके लिए तैयार हैं ?

पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र और भारत द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र को खाली किया जाना

*46. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेनाध्यक्षों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप पाकिस्तान द्वारा खाली किए गए भारतीय क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय सेना द्वारा खाली किए गए पाकिस्तानी क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय क्षेत्र को खाली करने के पूर्व पाकिस्तानी सेना ने वहाँ जानबूझकर विनाश कार्य किया था और वहाँ पाकिस्तानी सेना ने कितनी क्षति पहुंचाई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

शिमला समझौते के अनुसार जहाँ भारत ने पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र का 5940·82 वर्ग मील खाली किया, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के 74·21 वर्ग मील से अपनी रक्षा सेनाएं हटाईं जिस पर पाकिस्तान ने दिसम्बर 1971 के संघर्ष के दौरान कब्जा कर लिया था ।

पाकिस्तानी सेनाओं की वापसी के पश्चात् भवनों आदि को हुई काफी क्षति ध्यान में आई है । ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

(1) पाकिस्तानी सेना द्वारा भुलाकोट गुरुद्वारा आवास तथा स्टोर के प्रयोग में लाया गया और कई स्थानों पर लकड़ी के काम को क्षति पहुंचाई गई थी तथा ईंटों को हटाया गया । हुसेनीवाला में सरदार भगत सिंह की 'समाधि' से प्रतिमाएं तथा जल-ताल को हटाया गया था । हुसेनीवाला और ठाको चक तथा छीना वीडी चन्द में मन्दिरों को नष्ट किया गया ।

(2) वस्तुत: सभी सीमा प्रेक्षण चौकियों (वो० ओ० पी०) और सीमा शुल्क चौकियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और सभी निर्माण सामग्री को हटा दिया गया ।

(3) पाकिस्तानी सेना द्वारा अधिकृत गांव के रहने के स्थानों और स्कूल भवनों को नष्ट कर दिया गया और ईंटें तथा लकड़ी का सामान हटा दिया गया ।

(4) वस्तुत: सभी वृक्षों को काट दिया गया तथा हटा दिया गया ।

(5) गंगानगर सैक्टर में सभी नलकूपों की मशीनों और हैंड पम्पों, लगभग 500 बिजली खम्बों, 17 ट्रांसफार्मरों, 19 कि० मि० एच० टी० तारों तथा अन्य विद्युतीय संयन्त्रों को हटा दिया गया था ।

(6) बेरीवाला हांगर और आलम शाह में पुलों को नष्ट कर दिया गया ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत का कोई क्षेत्र अथवा भूमि पाकिस्तान को दे दी गई है । दूसरे, पाकिस्तान द्वारा मुक्त किए गए तथा भारत को वापस दिए गए क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कितने मूल्य की सम्पत्ति का विनाश किया गया तथा जो भूमि हमने उन्हें वापस कर दी उसके विकास के लिए लाये गये जो उपकरण आदि उन्हें दे दिये उससे हमें कितनी हानि हुई ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा तो सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। जहाँ तक अपना क्षेत्र खोने का प्रश्न है, मेरे विचार से हमने कोई क्षेत्र नहीं खोया है। हमने पहले की युद्ध-विराम रेखा में थोड़ा-सा हेर-फेर किया है। इस हेर-फेर में भी हमने कोई क्षेत्र नहीं खोया है।

श्री एस० एन० मिश्र : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन क्षेत्रों के विनाश के फलस्वरूप हमें कितनी राशि की हानि हुई जोकि उन्होंने हमें वापस दिये हैं क्योंकि उत्तर में कहा गया है कि उन्होंने उन क्षेत्रों की सभी चीजें नष्ट कर डाली हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने विनाश का स्वरूप बताया है परन्तु उसके मूल्य का अनुमान नहीं लगाया है और यदि लगायें भी तो भी वह सर्वथा सही तो नहीं होगा।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं अपने सहयोगी द्वारा दिये गये पहले वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहूंगा। जम्मू तथा काश्मीर में स्थिति यह है कि युद्ध-विराम लागू होने के समय 17 दिसम्बर को वहाँ जो वास्तविक नियंत्रण रेखा थी उस पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच करार द्वारा बातचीत की गई है। यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि पहले की युद्ध-विराम रेखा में कुछ हेर-फेर किया गया है। यह एक नई नियंत्रण रेखा है जिसका भूतपूर्व युद्ध-विराम रेखा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : मंत्री महोदय ने अभी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस वक्तव्य को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि जम्मू व काश्मीर में वास्तविक नियंत्रण की नई रेखा के अनुसार वे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान को समर्पित कर दिये गये हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वैसे तो हमने कोई क्षेत्र नहीं दिया है परन्तु चिकोर तथा धम क्षेत्र में नियंत्रण की इस रेखा पर कुछ हेर-फेर या संतुलन सा किया है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय को शायद याद होगा कि मैंने यह मामला गत सत्र में कई बार उठाया था कि नई नियंत्रण रेखा के पूरा होने के बाद जारी किये गये वक्तव्य में कहा गया था कि यह तो लेन-देन की भावना थी—यह इसका सरकारी रूपान्तरण था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई क्षेत्र—चाहे वह एक इन्च हो अथवा 100 वर्ग गज हो, जोकि गत संघर्ष से पहले भारत के नियंत्रणाधीन रहा हो, पाकिस्तान को दिया गया तथा क्या कोई क्षेत्र जोकि पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा हो, वह भारत ने लिया है, और यदि हां, तो ऐसा लेन-देन संसद की सलाह तथा अनुमति के बिना किस आधार पर किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा विचार है कि इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर विदेश मंत्री को देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री स्वर्ण सिंह : सही स्थिति यह है कि 17 दिसम्बर को जो नियंत्रण रेखा थी शिमला समझौते के अनुसार उसे स्वीकार किया जाना था, और बात-चीत के फलस्वरूप जम्मू व काश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को जो नियंत्रण रेखा थी उसे अन्तिम रूप से निश्चित किया गया था और इन दोनों पक्षों के बीच सहमति हो गई है। सभा निश्चय ही यह जानती है तथा हमने ठाकोचक

सम्बन्धी मतभेद के बारे में यही वक्तव्य दिये हैं तथा स्थिति स्पष्ट की थी। अब कानूनी तथा संवैधानिक स्थिति यह है कि समूचा जम्मू व काश्मीर भारत का क्षेत्र है। अतः किसी भी भारतीय क्षेत्र को दे देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो नियंत्रण-रेखा पर थोड़ा हेर-फेर का मामला था और इसमें किसी क्षेत्र के छोड़े जाने जैसी कोई बात नहीं थी। अतः हमें इस दृष्टि से मामले पर विचार करना चाहिए तथा ऐसे वक्तव्य नही देने चाहियें जो हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध हों। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्थिति बहुत ही स्पष्ट है।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मैं आपसे सुरक्षा की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समूचा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र है। क्या आप यह चाहते हैं कि भारतीय क्षेत्र को संसद में लाकर भारतीय क्षेत्र स्वीकार किया जाये। स्थिति बहुत ही स्पष्ट थी।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न तो बहुत ही विशिष्ट था। मैं सरकार से जानना चाहता था कि क्या कोई भी छोटे से छोटा क्षेत्र जोकि पिछले भारत-पाक युद्ध से पहले भारतीय अधिकार क्षेत्र में था, पाकिस्तान को दे दिया गया अथवा क्या कोई छोटे से छोटा क्षेत्र जोकि भारत-पाक युद्ध से पूर्व पाकिस्तान के अधिकार में था, भारत को दे दिया गया है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि वह और क्या जानना चाहते हैं। करार यह हुआ था कि युद्ध-विराम करार प्रभावी हो जाने के समय जो नियंत्रण-रेखा थी उसे स्वीकार किया जायेगा। स्पष्ट है कि जब नई नियंत्रण-रेखा... **(व्यवधान)** क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? स्पष्ट है कि युद्ध के पश्चात् नियंत्रण-रेखा वही नहीं रहती जोकि युद्ध से पूर्व होती है।

श्री समर गुह : वे क्षेत्र कौन-से हैं जो दिये गए तथा कौन-से क्षेत्र लिये गये ? मैं आपसे सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूँ कि इस सभा में अनेक ऐसे चापलूस भी बैठे हैं जोकि भारतीय क्षेत्र के दिये जाने पर भी हां में हां मिलाते रहेंगे। परन्तु जानकारी मांगना इस सभा का अधिकार है। मंत्री महोदय तथ्यों को छिपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर बहुत स्पष्ट है।

श्री समर गुह : सभा को यह जानने का अधिकार है कि कितना भारतीय क्षेत्र दिया गया अथवा लिया गया है जोकि युद्ध से पूर्व भारत या पाकिस्तान के अधिकार में था। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इस नई नियंत्रण-रेखा को हम समझते हैं। क्या इस सरकार को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है कि वह इस सभा की अनुमति के बिना ऐसी किसी नई रेखा को स्वीकार कर ले ? उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह बहुत ही सम्बन्धित प्रश्न है और मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा क्षेत्र लिया गया है या कौन-सा क्षेत्र दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : ठाकोचक के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

श्री समर गुह : ठाकोचक के बारे में नहीं। सरकार स्पष्ट रूप से बताये कि वे क्षेत्र कौन-से हैं जो पाकिस्तान को दिये गये हैं तथा कौन-से क्षेत्र पाकिस्तान से लिये गये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : दुर्भाग्य से, श्री समर गुह, एक प्रोफेसर की पूर्ण योग्यता रखते हुए भी, ऐसे लगता है, इस क्षेत्र सम्बन्धी पूरी स्थिति से अवगत नहीं हैं, और इसीलिए वह अनावश्यक रूप से सभा में एक ऐसा मामला उठा रहे हैं जिसके बारे में सभा तथा सारा देश खूब जानता है। सही स्थिति यह है कि भारत-पाक संघर्ष के फलस्वरूप जम्मू व काश्मीर में भारतीय सेना तथा पाकिस्तानी सेना की स्थिति बदल गई थी। वे किन्हीं ऐसे क्षेत्रों में आ गये थे जो पहले भारत के कब्जे में थे। हम ऐसे कुछ क्षेत्रों में पहुंच गये थे जो पहले पाकिस्तान के अधिकार में थे। समूचे तौर पर तथा मोटे तौर पर मेरे विचार से वे 300 से 400 वर्ग मील के क्षेत्र पर कब्जा किये बैठे हैं और हमारे अधिकार वाला लगभग 60 से 70 वर्ग मील का क्षेत्र उनके अधिकार में चला गया है। अतः इन क्षेत्रों के कब्जे का आदान-प्रदान होना था और हमने शिमला में जानबूझकर यह निश्चय किया था कि हम पुरानी नियंत्रण-रेखा को स्वीकार नहीं करेंगे जोकि भारत-पाक युद्ध से पहले थी तथा उसे स्वीकार करेंगे जो 17 दिसम्बर, 1971 को थी। यह बात समय-समय पर बहुत स्पष्ट कर दी गई है और किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : समर गुह साहब, आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। समर गुह साहब, आप कृपया बैठेंगे या नहीं? मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। दो-एक सज्जन हमेशा ऐसा करते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। कृपया बैठ जाइये! आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं सचमुच ही नहीं समझ पाता कि कुछ सदस्य क्यों व्यर्थ में सभा का समय नष्ट करते हैं जबकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें एक बार अवसर मिला, मैंने उन्हें दो बार तीन बार अवसर दिया। फिर भी वह नहीं रुके। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें रियायत का कोई प्रश्न नहीं है। यह हमारे समय और प्रक्रिया का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उन्होंने सभा का समय नष्ट किया है। उन्होंने सभा के समय को पूरी तरह नष्ट कर दिया है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या आप इस बारे में संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि क्या सरकार संसद की स्वीकृति के बिना भूभाग को छोड़ सकती है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बारे में स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

Shri Jagannathrao Joshi : So far as the question of Simla Agreement is concerned I would like to know this from the hon. Minister.

It permitted Government only to delineate the line of control in Jammu and Kashmir as on 17th December, 1971. That was not the actual line of control. When this was the situation, may I know the basis on which two places in the Tithwal area were given to them

in lieu of Thako Chak ? He has just now stated that it is our territory. May I know, then, the reasons for surrendering this place to them ?

हम संवैधानिक स्थिति जानना चाहते हैं। संसद् में इस मामले को उठाये बिना तथा संसद् द्वारा इसकी अनुमति दिए बिना विशेषकर जम्मू और काश्मीर में सीमा के बारे में बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता था। शिमला समझौता 17 दिसम्बर, 1971 की वास्तविक सीमा का सीमांकन के बारे में था। किन्तु सरकार ने ठाकोचक के बदले में कुछ भूभाग को छोड़ दिया है। मैं इस सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति जानना चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस समय उठाई गई दो बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा जिससे कोई भ्रम उत्पन्न न हो। जम्मू और कश्मीर में कोई अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अतः ऐसी बात कहना हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है तथा मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी बातें न करें।

जहां तक दूसरा प्रश्न है, यह सच है कि शिमला समझौते के अनुसार जम्मू और कश्मीर में दोनों पक्ष इस बारे में सहमत हो गए कि नई नियंत्रण रेखा बनाई जाए। अतः सीमांकन किया गया तथा उसके निर्वाह के लिए सहमति हुई। समझौता यह है कि दोनों पक्ष इसका पालन करेंगे। युद्ध-विराम के समय ठाकोचक वास्तव में पाकिस्तान के अधिकार में था तथा हमें उस भूभाग को खाली कराना पड़ा। हमने शेष भूभाग में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अंकन कर दिया था। ठाकोचक क्षेत्र के बारे में कुछ विवाद खड़ा हुआ था। यह भी जम्मू और काश्मीर में है तथा पाकिस्तान यह कह रहा था कि वह उसे अपने कब्जे में रखने के हकदार हैं। अतः इस विवाद को दूर करने के लिए कई बैठकों के उपरान्त हमने इस बात पर बल दिया कि पाकिस्तान को ठाकोचक क्षेत्र खाली कर देना चाहिए क्योंकि यह जम्मू और काश्मीर की सन्धि पर है जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अतः हमने इस बात पर जोर दिया कि वह उसे खाली कर दे। इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। तब कुछ अन्य क्षेत्रों में, कुछ थोड़े क्षेत्रों के बारे में जिनका ब्यौरा मैं सभा को दे चुका हूं हम इस बारे में सहमत हो गए कि वे पाकिस्तान के पास रहें। अतः इस मामले पर मैंने अपने वक्तव्य में सभा में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और आगे कोई विवाद नहीं है तथा मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। ये सभी बातें सभा में बताई जा चुकी हैं।

Shri Jagannathrao Joshi : Sir, my question has not been replied to. I wanted to know whether these two areas surrendered to them were in our possession on 17th December or not ?

कुछ छोटे स्थानों को जो 17 दिसम्बर 1971 को वास्तव में हमारे नियंत्रण में थे, उन्हें दे दिया गया है। इसीलिए मैं संवैधानिक स्थिति जानना चाहता हूं। वह इस प्रकार के मामलों में भ्रम उत्पन्न नहीं कर सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं वक्तव्य दे चुका हूं। मैंने इसके पूर्व सभा में ब्यौरेवार वक्तव्य दे दिया है।

आधुनिकतम युद्ध टैंकों का निर्माण करने सम्बन्धी योजना

*47. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री धन शाह प्रधान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निकट भविष्य में आधुनिकतम युद्ध टैंकों का निर्माण करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन टैंकों की प्रमुख विशेषतायें क्या होंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सैनिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई गुणात्मक आवश्यकता पर आधारित एक विकसित युद्ध टैंक का कार्य कर रहा है । ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या हम टैंक उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भर हैं और क्या यह भी सच है कि हम विदेशों को टैंकों का निर्यात करने वाले हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम निर्धारित योजना के अनुसार टैंकों का उत्पादन कर रहे हैं । प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में यह कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

तापीय बिजलीघरों के लिए कोयला

*49. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तापीय बिजली घरों के लिए कुल कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है ; और

(ख) सरकार ने उनकी कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) विद्यमान तापीय विद्युत स्टेशनों के लिए 1972-73 में कुल कोयला अपेक्षाएं लगभग 216.00 लाख टन अनुमानित की गई हैं जिनके 1978-79 तक लगभग 296.00 लाख टन तक वर्धित हो जाने की आशा है ।

(ख) पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और समस्त विद्यमान तापीय विद्युत घरों की प्रसामान्य अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों में उसे योजनाबद्ध किया जा रहा है ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Mr. Speaker, sir, may I know from the hon. Minister whether Thermal Power Stations are being supplied the same quality of coal as is required by them ?

Secondly, are Government aware of the fact that due to supply of bad quality of coal to Patratu Thermal Power Station it remained closed from March to September in 1972 as a result of which Rabi crop, Paddy crop and Maize crop were destroyed in Patna, Gaya and Shahabad ? In this context I would like to know from the hon. Minister whether Government are in a position to supply the required quality of coal to the Thermal Power Stations ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक मुझे ज्ञात है पतरातू बिजली घर को हुई कठिनाई का कारण यह नहीं है कि उसे खराब किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : May I know whether the officers of Patratu Thermal Power Station in a communication to the officers of Mines Department stated that good quality of coal was not being supplied to the Power Station causing bad effect to it but even than officials of Mines Department did not supply them good quality of coal ? May I know whether hon. Minister is aware of this, and if so, the action taken by the Government ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कोयले की किस्म के बारे में पतरातू बिजली घर के अधिकारियों की ओर से किसी पत्र या ज्ञापन के बारे में कुछ विदित नहीं है । किन्तु इस प्रश्न पर राज्य बिजली बोर्ड और खान विभाग के बीच विचार-विमर्श हुआ है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कृपया एक पृथक प्रश्न करें ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I do not want to put a separate question but I want to know certain information in regard to the question already put. May I seek that information ?

Mr. Speaker : You have already been given the information.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : He has not made a clear reply therefor I want to have clear information through you, Sir.

May I know whether it is fact that Patratu Thermal Power Station remained closed from March to September in 1972 and during that period it was conveyed to the Department which is in charge of the hon. Minister that required quality of coal was not being supplied to the said Power Station resulting in closure of the same ? May I know whether such a letter was received by his department and it so, the action taken thereon ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मूल प्रश्न को देखकर आपको ज्ञात होगा कि उसमें इस बिजली घर का कोई उल्लेख नहीं है । देश में बहुत से बिजली घर हैं और यदि माननीय सदस्य

इस सम्बन्ध में अलग से जानकारी प्राप्त करना चाहें तो मैं उन्हें अधिक जानकारी देने को तैयार हूं। खेद है इस समय मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : कांग्रेस दल के सदस्यों में बहुत अधिक अनुशासनहीनता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के मूल उत्तर में उन्होंने जो आश्वासन दिया है वह किस तिथि से लागू होगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं सका। क्या श्री मोदी स्पष्ट रूप से प्रश्न करेंगे ?

श्री पीलू मोदी : मैंने यह पूछा है कि उन्होंने मूल उत्तर में जो आश्वासन दिया है वह किस तिथि से लागू होगा ? यदि वह चाहते हैं कि मैं उन्हें मूल उत्तर भी याद दिलाऊं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने उसमें यह कहा है कि एक निर्धारित समय से कोयले का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब से होगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार से हमारे देश में बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाइयों का कारण कोयले की अनुपलब्धता नहीं है। मेरे विचार से हमें तापीय बिजली घरों के लिए पर्याप्त कोयला सप्लाई करते रहने की स्थिति में रहना चाहिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं। यह सच है कि कुछ मामलों में कोयले की किस्म के बारे में विवाद रहा है किन्तु हम उसे सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं इस बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या गुजरात सरकार यह शिकायत नहीं कर रही है कि उसे पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। आप दूसरी ओर भी देखिए।

श्री पीलू मोदी : क्या मैं उस ओर जाकर प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने मंत्री महोदय से तुरन्त कोयला सप्लाई किए जाने के लिए अनुरोध किया है जिससे तमिलनाडु में बिजली की कमी को दूर किया जा सके जो अब 75 प्रतिशत है ? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक आम प्रश्न है। यदि आप तमिलनाडु के बारे में पूछना चाहती हैं तो आपको पृथक प्रश्न की सूचना देनी चाहिये थी। (**व्यवधान**) श्री पैन्यूली ! (**व्यवधान**)

कृपया शांत रहिये। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सभा का समय नष्ट न करें। बातचीत मत करिये और यदि आपको करनी है तो लाबी में चले जाइये।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि यह प्रश्न सामान्य प्रकार का है और यदि आप तमिल नाडु के बारे में विशेष जानकारी चाहती हैं तो आपको पृथक प्रश्न की सूचना देनी चाहिए। फिर भी यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। आप दोनों एक राज्य से आये हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : हाल ही में आंध्र क्षेत्र में रेलगाड़ियों के रोकने तथा अन्य समस्याओं के कारण तमिलनाडु को कोयला भेजने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं। कोयले की सप्लाई कम हो गई थी किन्तु कोयले की सप्लाई में उचित स्तर तक वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। एक समय था जब बेसिन ब्रिज में एक या दो दिन की सप्लाई होती थी और अब वहां आठ-दस दिन की सप्लाई होती है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कुछ तापीय बिजली घरों में खराब कोयला सप्लाई किए जाने के कारण उपकरणों को क्षति पहुंची है और यदि हां, तो अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : उस प्रकार का कोयला सप्लाई किये जाने के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। यह विवाद अवश्य चल रहा है कि तापीय बिजली घरों के लिए किस किस्म का कोयला अधिक उपयुक्त होगा तथा इस बारे में निर्णय कर लिया जाएगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1971 के युद्ध में पशुओं की क्षति के लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुआवजे की अदायगी

*44. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जम्मू और कश्मीर के जिन लोगों को अपने पशुओं की क्षति उठानी पड़ी थी, सरकार ने उन्हें मुआवजा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित मुआवजे की राशि कितनी होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) इस प्रकार की हानियों के मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। किन्तु फिर भी सरकार द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को निर्धारित दरों पर अनुग्रहपूर्वक सहायता देने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार को खर्च करने के अधिकार दे दिए गये हैं। एक विवरण, जिसमें पशुओं की क्षति के बारे में दी जाने वाली सहायता की दरें दी गई हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की सारी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण

(क) बैलों, ऊंट और दुधारू जानवरों की हुई क्षति के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान की दरें

मद	प्रति परिवार सीमा
(क) बैलों के लिए	1,000/- रु० तक प्रति बैल
(ख) ऊंट के लिए	2,000/- रु० तक
(ग) दुधारू जानवर के लिए	800/- रु० तक

बैलों और ऊंटों के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान कृषकों को तथा दुधारू जानवरों के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान कृषक तथा गैर-कृषक दोनों को ही दिया जाता है।

(ग) अन्य मदों की हानि के लिए अनुदान/ऋण की दरें

वर्ग	कीमत निम्न राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए
1. घोड़ा	500/- रुपये प्रति
2. खच्चर	600/- रुपये प्रति
3. गधा	150/- रुपये प्रति
4. बकरी	100/- रुपये प्रति
5. बकरा	100/- रुपये प्रति
6. सुअर	60/- रुपये प्रति

प्रत्येक परिवार को जिन जानवरों के लिए यह अनुदान दिया जाता है उनकी अधिकतम सीमा नीचे दी गई है :—

(1) घोड़े	दो
(2) खच्चर	तीन
(3) गधे	पांच
(4) बकरियां	दस
(5) सुअर	दस

उक्त पैरा 'ख' में दी गई सभी मदों को मिला कर किसी एक परिवार को प्रथम 1000/- रुपये तक होने वाली हानि को 'अनुदान' के रूप में माना जाएगा जबकि इस से अधिक राशि, 2,000 रु० की सीमा तक, ऋण के रूप में मंजूर की जाएगी ।

भारत में पाक-युद्धबन्धियों को रिहा न किए जाने के बारे में पाकिस्तान का आरोप

*48. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने यह आरोप दोहराया है कि भारत युद्धबन्दियों को रिहा न करके जेनेवा सम्मेलन का घोर उल्लंघन कर रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत पश्चिमी क्षेत्र के युद्धबंदियों को पाकिस्तान भेज चुका है । चूंकि पूर्वी क्षेत्र के युद्धबन्दियों ने भारत तथा बंगला देश की सेना की संयुक्त कमान के समक्ष आत्म-समर्पण किया था, इसलिए उन युद्धबंदियों के देश-प्रत्यावर्तन की बातचीत में बंगलादेश को साथ रखना तथा उसे शामिल करना अनिवार्य है । तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने में विलम्ब के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है क्योंकि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में असफल रहा है जिसमें कि समान संप्रभुता के आधार पर बंगला देश बातचीत में शामिल हो सके ।

विदेशों में विक्रय कार्य के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एकक

*50. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स विदेशों में विक्रय कार्य करने हेतु अपनी एक नई कम्पनी बना रहा है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके उद्देश्य हैं:—

(अ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था करना ।

(ब) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण और बिक्री के बाद सेवा की व्यवस्था करना ।

(स) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों को निर्यातपरक बनाने के लिए डिजाइनों और इन्जीनियरी विशिष्टताओं का विकास करने के लिए केन्द्र स्थल के रूप में कार्य करना ।

(द) इसी प्रकार के उत्पादन में लगी विश्व की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उत्पादन और निर्यात कार्यक्रम में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सक्रिय रूप से अधिकाधिक भाग लेना ।

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन

*51. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन इस वर्ष ओटावा में होगा; और

(ख) क्या उगान्डा द्वारा नागरिक तथा गैर-नागरिक एशियाइयों को वहां से निकाले जाने और उनके साथ किए गए व्यवहार में अन्तर्निहित अत्यधिक भेदभाव के सम्बन्ध में भी सम्मेलन में चर्चा किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन की कार्यसूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । उगाण्डा के एशियाइयों का प्रश्न कार्यसूची के विशेष मद के रूप में आने की सम्भावना नही है ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा पनडुब्बी का पता लगाने वाले नये यंत्र का विकास

*52. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों के पनडुब्बियों का पता लगाने वाले 'सोनोबाय' नामक एक नये यंत्र का विकास किया है जो पानी के नीचे आवाज को पकड़कर, उसे ऊपर उड़ने वाले विमान को प्रेषित कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया का तजुर्बा किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) जी हां श्रीमन् ।

Payment of Bonus

*53. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the Industries in the public and private sectors in the country,

where 8.33 per cent bonus has not yet been paid in spite of enactment in this respect ; and

(b) the action taken so far and proposed to be taken by Government against them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy): (a) and (b) The Payment of Bonus Act, 1965 has a very wide coverage, in as much as it applies to every factory and every other establishment in which twenty or more persons are employed throughout the country. The information asked for is not available, but the Central Government and the State Governments in their respective spheres launch prosecutions when defaults are brought to their notice.

औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि

*54. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में, वर्ष 1971-72 की समाप्ति तक, भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या 1966 में 208844 थी, जो 1971 में बढ़कर 320173 हो गई। 1961 से सम्बन्धित आंकड़े अन्तिम हैं और 1972 सम्बन्धी आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दुर्घटनाओं में वृद्धि सामान्यत: अप्रचलित मशीनों, मशीनों की त्रुटिपूर्ण देख-भाल, अपेक्षित सुविधाओं की कमी, दुर्घटना कम करने सम्बन्धी ज्ञान निपुणताओं और प्रवृत्ति के अभाव के कारण होती हैं।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनाई गई राज्य कारखाना नियमावली में निर्धारित सुरक्षा उपेक्षिताओं में जहां कहीं आवश्यक है, सुधार किया जा रहा है, उन्हें विस्तृत किया जा रहा है, सतत रूप से उनकी पुनरीक्षा की जा रही है और उन्हें लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, प्रादेशिक श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षण भी दिया जा रहा है।

एल्यूमिनियम उद्योगों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*55. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के एल्यूमिनियम उद्योगों को अपने आथ में लेने का है क्योंकि ये उद्योग देश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके हैं ; और

(ख) एल्यूमिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत में एल्यूमिनियम के उत्पादन की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 178,850 टन प्रति वर्ष है जो वर्तमान घरेलू मांग की पूर्ति के लिए, सीमान्तक सीमा को छोड़कर, पर्याप्त है ।

मांग की दीर्घावधिक आधार पर पूर्ति के लिए, 2,51,000 टन प्रतिवर्ष की (पब्लिक सेक्टर में के 1,50,000 टन प्रतिवर्ष को सम्मिलित कर) अतिरिक्त क्षमता अनुज्ञप्त की गई है जिसे चतुर्थ/पंचम योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है ।

बंगलादेश के शरणार्थियों का बंगला देश से लौट आना

*56. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के कुछ हजार शरणार्थी, जो बंगला देश वापस चले गये थे, फिर भारत में आ गए हैं क्योंकि वहां वे अपने मकानों और सम्पत्ति का कब्जा नहीं ले सके थे; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने उनको वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के कुछ परिवार, जो पूर्वी पाकिस्तान में 25-3-71 को सेना द्वारा किए गए दमन से पूर्व भारत आए थे और बंगला देश के स्वतंत्र होने पर वहां वापस चले गए थे, भारत लौट आए हैं । परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त जांच के बाद, उक्त श्रेणी के शरणार्थियों को भारत सरकार ने वापिस लेने का निर्णय ले लिया है ।

दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी उपस्थिति के बारे में थाईलैंड और सिंगापुर की कथित मांग

*57. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम से सेना हटाने के अमरीकी निर्णय के बावजूद थाईलैंड तथा सिंगापुर ने यह मांग की है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी सेना निरन्तर बनी रहनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं ।

(ख) भारत सरकार विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना अथवा अन्य देशों में सैनिक उपस्थिति के पक्ष में नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*58. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना की भावी आयोजना सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय मंत्री को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन पर सरकार तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार कर लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश को सम्मिलित करते हुए एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4221/73]

(ग) मार्च, 1973 में होने वाली अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा । निगम के विचारों के प्रकाश में मामले की और जांच की जायेगी ।

कोयला खान मजदूरों की भविष्य निधि की बकाया राशि

*59. **श्री शशि भूषण :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के मालिकों की ओर भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कारगर उपाय किए गये हैं; और

(ग) क्या बकाया राशि को तुरन्त वसूल करने के लिए दण्ड प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने हेतु कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा विधान कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कोयला खान भविष्यनिधि प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि 30-9-1972 को भविष्य निधि की 11.76 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए सामान्यतः अभियोजनों और वसूली कार्यवाही द्वारा कानूनी कार्यवाई की जाती है । बकाये की वसूली के निलंबित पड़े हुए प्रमाण-पत्र मामलों की पैरवी कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा प्रभाव पूर्ण रूप से की जाती है । इस प्रयोजन के लिए धनबाद और आसनसोल में निधि प्रमाण-पत्र अधिकारी नियुक्त किए गए हैं । भविष्य निधि के बकाये की वसूली के लिए कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मुआवजा भुगतान आयुक्त जैसे ही कार्य करना प्रारम्भ करें, भविष्य निधि के बकाये की वसूली के लिए उनके समक्ष, दावे दायर करने के लिए व्यवस्था भी कर दी गई है ।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय उपबन्धों को और कड़ा करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इन प्रस्ताओं को अन्तिम रूप देते ही इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान पेश करने का विचार किया गया है ।

प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव का तेहरान का दौरा

*60. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव ने हाल ही में तेहरान का दौरा किया ;

(ख) क्या उनका यह दौरा सरकारी था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों को कारों तथा स्कूटरों तथा आवंटन

402. **श्री आर० बी० बड़े** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितने स्कूटरों तथा कारों का आवंटन किया गया ; और

(ख) 1972-73 के दौरान सरकारी कोटे में से सरकारी कर्मचारियों को कितने स्कूटर तथा कितनी कारें दी गईं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :

कारें	1971-72 में किया गया आवंटन	1972-73 में किया जाने वाला आवंटन
फिएट [प्रीमियर प्रेजीडेंट	1534	1733
एम्बेसेडर	1024	1056
स्कूटर		
बजाज स्कूटर	6421	8960
लम्ब्रेटा	4914	4918

छोटे इस्पात कारखाने (मिनी स्टील प्लांट)

403. **श्री अरविन्द एम० पटल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में छोटे इस्पात कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना में, राज्य-वार, कितने छोटे इस्पात कारखाने लगाये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) संभवत: अभिप्राय विद्युत भट्टियों से परम्परागत अथवा निरन्तर ढलाई प्रक्रिया द्वारा इस्पात पिण्ड/बिलेट उत्पादन के लिए साइसेंसीकृत इकाइयों से है। अब तक जिन 25 इकाइयों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नामों और वे कहां-कहां स्थित हैं के बारे में एक सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4222/73**]

(ख) इस समय सरकार की पंच वर्षीय योजना-अवधि में इस प्रकार की इकाइयां लगाने की कोई योजना नहीं है, परन्तु अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वेलन योग्य माल की माँग, स्कैप की उपलब्धि, तकनीकी-आर्थिक बातों और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा निजी क्षेत्र से सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकती है।

"Strike Ballot" in Ordnance Factories by All India Defence Workers Union

404. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether 'Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh' (All India Defence Workers Union) "held Strike Ballot" in various ordnance factories in January, 1973 ;

(b) if so, their demands ; and

(c) the action taken by Government in regard to these demands ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Suraksha Sramik Sangh an un-recognised Union affiliated to Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh conducted a ballot through voting for general strike on the morning of 18th and 19th January, 1973 at the gates of Ordnance Factory, Kanpur and Small Arms Factory, Kanpur. Bhartiya Saurakshan Kamgar Sangh (unrecognised) also conducted strike ballot at Ammunition Factory, Kirkee, on 20th January, 1973.

(b) The demands were immediate publication of 3rd Pay Commission Report and extension of Bonus Act to all the Defence Employees.

(c) As the demands cover not merely the Ordnance Factories but all Departments of Government of India, no action has been taken.

Fire Accident of Ordnance Factories of Jabalpur

405. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total number of fire incidents recorded in various ordnance factories in Jabalpur during the last two years ;

(b) the number of cases out of them investigated ; and

(c) the amount of loss suffered as a result thereof and the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the nature thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) During the last 2 years the number of cases of fire which broke out in the Gun Carriage Factory, Ordnance Factory, Khamaria and the Vehicles Factory, Jabalpur, were : 55, 29 and 3 respectively. All the incidents were investigated. The total amount of loss involved/estimated is Rs. 3,31,49,500. No one was held responsible for the fires because they were all of incidental nature.

However, the proceedings of the Board of Inquiry of the last incident of fire at the Vehicles Factory, Jabalpur, on 13-6-72 are still under examination.

Sale of Tickets of Beating Retreat

406. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether 'tickets' were sold for the 1973 Republic Day Beating the Retreat Ceremony ;

(b) if so, the rates thereof ; and

(c) the amount of revenue earned by Government thereby ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) The following shows of the Beating Retreat Ceremony were held as part of the Republic Day celebrations 1973 :—

27th January	—	Mainly for school children.
28th January	—	Special show.
29th January	—	Main show.

Admission to the show held on 27th January was regulated by admit cards, except in the enclosure intended for the public. Admission to the show on the 28th January was regulated by priced tickets of the denominations of Rs. 5.00, Rs. 3.00 and Re. 1.00. Admission to the show on 29th January was regulated by invitation cards to entitled persons except in the enclosure intended for the public.

(c) An amount of Rs. 33,903.00 was collected by the sale of tickets for the Beating Retreat show held on the 28th January.

मजदूर संघों द्वारा 'स्ट्राइक बैलट'

407. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्तर के कुछ मजदूर संघों ने जनवरी, 1973 में 'स्ट्राइक बैलेट' संगठित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन संघों के नाम क्या हैं जिन्होंने 'स्ट्राइक बैलट' संगठित किया ; और

(ग) उनकी मांग क्या है तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचित किया गया है कि रेल कर्मचारियों के कई संघों ने बोनस के भुगतान करने की मांग के सम्बन्ध में हड़ताल करने का पक्ष लिया है।

(ग) रेल और सरकार के अन्य विभागीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारी बोनस अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) द्वारा शासित हैं ।

Declaration of Cease-Fire in North Vietnam

408. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether an official declaration of cease-fire has been made by the Governments of North Vietnam and America ; and

(b) Government's reaction in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir.

(b) Government of India welcomes it and sincerely hopes that it would lead to a durable peace not only in Vietnam but also in the neighbouring countries of Laos and Cambodia.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार

409. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीन तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों के विस्तार पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखानों के बारे में कोई विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने को कितनी क्षमता को विस्तार करने की अनुमति दी जायेगी और इसके फलस्वरूप कुल कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए लाइसेंस देना

410. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या वर्ष 1971-72 में कोयला खनन के लिए मध्य प्रदेश में एक नये एकक अथवा

बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा क्या रेलवे ने अतिरिक्त उत्पादन के सम्बन्ध में पक्का वचन दिया है ; और

(ग) माल डिब्बों की दैनिक क्षमता क्या है ? उक्त वचन के आधार पर रेलवे कितने अतिरिक्त माल-डिब्बे उपलब्ध करायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) 1971 और 1972 में मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए, मैसर्स न्यूटन चिकली कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर पारासिया, जिला छिंदवाड़ा और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड को क्रमशः साखान विस्तारण (5,40,000 टन प्रति वर्ष) और एक नए एकक (10 लाख टन प्रति वर्ष) की स्थापना के लिए औद्योगिक अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं, परिवहन का साधन रेलवे है। मैसर्स न्यूटन चिकली कोलियरीज़ लिमिटेड ने साखान विस्तारण के लिए अपने अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र में किन्हीं अतिरिक्त वैगनों की मांग नहीं की है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की न्यूनतम अपेक्षाएं 3,400 टन कोयला प्रतिदिन थीं। तथापि, कोयला क्षेत्र में समस्त कोयला खानों की आवश्यकताओं पर विचारोपरान्त, रेलवे द्वारा कोयला संचलन के लिए कोयला-क्षेत्र वार वैगन आवंटित किए जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक अधिकारी का एक ही स्थान पर रहना

411. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 14 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड 1) के स्तर के उन उच्च अधिकारियों के पदनाम क्या हैं, जो पांच वर्षों से अधिक से क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिल्ली कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय में हैं ;

(ख) इतनी लम्बी अवधि तक उनके दिल्ली में रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संगठन के प्रशासनिक कार्य में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) निम्नलिखित अधिकारी पांच वर्षों से अधिक से मुख्य कार्यालय/प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली में हैं :

मुख्य कार्यालय

(i) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-1)—1

(ii) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-2)—4

प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली

कोई नहीं ।

(ख) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-1) कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रोक लिया गया है। सहायक भविष्य निधि आयुक्तों (ग्रेड-2) की बदली नहीं की जाती क्योंकि प्रादेशिक कार्यालयों में समतुल्य पद नहीं हैं ।

(ग) प्रशासन सुधार विभाग ने 1968 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण का अध्ययन प्रारम्भ किया और इस विभाग की ऐसी सिफारिशें, जो प्रचलित लेखा प्रक्रियाओं के सरलीकरण व अभिनवीकरण में योगदान करने व प्रवर्तन कार्य की दक्षता एवं क्षमता के स्तर में सुधार से संबंधित पाई गई थीं, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई ।

युद्ध-पीड़ित कृषकों को मुआवजा

412. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने युद्ध के दौरान जिन कृषकों के नलकूपों, ट्रैक्टरों तथा पम्प सैटों आदि कृषि उपकरणों को क्षति पहुंची है, उन्हें मुआवजा देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने युद्ध में हुई ऐसी कुल क्षति का अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा ट्रैक्टरों, नलकूपों, पम्पिंग सैटों आदि के बारे में हुई कुल हानि का मूल्यांकन 4836 लाख रुपये किया गया है ।

(ग) मामला सक्रिय विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, त्रिवेन्द्रम के लिए कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर

413. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग में त्रिवेन्द्रम के लिए कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर निर्मित करने की दिशा में प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है, यदि हां, तो अब तक हुए कार्य

की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) केरल के प्रादेशिक कार्यालय के लिए थाईकाड, त्रिवेन्द्रम में कार्यालय के वर्तमान स्थान पर कार्यालय भवन के निर्माण सम्बन्धी नक्शे और अनुमान जनवरी, 1972 में मंजूर किए गए थे और पाईल फाउंडेशन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई थीं। जब काम शुरू किया जाने वाला था तो पत्तम पैलेस कम्पाउंड में भूमि के एक प्लाट के अधिग्रहण हेतु एक प्रस्ताव सम्पन्न होने वाला था। पत्तम पैलेस क्षेत्र की केन्द्रीय स्थिति और उस इलाके में उपलब्ध परिवहन, स्कूलों और अस्पतालों जैसी अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक कार्यालय के वर्तमान स्थान पर भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को रोक रखा गया था। इसी बीच कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड केरल के लिए एक उप-प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा था। चूंकि इससे प्रादेशिक कार्यालय की आवश्यकताएं काफी हद तक बदल गई होतीं, इस लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 6-2-73 को, हाल ही में उप-प्रादेशिक कार्यालय न खोलने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार के माध्यम से पत्तम पैलेस कम्पाउंड में 7.5 एकड़ भूमि के एक प्लाट का अधिग्रहण किया गया है और भूमि का कब्जा दिसम्बर, 1972 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दे दिया गया। कर्मचारी क्वार्टर और कार्यालय भवनों के निर्माण के बारे में प्रस्तावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

श्रमिकों को उपदान की अदायगी के लिए राज्यों द्वारा कानून बनाया जाना

415. **श्री ई० वी० बिखे पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने श्रमिकों को उपदान की अदायगी करने के लिए संसद द्वारा पारित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुरूप कानून बनाए हैं और उक्त अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत नियम किस तिथि अथवा किन तिथियों से लागू किए गए ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त कानूनों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में श्रमिक तथा अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त शिकायतें किस प्रकार की हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधिनियमन के बाद, राज्य सरकारों को श्रमिकों को उपदान के भुगतान के लिए अपने कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन उन प्रतिष्ठानों के लिए नियम प्रकाशित करने पड़ते हैं, जिनके लिए वे 'समुचित सरकारें' हैं। राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने और इन नियमों की किसी आलोचना से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कुवैत से उर्वरकों का आयात

416. **श्री बक्शी नायक** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार कुवैत से उर्वरकों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव है कि दीर्घकालीन आधार पर ठेका दिया जाए ।

(ग) विदेशी-मुद्रा का खर्च उर्वरकों की मात्रा और निर्धारित दरों पर निर्भर होगा ।

कारों तथा बसों का उत्पादन

417. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में कारों तथा बसों के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) ये लक्ष्य किस हद तक प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973-74 के अन्त तक कारों की वार्षिक मांग की संख्या 75,000 तथा वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग की संख्या 85,000 आंकी गई है, जिसमें 18,000 बसें सम्मिलित हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों में कारों और बसों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

	1970-71	1971-72	1972-73 (दिसम्बर, 1972 तक)
कारें	36,819	40,561	40,039
बसें	9,732	11,455	6,873

(ग) इसके कारण क्षमता का अपर्याप्त होना तथा उपभोक्ताओं की पसन्द हैं जिसका परिणाम यह निकला है कि अधिष्ठापित क्षमता का अनुकूलतम से कम इस्तेमाल हुआ ।

(घ) सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में कारें बनाने की अनेक योजनाओं के लिए स्वीकृति दी है । वाणिज्यिक गाड़ियां निर्माण करने वाले उन दो एककों को विस्तार योजनाओं के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है जिनके उत्पादों को उपभोक्ता अधिक पसन्द करते हैं । उन दो एककों की सहायता करने के लिए कदम उठाए गये हैं जिनके उत्पाद इतने लोकप्रिय नहीं हैं फिर वे मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को किस्म में सुधार करके और उपयोगिता की दृष्टि से इसे पूरा कर सकें । वाणिज्यिक गाड़ियों की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की कई योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं ।

किरकी स्मिथ मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज में पैट्रोल के बिना बैटरी से चलने वाली कार का विकास

418. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज में पैट्रोल के बिना बैटरी से चलने वाली कार का विकास किया गया है तथा वहां के कर्मचारियों ने इस कार का परीक्षण किया है तथा इसे सड़क पर चलाने के योग्य पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कालेज के अधिकारियों ने, इस कार के बड़े पैमाने पर उत्पादन की व्यवहार्यता की सिफारिश की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पूना स्थित मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज ने पैट्रोल के बिना चलने वाली कार तैयार की है जो दो बैटरियों से चलती है जिनकी प्रत्येक की क्षमता 16 वोल्ट है और कुल एम्पियर 240 हैं । कार की क्षमता लगभग 50 किलोमीटर है और मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज ने 50 किलोमीटर की इस दूरी के लिए इसके काम का परीक्षण किया है और संतोषजनक पाया ।

(ख) कर्मचारियों में विश्वास जागृत करने तथा विद्यार्थियों को गतिशील प्रशिक्षण देने के लिए कार का निर्माण शुरू किया गया है । इसलिए बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की संभाव्यता की जांच नहीं की गई है ।

व्यापारिक मोटर गाड़ियों की कमी

419. **डा० रानेन सेन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापारिक मोटर गाड़ियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दो प्रकार की लोकप्रिय (पापुलर) मेक की वाणिज्यिक गाड़ियों की देश में कमी है। इन मेकों की गाड़ियां प्राप्त करने के लिए खरीददारों को $1\frac{1}{2}$ से दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) सरकार ने विद्यमान तीन उत्पादकों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी है। सरकार ने चार नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी है जिनकी कुल क्षमता 54,000 गाड़ियां प्रति वर्ष है।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का कारखाना

420. **डा० रानेन सेन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्कूटर कारखाना स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड नामक एक कम्पनी निगमित कर दी गई है। 110 एकड़ भूमि का लखनऊ में अधिग्रहण कर लिया गया है और सिविल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इटली से अधिकांश मशीन प्राप्त हो गई हैं और बाकी मशीनों के आगामी दो महीनों के अन्दर प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) अब तक लगभग 1.66 करोड़ रु० का व्यय किया गया है।

फियेट कार के मूल्य में अन्तर के भुगतान के बारे में सरकार से परामर्श

421. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ग्राहकों ने, जिन्हें मूल्य में अन्तर का भुगतान करने के लिए प्रीमियर आटोमोबाइल्स के विक्रेताओं से नोटिस प्राप्त हुए हैं, इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय से परामर्श मांगा है ; और

(ख) उनके मंत्रालय ने इन ग्राहकों को क्या परामर्श दिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कोई राय नहीं दी है।

दोषयुक्त योजना के कारण इस्पात मिलों में उत्पादन में कमी

422. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के मिलों, विशेषकर इस्पात मिलों में उनकी कुल स्थापित क्षमता से वास्तविक उत्पादन बहुत कम हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसा दोषयुक्त योजना और फालतू पुर्जों के अपर्याप्त भंडार के कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखाने और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने का अप्रैल, 1972 से जनवरी, 1973 की अवधि में इस्पात पिण्ड का वास्तविक उत्पादन उनकी मूल अधिष्ठापित क्षमता का क्रमश: 82.2%, 43.3%, 63.9%, और 58.0% था ।

(ख) इन कारखानों में कम उत्पादन कई कारणों से हुआ है जिनमें कोक ओवन बैटरियों के संतोषजनक ढंग से काम न करने के कारण हुई कोक ओवन गैस की कमी, बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध तथा सप्लाई न होना, मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, उपस्करों में खराबियां आदि शामिल हैं । इन कारखानों की योजना में किसी प्रकार का दोष नहीं पाया गया है । फालतू पुर्जों का अपर्याप्त भण्डार भी कोई बड़ा कारण नहीं रहा है फिर भी ऐसा हो सकता है कि आयातित पुर्जों के देरी से प्राप्त होने से अस्थायी कठिनाइयां आई हों ।

(ग) ऊपर दिए गए भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्यों का शिष्टमण्डल

423. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने हेतु प्रेसीडेंट भुट्टो से मिलने के लिए संसद सदस्यों का एक दल पाकिस्तान भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मारुति लिमिटेड को दिए गए आशय-पत्र की अवधि बढ़ाना

424. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार परियोजना, जिसकी आशय-पत्र की अवधि 31 दिसम्बर, 1972

को समाप्त हो गई थी, अब बढ़ायी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर ऐसा किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मारुति लिमिटेड, गुड़गांव ने आशय-पत्र की वैधता की अवधि इस आधार पर बढ़ाने की अनुमति मांगी है कि इस अवस्था में पुर्जों के सम्भरण के लिए इकट्ठे आर्डर देने में असमर्थ होने के कारण उन्हें उनके डिजाइन तैयार करने एवं इनका निर्माण स्वयं करने में कुछ और समय लगेगा। आशय-पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में उनके निवेदन पर विचार किया जा रहा है।

प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर के विरुद्ध जांच

425. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री मैसर्स प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर द्वारा एकत्रित की गई शेयर पूंजी के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर के मामलों की जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के शेयरों की धनराशि वापिस करने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है और कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अभी और कितना समय लगेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जांच जारी है और मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है। एक परिसमापक नियुक्त कर दिया है।

(ग) और (घ) जांच पूरी होने और न्यायालय द्वारा इस मामले में आदेश जारी होने के पश्चात् शेयर पूंजी लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Land utilised by Bharat Heavy Electricals, Hardwar

426. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of Heavy Industry be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land with the Bharat Heavy Electricals, Hardwar ;

(b) the acreage of land leased out to farmers ;

(c) the acreage of land lying unutilised ; and

(d) whether the same is proposed to be leased out on temporary basis to farmers and if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 809 acres.

(b) 394 acres.

(c) 415 acres.

(d) Yes, Sir. An offer in January, 1973 has been made to the U.P. Government that the unutilised land can be leased out to farmers on a temporary basis.

मशीनी औजारों के डिजाइन और उपयोग में सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठी

427. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह उताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सेफ्टी कौंसिल और सेंट्रल मशीन टूल इन्स्टीट्यूट द्वारा १२ जनवरी, 1973 को बंगलौर में आयोजित "सेफ्टी इन दी डिजाइन एण्ड युटिलाइजेशन आफ मशीन टूल्स" (मशीनी औजारों के डिजाइन और उपयोग में सुरक्षा) सम्बन्धी गोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किए गये सुझावों और सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बंबई में हुई गोष्ठी में ये शिफारिशें की गई थीं कि राष्ट्रीय संहिता के रूप में मशीनी औजारों के लिए सुरक्षा संहिता संबंधी एक पत्र प्रकाशित किया जाए। इन पर भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो मानकों और संहिताओं के निर्माण से संबंध रखती है, विचार किया जा रहा है। चूंकि ये सुझाव मशीनी औजारों के डिजाइन बनाने वालों और इस्तेमाल करने वालों द्वारा अमल में लाये जाने वाले हैं, अत: सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

Poisonous Gases from Udaipur Zinc Limited, Rajasthan

429. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a large amount of poisonous gas (Sulphur Dioxide) is leaking out of tbe Acid and Roaster Plant of Udaipur Zinc Limited in Rajasthan resulting in pollution of air which has told upon the health of the workers and they have started falling victims to diseases like T.B. and Silicose ; and

(b) whether Government are taking any action to solve this problem on a permanent basis and, if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Labour And Rehabilitation (Shri Raghunath Reddy) : (a) and (b) The Factories Act, 1948 is administered by the State Governments and, therefore, the

subject matter of the Question concerns the Government of Rajasthan. No information in the matter is available with the Central Government. It is, however, learnt that the undertaking has recently asked the Central Labour Institute, Bombay for a detailed study for which a programme is being chalked out by the latter.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर को हुई हानि

430. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर को 1972 में तालाबन्दियों के कारण कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्या कोई स्थायी प्रबन्ध किये गये हैं और कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ है ताकि वहां भविष्य में हड़तालें तथा तालाबन्दी न हो और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर के 1 और 11 एककों में 1972 में हुई तालाबन्दी के फलस्वरूप उत्पादन में करीब 140 लाख रुपये की हानि हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

कारों तथा स्कूटरों के निर्माण के लिए आवेदन-पत्र

431. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों तथा स्कूटरों के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए;

(ख) आवेदकों के नाम तथा उनके पते क्या हैं ;

(ग) दिसम्बर, 1972 के अंत तक कितने व्यक्तियों के नाम लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी किए गए; और

(घ) इन दोनों के संबंध में कितने व्यक्तियों के नाम जारी आशय-पत्रों की समाप्त हो चुकी अवधि को बढ़ाया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जून, 1966 से कारों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों के लिए 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । अक्तूबर, 1969 से स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रों के लिए 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4223/73]

(ग) अभी तक कार का उत्पादन करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। स्कूटर का उत्पादन करने के लिए दो पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। 11 पार्टियों को कार का उत्पादन करने के लिए तथा 26 पार्टियों को स्कूटर बनाने के लिए आशयपत्र जारी किए गए हैं।

(घ) उन पार्टियों के नाम, जिनके आशयपत्रों की अवधि को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में बदलने के लिए एक या अधिक बार बढ़ाया गया है निम्न प्रकार हैं :—

(1) **यात्री कारें :—**

1. मैं० मारुति लिमिटेड,
   पालम गुड़गाँव रोड़, गुड़गाँव ।
2. श्री एम० मदन मोहन राव,
   मैं० दी मोहन मोटर कं०,
   15, रिची स्ट्रीट, माउंट रोड, मद्रास-2
3. मैं० एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन,
   चैरी रोड, सलेम-7
4. मैं० स्पीडक्राफ्ट्स प्राइवेट लि०,
   पो० आ० सहाय नगर, पटना ।
5. मैं० आरोदजी हरीदास एण्ड कं० प्राइवेट लि०,
   165-ए, पी० डी' मैलो रोड, बम्बई ।

(2) **स्कूटर**

1. मैं० जनता सहकारी समिति,
   बी-5-6, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जोधपुर ।
2. मैं० राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल
   डैवलपमेंट कारपोरेशन, 100, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
   जयपुर ।
3. मैं० आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट
   कारपोरेशन लि०, बी०-1-174, फतेह मैदान रोड,
   हैदराबाद ।
4. श्री एन० बनर्जी, प्रो० मैं० कानपुर चेक्सकश कं०,
   15/92, सिविल लाइन्स, कानपुर
5. मैं० जगदीश प्रसाद,
   तेज बहादुर सप्रू मार्ग, लखनऊ ।
6. मैं० इण्डो अफ्रीकी आटो इण्डस्ट्रीज,
   4, मेरा बाग, सान्ता क्रुज वैस्ट, बम्बई-34

7. मै० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

8. मै० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०,
"भगवती चैम्बर्स" औप० गुजरात विद्यापीठ,
आश्रम रोड, अहमदाबाद-13

9. मै० यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०,
एयरेक्टर्का आफ इण्डस्ट्रीज बिल्डिग्स,
117/420, जी० टी० रोड, पो० बा० नं० 413,
कानपुर ।

10. मै० पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट
कारपोरेशन लि०, यूनाइटेड कमर्शियल बिल्डिग्स,
(तीसरी मंजिल) सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।

11. मै० सेन एण्ड पंडित प्रा० लि०,
1, मिडल्टन स्ट्रीट, कलकत्ता-16.

12. मै० यू० पी० स्कूटर्स लि०,
79/10, लाटोरिच रोड, कानपुर ।

13. मै० कल्याणदास कन्हैयालाल,
(के० के० आर्गनाइजेशन)
4, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6.

14. श्री एम० सी० लाला,
115, प्रभात रोड,
पूना-4

15. श्री लक्ष्मण स्वरूप अग्रवाल,
68/1, नजफगढ़ रोड,
नई दिल्ली-15.

16. श्री बाबुभाई भालभाई शाह,
4593/9, इम्पीरियल बिल्डिग,
तीसरी मंजिल, कानपुर पुलिस स्टेशन के सामने
रैसलीफ रोड, अहमदाबाद 1

17. मै० हाटा आटोमोबाइल्स लि०,
हाटा हाउस, पटना ।

18. मै० मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट
एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन लि०,
"हरीनिवास" 36, कनिंघम रोड,
बंगलौर-1 बी ।

19. मै० केरला स्टेट इंजी० टैक्नीशियन्स इण्डस्ट्रियल को-औपरेटिव लि०, त्रिवेन्द्रम ।

ऐम्बेसेडर तथा प्रिमीयर कारों के मूल्यों में वृद्धि

432. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ऐम्बेसेडर कार तथा प्रिमियर कार के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक वृद्धि करने तथा स्टेन्डर्ड हैरल्ड के मूल्य में कोई परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार देश में बनाई गई तीनों मेकों की कारों का मूल्य निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक छः महीने के पश्चात् संशोधित किया जायेगा । निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य वृद्धि पर विचार करने पर यह पाया गया था कि ऐम्बेसेडर और प्रिमियर कारों की उत्पादन लागत बढ़ गई है और स्टैंडर्ड हैराल्ड कार की उत्पादन लागत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने की उत्पादन समय सूची

433. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के सहयोग से स्थापित किए गए कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने में मार्च से उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरबा ऐलूमिना संयंत्र के मार्च, 1973 के अन्तिम चरण तक चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) संयंत्र की अन्तिम उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 2,00,000 टन ऐलूमिना होगी ।

मारुति लिमिटेड द्वारा निर्मित छोटी कार

434. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार के निर्माताओं, मारुति लिमिटेड, द्वारा कार की जनता को बिक्री कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या उनके लाइसेंस देते समय इस प्रकार की कोई शर्त लगाई गई है कि यदि इस कम्पनी द्वारा एक निश्चित तिथि तक कार निर्मित न की गई और उसकी बिक्री प्रारम्भ न की गई तो कम्पनी पर हरजाना लगाया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त शर्त का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मारुति लिमिटेड का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। फर्म को केवल 50,000 यात्री-कारें प्रतिवर्ष बनाने के लिए आशय-पत्र को वाणिज्यिक उत्पादन के औद्योगिक लाइसेंस में तभी बदला जाएगा जबकि कार के आद्यरूप की सड़क पर चलने की क्षमता को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा परीक्षण के उपरान्त स्वीकृत कर दिया जायेगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया) का गठन

435. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड) पंजीकृत संस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लि०) के वर्तमान निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है :—

1—**पूर्णकाल अध्यक्ष/निदेशक**

(1) श्री एम० ए० वदूद खां, अध्यक्ष
(2) श्री ए० सी० बनर्जी, निदेशक (तकनीकी)।
(3) श्री एम० पी० वधावन, निदेशक (वित्त)।
(4) डा० एन० सी० वी० नाथ, निदेशक (वाणिज्य)।

2—**अंशकाल निदेशक**

(5) श्री पी० आर० अहूजा, महाप्रबन्धक, भिलाई इस्पात कारखाना।
(6) श्री एच० भाया, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची।
(7) श्री आर० पी० विलिमोरिया, निदेशक, कार्मिक, हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची।

(8) श्री जेम्स राज, अध्यक्ष, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ।

(9) श्री अरविन्द रे, कस्टोडियन, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, कलकत्ता ।

(10) श्री एम० सोंधी, अध्यक्ष, बोकारो स्टील लि०, बोकारो इस्पात नगर ।

(11) श्री एम० आर० याडी, सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ।

संवेदी रक्षा सामग्री का निर्यात

436. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केबल जैसी महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षा सामग्री का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन की मात्रा और दर क्या है ; और

(ग) क्या उक्त उत्पादन हमारी आवश्यकता की तुलना में फालतू है ; और निर्यात कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आर्डनेंस केबल फैक्टरी चंडीगढ़ में संचार केबलों की उत्पादन क्षमता हाल में रक्षा आवश्यकताओं से अधिक है । इस फालतू क्षमता को उपयोग करने के विचार से वाणिज्यिक आधार पर निर्यात आर्डर स्वीकार किए गये हैं । तथापि, आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

Pak Propaganda Alleging Destruction in Pak Areas by Indian Forces before Vacation

437. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the propaganda launched by Pakistan Radio that Indian Forces have caused destruction in Pakistan area previously occupied by them ; and

(b) the steps taken by Government to counter such false propaganda ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) On 5th January, 1973, Government's Spokesman categorically repudiated the false propaganda put out by Pakistan. Government's concern in the matter was also conveyed to the Pakistan Government.

समूचे भारत में समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

438. **श्री विजय मोदक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समूचे भारत में समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा फरवरी में प्रस्तावित एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इसका आशय समाचार पत्र स्वामित्व के विसरण तथा वेतन-मानों और वर्तमान महंगाई भत्ते के फार्मूले के संशोधन के संबंध में समाचार पत्र कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान केन्द्रित करना मालूम होता है । सरकार ने समाचार पत्र उद्योग के कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों को 24 और 27 फरवरी, 1973 को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव

439. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार करने की अनुमति देने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के इस्पात कारखाने की 20 लाख टन पिंड की वर्तमान वार्षिक क्षमता को 40 लाख टन अथवा इससे अधिक करने और इसे कम से कम खर्च तथा शीघ्रातिशीघ्र करने के विचार से सरकार ने जापान के निप्पन स्टील द्वारा शक्यता प्रतिवेदन तैयार किए जाने की मंजूरी दे दी है ।

उड़ीसा में कोरापुट स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कारखाने में टेलीविजन सेटों का निर्माण

440. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने

कोरापुट (उड़ीसा) स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कारखाने में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी नहीं श्रीमन् ।

हड़तालों और तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध

441. **श्री राम भगत पस्वान** :
श्री राम नारायण शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़तालों और तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है और यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

वियतनाम के बारे में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

442. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** :
श्री एम० एस० पर्ती :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के बारे में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केवल यूरोपीय देश ही शामिल हैं ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में भारत अथवा किसी अन्य एशियाई देश को आमंत्रित किया गया है ; और

(ग) क्या मूल करार में भारत का नाम आमंत्रित देशों में शामिल नहीं किया गया था ; और

(घ) एशियाई समस्याओं के हल के लिए उक्त सम्मेलन के गठन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के अलावा निम्नलिखित एशियाई देशों को भी आमंत्रित किया गया है। वियतनाम जनवादी गणतंत्र और दक्षिण वियतनाम तथा हंगेनेशिया के दो दल।

(ग) जी हां। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है।

(घ) यह सम्मेलन वियतनाम की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए है और इसका गठन संघर्ष से सम्बद्ध पक्षों से किया गया है।

कोलार तथा रायचूर खानों से निकाले गए खनिज उत्पाद

444. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, कोलार तथा रायचूर स्थित खानों से कितने मूल्य के खनिज उत्पाद निकाले गए;

(ख) इन खानों की अधिक वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर खुदाई करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या इन खानों की वर्तमान खनिज सम्पदा के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है। और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोलार स्वर्ण खानों और रायचूर जिले की हुट्टी स्वर्ण खानों से प्राप्त हुए खनिज उत्पादों का मूल्य इस प्रकार है —

कोलार स्वर्ण खानें

	स्वर्ण (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि दर पर)	**रजत** (उपोत्पाद) (बाजार की दर पर)
	(लाख रुपयों में)	
1969-70	167.25	0.43
1970-71	184.39	0.69
1971-72	190.53	0.81

हुट्टी स्वर्ण खानें

	स्वर्ण (स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासक द्वारा निर्धारित सरकारी दर पर)	रजत (उपोत्पाद) (बाजार की दर पर)
1970	226.00	0.51
1971	256.00	0.61
1972	277.00	0.53

(ख) कोलार स्वर्ण खानों के विकासार्थ, चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजना प्रायोजनाओं में, नई अयस्क के समन्वेषण एवं भूतल विकास के लिए विभिन्न प्रायोजनाएं परिकल्पित हैं। इसके अतिरिक्त, कोलार स्वर्ण खानों के कार्यक्षेत्र के बाहर भी समन्वेषी कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

विज्ञान और प्रौद्योग के बारे में समिति की 25 चक्रों से 50 चक्रों में परिवर्तन, केन्द्रीय सम्पीड़क पद्धति की तुलना में संक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में सम्पीड़कों का उपायोजन, "पित्सडवा" ताम्रों के स्थान पर पी० वी० सी० इन्सयूलेटेड ऐलूमिनियम तारों का ताम्र संवाहकों से प्रतिस्थापन और उत्तोलनों और पंपों को सम्मिलित कर हवा-चालित उपस्कर की विद्युत का संपरिवर्तन के बारे में सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए संचलनात्मक दक्षता में सुधार और उत्पादन बनाए रखने, और यदि सम्भव हो उसे वर्धित करने, की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

हुट्टी स्वर्ण खानों के सम्बन्ध में, लघु कार्य के सिवाए, 9 लाख से 18 लाख ग्राम प्रतिवर्ष तक उत्पादन वर्धित करने की प्रमुख विस्तारण प्रायोजना संपूरित की गई है। हुट्टी और आसपास के क्षेत्र की भावी अन्तःशक्ति का अच्छा होने का अनुमान है एवं और विस्तारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण प्रगति पर है।

(ग) कोलार स्वर्ण खानों की, मार्च 1972 के अन्त तक, प्रति टन 13.67 ग्राम की उच्च श्रेणी वाली 16.35 लाख टन और प्रति टन 6.36 ग्राम की निम्न श्रेणी वाली 23.42 लाख टन अयस्क की उपलब्ध राशियां थीं।

हुट्टी स्वर्ण खानों की, प्रति टन 11 ग्राम उच्च श्रेणी वाली 11.25 लाख टन और प्रतिटन 7 ग्राम निम्न श्रेणी की उसके ही बराबर मात्रा की अयस्क की उपलब्ध राशियाँ थीं।

वायुसेना में अधिकतम जन-शक्ति की सीमा लागू किया जाना

445. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वायु सेना में अधिकतम जन-शक्ति सीमा लागू करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

शिमला समझौते के सम्बन्ध में राष्ट्रपति भुट्टो को पत्र

446. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति भुट्टो को हाल में एक पत्र भेजा है जिसमें शिमला समझौते से उत्पन्न विभिन्न मामलों के बारे में भारत की स्थिति को स्पष्ट किया गया है; और

(ख) इस मामले में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) शिमला समझौते के क्रियान्वयन के बारे में भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच अनेक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है । इन पत्रों की विषयवस्तु को प्रकट करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा ।

पेरू से आये एक सद्भावना मिशन का दौरा

447. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरू से एक सद्भावना मिशन जनवरी, 1973 में भारत के दौरे पर आया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिष्टमण्डल से किस प्रकार की चर्चा हुई; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । भारत सरकार के निमंत्रण पर पेरू के राष्ट्रपति की पत्नी मैडम कानसुएलो गोन्जल्स डि लेलास्को और वहां के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की पत्नी श्रीमती जोइल डि जिमेज डि लुसिओ 24 जनवरी से 1 फरवरी 1973 तक भारत की यात्रा पर आयीं । यात्रा के दौरान राष्ट्रपति की पुत्री श्रीमती मारिआ एलेन वेलास्को डि पिन्टो भी उनके साथ थीं ।

(ख) यह निश्चय ही एक सद्भावना-यात्रा थी जिसमें आपसी हितों के मामलों पर भी विचार विमर्श हुआ ।

(ग) इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए ।

भारतीय मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा प्रयुक्त कथित आपत्तिजनक भाषा

448. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे राष्ट्रपति भुट्टो के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के विदेश मंत्री के लिए राष्ट्रपति भुट्टो ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस पर सरकार को घोर आपत्ति है । उनकी भाषा अत्यन्त आपत्तिजनक है और राष्ट्राध्यक्ष के लिए किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं है । सरकार महसूस करती है कि इस अमर्यादित विस्फोट का सबसे अच्छा उत्तर इसकी उपेक्षा ही है ।

कोयला खान कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

449. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री भालजी भाई परमार :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कर्मचारियों द्वारा 15 जनवरी, 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गयी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 15-1-1973 को कोयला खान श्रमिकों ने बड़ी संख्या में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ।

(ख) सूचना संलग्न वितरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4224/73]

मद्रास पत्तन में कार्य दर योजनाओं के बारे में श्री राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन

450. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन पर चल रही वर्तमान कार्य-दर योजनाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए बनाई गई श्रीराममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के शिविर से युद्धबन्दियों का फरार होना

451. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक शिविर में 11 जनवरी, 1973 को पाकिस्तानी युद्ध-बन्दी फरार हो गए थे ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अदालती जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । भागने का केवल एक प्रयत्न किया गया जो कैम्प गार्ड द्वारा विफल कर दिया गया ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) यह पता लगा है कि बलवाई आचरण द्वारा कैम्प से सामूहिक रूप में भागने के प्रयत्न में लगभग 800 से 900 तक युद्धबन्दी सम्मिलित थे । स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए गार्ड को बल प्रयोग करना पड़ा ।

एशियाई-अफ्रीकी विधिक सलाहकार समिति

452. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में हुई एशियाई-अफ्रीकी विधिक सलाहकार समिति की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक देश की जल-सीमा बढ़ा कर 200 मील की जाए ताकि इस बढ़े हुए क्षेत्र में उसी देश द्वारा मछलियां पकड़ने का अधिकार स्वत: सुरक्षित हो जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या रुख अपनाया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जनवरी, 1973 में नई दिल्ली में आयोजित एशिया-अफ्रीका विधि सलाहकार समिति के सम्मेलन में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि देशों की क्षेत्रीय जल-सीमा बढ़ाकर 200 मील कर दी जाए । परन्तु भारत ने तटीय देशों की क्षेत्रीय जल-सीमा से परे एक विशिष्ट मत्स्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौते के कुछ अनुच्छेदों का मसौदा प्रस्तुत किया । इस प्रस्ताव के अनुसार तटीय देश का उस

क्षेत्र में मत्स्य सम्बन्धी पूरा अधिकार एवं नियंत्रण रहेगा। प्रस्ताव में ऐसे विशिष्ट मत्स्य क्षेत्र की बाह्य सीमाएं निर्धारित करने का कार्य बातचीत द्वारा तय किए जाने के लिए कहा गया है।

भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों के निर्माण सम्बन्धी योजना

453. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौसेना के लिए और अधिक युद्धपोत बनाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इस समय, मझगौं डाक लिमिटेड लीयण्डर फ्रीगेट्स बना रहा है और शीघ्र ही पैट्रोल क्राफ्ट निर्माण परियोजना को हाथ में ले लेगा। गार्डन रीच वर्कशाप नौसेना के लिए सीवार्ड डिफेंस बोट्स आदि जैसे अन्य किस्म के अधिकतर जहाज बनाएगा।

राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान

454. **श्री के० लकप्पा :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूना में एक नया राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और उक्त संस्थान की मुख्य बातें क्या होंगी ; और

(ग) उक्त संस्थान देश में श्रमिकों के कल्याण में कहां तक सहायक होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम संस्थान की समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक संस्थान के रूप में पहले ही पंजीकृत कर लिया गया है। इस संस्थान को पूना में स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। यह संस्थान विषयों पर शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान की व्यवस्था करेगा। उस सीमा तक इसे श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए।

तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई के बारे में समिति

455. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान तापीय बिजली घरों की कोयले की आवश्यकताओं का आयोजन करने के लिए एक 10 सदस्यीय स्थायी संपर्क समिति गठित की है ;

(ख) क्या उक्त समिति खनिज कोयले की सप्लाई के लिए कोयला-खानों से तथा प्रक्षालित कोयले के लिए कोयला धोने के कारखानों (वाशरिज) से सम्पर्क स्थापित करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके कार्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : स्थायी संयोजन समिति की संरचना और निर्देश निबंधन संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1. **स्थायी संयोजन समिति की संरचना—**

1. संयुक्त सचिव (कोयला), इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) ।
2. सदस्य (तापीय), केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ।
3. निदेशक यातायात (परिवहन), रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय ।
4. प्रमुख (विद्युत) योजना आयोग ।
5. कोयला नियंत्रक ।
6. निदेशक (विपणन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ।
7. निदेशक (विपणन), भारत कोकिंग कोल ।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी अथवा उसका प्रतिनिधि ।
9. कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकरण समिति का प्रतिनिधि ।
10. उप-सचिव, खान विभाग, संयोजक ।

2. **समिति निर्देश-निबन्धन—**

1. समय-समय पर विद्यमान तापीय विद्युत घरों की कोयला अपेक्षाओं की समीक्षा करना और कोयला खानों के साथ कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए तथा प्रक्षालनशालाओं के साथ मध्यवर्तियों की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में व्यवस्थित संयोजन स्थापित करना :—

(क) समीपस्थ स्रोत से उपलब्ध और आयोजित कोयले की उत्पादन क्षमता जो रेल परिवहन का परिहार्य कर सके अथवा न्यूनतम कर सके ।

(ख) विद्युत स्टेशनों द्वारा अपेक्षित कोयले का प्रकार ।

(ग) रेल और परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता ।

(घ) कोयले के उपभोग का प्रतिमान ।

2. उन तापीय विद्युत घरों के लिए, जो पहले ही निर्माणाधीन हैं, कोयले की आपूर्ति योजित करना और उन्हें कोयला आपूर्ति के स्रोतों के साथ संयोजित करना ।

3. विभिन्न क्षेत्रों में भावी तापीय विद्युत विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कोयला क्षेत्र में विकास योग्य कोयला-उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता के संबंध में योजना और विकास के बारे में समय-समय पर सलाह देना ।

4. समय-समय पर इस बात का परीक्षण करना कि विद्युत-घरों और कोयला आपूर्ति के स्रोतों के मध्य पहले ही से स्थापित संयोजनों का किस सीमा तक पर्यवेक्षण किया जा रहा है और उनके उचित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों का सुझाव देना ।

5. कोयले की आर्थिकोपयोग्य आपूर्ति की संभावना के सम्बन्ध में नए तापीय विद्युत संयंत्रों को अवस्थापित करने की साध्यता के बारे में सरकार को सलाह देना ।

7. विद्युत घरों और कोयला क्षेत्रों के साथ संयोजनों में परिवर्तनों के सम्बन्ध में, खान विभाग, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय अथवा योजना आयोग द्वारा निर्देशित समस्त मामलों का परीक्षण करना और इस प्रकार के मामलों में सरकार को उपयुक्त सलाह देना ।

इलैक्ट्रानिक्स और राडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा शत्रु की तोपों का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण का डिजाइन तैयार करना

456. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स और राडार विकास प्रतिष्ठान ने ऐसे इलैक्ट्रानिक उपकरण का डिजाइन तैयार किया है जो शत्रु की तोपों की ठीक-ठीक स्थिति का पता दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण की विशेषतायें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इस उपस्कर की, जिसे ध्वनि परास प्रणाली (साउंड रेंजिग सिस्टम) कहा जाता है, मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) ध्वनि परास प्रणाली, जिसे पूर्ण रूप से ट्रांजिस्ट्राइज्ड किया गया है, शत्रु के किसी प्रकार के भी आर्टीलरी हथियार को चाहे गन, हावि अथवा मोर्टर, गोला अथवा स्थैतिक विस्फोट हो, का पता लगा सकती है ।

(2) इस समय प्रयुक्त उपस्कर की तुलना में यह ध्वनि परास उपस्क शत्रु की गन की स्थिति का पता लगाने में बहुत कम समय लगाता है ।

इलैक्ट्रोनिक्स राडार डवलपमैन्ट एस्टैब्लिशमैन्ट, बंगलौर द्वारा ट्रांजिस्टराइज्ड जाइरो-एम्पलीफायर का डिजाइन तैयार किया जाना

457. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड राडार डवलपमेन्ट एस्टैब्लिशमैंट, बंगलौर ने जहाजों के जाइरो-को सिस्टम सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रांजिस्टर जाइरो एम्पलीफायर का डिजाइन तैयार किया है ;

(ख) क्या उक्त जाइरो-एम्पलीफायर का नौसैनिक संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या यह नई ईजाद स्वयं में एक नया उपकरण है अथवा आयात का स्थानापन्न है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) नया आविष्कार आयात किए जाने वाले सामान का स्थान ले लेगा ।

आर्थिक विकास में बोकारो इस्पात संयंत्र का अंशदान

458. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का देश के आर्थिक विकास में निर्णायक अंशदान रहेगा;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार संबंधी कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर इस संयंत्र से पूर्व अनुमानित 25.4 लाख टन की कमी वर्ष 1980 तक पुनः पूरी हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां ।

बोकारो कारखाना अपना विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लेने के पश्चात् चपटे उत्पादों की मांग को पूरा करने में काफी सहायता देगा ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए पहले ही हर कोशिश की जा रही है ।

रूसी विश्वकोष में भारत के उत्तरी सीमाओं का न दिखाया जाना

460. **श्री राजदेव सिंह :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विश्व-कोष के नवीनतम संस्करण के दसवें खंड में जो अब उपलब्ध है, भारत की उत्तरी सीमाओं को नहीं दिखाया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मास्को स्थित अपने राजदूतावास के माध्यम से हम इस त्रुटि के लिए स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ।

Amount Paid on Account of Decrees in Civil Suits

461. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) the amount paid by the Supply Department on account of decrees in Civil suits during the years 1970, 1971 and 1972 and whether Government propose to lay a copy of the details thereof on the Table of the Sabha ;

(b) whether this happened due to mistakes or negligence on the part of officers in each case ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Supply (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The amount paid on account of decrees in Civil suits during the years 1970, 1971 and 1972 is as under :

Year	Amount paid (in Rupees)
1970	9,53,301.13
1971	12,30,795.41
1972	3,25,451.92

Details of payments made are indicated in the attached Statement. [*Placed in Library. See* No. LT—4225/73]

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Work done by Army Personnel During Peace

462. **Shri M. C. Daga :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the types of work, besides fighting, on which the forces are engaged in the country indicating the occasions and the basis when they are engaged on those works ; and

(b) whether it is not proper to engage the forces on constructive work in the country during peace times and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The main types of works on which the Army is normally employed are—

(i) Training during peace for war so that the Forces are in a constant state of readiness to meet any emergency.

(ii) Deployment on our borders. The Army is also employed for counter-insurgency operations.

(iii) Aid to civil authorities in (a) maintenance of law and order, (b) maintenance of essential services, (c) provision of relief to overcome consequences of natural calamities.

(iv) Ensuring that all equipments, vehicles and weapons held are properly maintained and kept fit for operations at all times.

(b) The peace-time tasks of the Indian Defence Forces are essentially constructive in nature. If the Army is entrusted with civilian tasks, it will detract them from efficient discharge of their duty and may impair the quality of their preparedness.

Use of Hindi in Indian Missions Abroad

463. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Hindi is in use in some of our Missions abroad and if so, the names of such Missions indicating the extent thereof ; and

(b) whether there is any proposal to promote and propagate Hindi in the Missions abroad, and if so, the pace thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes, Sir, Hindi is in use in all our Missions abroad in varying degrees, and its use is being encouraged more and more.

(b) There are schemes to promote and propagate Hindi in all our Missions and in a number of countries abroad. Hindi books are being supplied to the libraries of the Indian Missions abroad particularly in the countries where there is a sizeable population of people of Indian origin. For an effective implementation of the scheme, posts of Hindi Officers have been created for our Missions at Port Louis, Suva and Trinidad. We send Hindi films to our Missions abroad. The Indian Council for Cultural Relations also send out Hindi men of letter, scholars and lecturers to promote this cause.

Aid to Bhutan, Sikkim and Nepal

464. Shri M. C. Daga : Will the Minister of External Affairs be pleased to state

(a) the nature of aid given by India to the neighbouring countries like Bhutan, Sikkim and Nepal and the basis therefor ; and

(b) the financial aid given to these countries during the last year separately ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The aid given by India to Bhutan, Sikkim and Nepal is largely in the nature of financial and technical assistance. The aid is provided as a matter of goodwill to them and is intended to supplement their effort for the development of their effort for the development of their economy. In addition to financial and technical assistance, facilities for training and education of their personnel of India are also provided.

(b) The financial aid given to Nepal, Bhutan and Sikkim during the year 1971-72 amounted to Rs. 9.12 crores, Rs. 7.98 crores and Rs. 3.54 crores respectively.

दुर्घटनाओं के कारण जन दिवसों की हानि

465. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में दुर्घटनाओं के कारण भारतीय उद्योग को कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई ;

(ख) उनकी उद्योगवार और राज्यवार संख्या कितनी है और मृतकों और घायलों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उक्त दुर्घटनाएं सुरक्षा उपायों की कमी के कारण घटीं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

हड़तालों, कारखानों के बन्द होने तथा तालाबन्दी से 1971-72 में जन दिवसों की हानि

466. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री रोबिन ककोटी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान भारतीय उद्योगों में हड़तालों, तालाबन्दी और कारखानें बन्द होने के कारण कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई;

(ख) उनकी उद्योगवार तथा राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण (विवरण 1 और 2) 1971 के दौरान हड़तालों और ताला बंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों, राज्यवार (विवरण-1) और उद्योगवार (विवरण-2) से संबंधित सूचना का सारांश दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 4226/73]

(ग) जैसा कि वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, प्रारम्भिक विचार-विमर्शों, समझौते और न्याय-निर्णय अथवा विवाचन द्वारा कामबंदियों को कम से कम करने के औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रयास जारी हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार भी सम्मत उपाय निकालने के लिए संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करती रही है।

भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकों की स्वदेश वापसी

467. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय नागरिक पाकिस्तान में रह गए हैं तथा पाकिस्तान के कितने नागरिक अभी भारत की हिरासत में हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान को अब तक वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या भारत को लौटाए गए नागरिकों की संख्या से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान, पश्चिमी क्षेत्र में, पाक अधिकृत क्षेत्रों में पकड़े गए भारतीय असैनिकों में से करीब 250 लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में पकड़े गए इस वर्ग के सभी पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रेणी के आधार पर प्रत्यावर्तन किया गया है न कि संख्या के आधार पर।

भारतीयों द्वारा उगांडा में छोड़ी गई सम्पत्ति की पूरी कीमत

468. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उगांडा में भारतीय नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की पूरी कीमत अदा करने के लिए सरकार का उगांडा सरकार से अनुरोध करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : हमारी सरकार उगांडा सरकार पर यह दबाव डालती रही है कि भारतीय नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए समुचित और जल्दी मुआवजा दिया जाए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस प्रकार कई बार शिकायतें करने के बावजूद उगांडा सरकार ने, जब्ती के विरुद्ध कुछ सामान्य आश्वासन देने के अलावा, इस विषय में अपनी नीति अभी तक नहीं बताई है। हमारे प्रयास जारी हैं।

कर्मचारियों को उपदान की अदायगी न करना

469. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बंधुओं, टाटा बन्धुओं, साहू जैन तथा मैसर्ज इण्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को उप-दान नहीं दिया है ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उपदान का भुगतान न करने के सम्बन्ध में उल्लिखित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की ओर से केन्द्रीय सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेश में प्रचार

470. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि हमारा विदेशों में प्रचार उचित स्तर का नहीं है ; और

(ख) सरकार का प्रचार को तेज करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि विदेशों में भारत के प्रचार को बेहतर बनाने की कोशिशों को निरन्तर समीक्षाधीन रखा जाता है, फिर भी कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिससे कि भारत सरकार अपने विदेश-प्रचार प्रभाग के कार्यों से असन्तुष्ट हो। सरकार ने यह भी देखा है कि संसद के पिछले कई अधिवेशनों में विदेश-प्रचार की सराहना की गई है।

कोयला खान श्रमिकों को रोजगार देने में कदाचार

471. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में काम करने वाले अनेक श्रमिकों को भविष्य निधि और अन्य सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें सामान्यतः दी जानी चाहिए ; क्योंकि उन्हें विभिन्न नामों से काम पर रखा गया है ;

(ख) क्या संघों की सिफारिश पर उनके प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति काम पर लगाये गये हैं जिन्होंने कभी भी कोयला खानों में काम नहीं किया है जिससे वास्तविक आवश्यकता से उनकी संख्या कहीं अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचार के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान में युद्धबन्दियों के बारे में जानकारी

472. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा उसकी अभिरक्षा में रहने वाले भारतीय युद्धबन्दियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान द्वारा बतायी गई उनकी संख्या भारत सरकार की सूचना की अपेक्षा बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) पाकिस्तान ने अपने अधिकार में 639 भारतीय सैनिकों तथा पेरासैनिकों को युद्धबन्दी होना घोषित किया। उनमें से 4 उनकी हिरासत में मर गये और शेष 635 को अब स्वदेश प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा घोषित

की गई युद्धबन्दियों की सूची में जिनके नाम नहीं थे उन 369 भारतीय सैनिकों तथा पेरासैनिकों की सूचियां रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ जांच के लिए भेजी गई थीं। इन कार्मिकों के बारे में रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में अभी उनसे बात-चीत चल रही है।

इस्पात के उत्पादन में स्थिरता

473. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 और 1972-73 के बीच इस्पात का कुल उत्पादन स्थिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिरता को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1969-70 से लेकर मुख्य इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड के उत्पादन इस प्रकार हैं:—

(हजार टन)

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 (अप्रैल-जन०)	1971-72 (अप्रैल-जन०)
भिलाई	1,859	1,940	1,953	1,712	1,597
दुर्गापुर	818	634	700	578	566
राउरकेला	1,104	1,038	823	958	632
एच० एस० एल०	3,781	3,612	3,476	3,248	2,785
टिस्को	1,708	1,715	1,708	1,399	1,414
इस्को	700	627	617	352	534
कुल जोड़	6,189	5,954	5,801	4,999	4,733

उपर्युक्त तालिका से पता चलेगा कि जबकि 1970-71 तथा 1971-72 में उत्पादन 1969-70 के उत्पादन से कम था, 1972-73 में निश्चित रूप से उत्पादन में सुधार हुआ है और ऐसी आशा है कि इस वर्ष का कुल उत्पादन 1969-70 के उत्पादन से अधिक होगा।

(ख) 1970-71 तथा 1971-72 में हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में कम उत्पादन होने के कई कारण थे, जिनमें मुख्य कारण, कोक ओवन बैटरियों का सामान्य रूप से संतोषजनक ढंग से कार्य न करना, जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की

छत गिर जाना, मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, विशेषतया दुर्गापुर में तथा 1970-71 के उत्तरार्द्ध में राउरकेला इस्पात कारखाने में औद्योगिक सम्पर्क अच्छे न होना थे। प्रतिस्थापन कार्यक्रमों की उपेक्षा तथा मालिक-मजदूर सम्बन्ध संतोषजनक न होने के कारण इस्को के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(ग) जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों का सम्बन्ध है, कम्पनी के प्रबन्धक मालिक-मजदूर सम्बन्धों की परिसीमाओं में रहते हुए विशेषकर दुर्गापुर इस्पात कारखाने में औद्योगिक सम्पर्क को देखते हुए उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए दूसरे ईंधनों का उपयोग, ईंधन के साधनों में वृद्धि के लिए कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिससे बेहतर-उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजना-बद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, ऊष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना शामिल है। हाल में दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्री-स्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना शुरू की गई है।

14 जुलाई, 1972 को सरकार द्वारा इस्को के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के पश्चात् इसकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जिनमें कोलतार तथा कोक की सप्लाई, कोक भट्टियों की आपात आधार पर मरम्मत, मेटिरियल हेन्डलिंग उपकरण की प्राप्ति, स्टील मेल्टिंग शाप में क्रेनों तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन सम्मिलित है।

टिस्को पुरानी कोक भट्टियों के प्रतिस्थापन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, जिसके पूर्ण हो जाने पर काफी मात्रा में कोक की सप्लाई हो सकेगी। संधारण को सशक्त करने के लिए विशेष प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

इस दिशा में स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि० की स्थापना से भी काफी सहायता मिलेगी। इससे प्रभावी परिवेक्षण तथा समन्वय, विशिष्ट परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था होगी और कोकिंग कोल, लौह खनिज और मैंगनीज जैसे आदानों के प्रमुख संभारकों के रूप में इस्पात उद्योग के घनिष्ठ रूप से संबंधित दूसरे क्षेत्रों का लम्बमान एकीकरण और समन्वय होगा।

सरकार भी टास्क फोर्स की सावधिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सतत नजर रखती है और सभी आवश्यक सहायता देती है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वास के लिए राज्यों को सहायता

475. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्वदेश लौटे लोगों को किन राज्यों में बसाया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिलनाडु, मैसूर, केरल और आन्ध्र प्रदेश ।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की कमी

476. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम को ध्यान में रखते हुए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या विदेशों में स्थित कुछ भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या अभी भी अधिक है और यदि हां, तो उनकी संख्या कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या वहां के काम के अनुरूप है और कर्मचारियों की किसी विशिष्ट संख्या को किस व्यवस्था के माध्यम से उचित ठहराया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों के (विदेश मंत्रालय के अधीन आने वाले) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा कमी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4227/73]

(ख) जी नहीं । फिर भी, विदेश स्थित हमारे मिशनों के कार्य की जांच निरंतरता के आधार पर की जाती है । इसमें यह देखा जाता है कि कार्य पद्धति को पुनर्गठित करके एवं कार्य-प्रणाली को सुप्रवाही बनाकर क्या जन-शक्ति के साधनों में और भी कमी करना सम्भव है ।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशन एवं केन्द्रों में स्वीकृत वर्तमान कर्मचारियों की संख्या वहां की वास्तविक आवश्यकता से संबद्ध है और इसे उचित समझा जाता है । भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या को, बचत का ध्यान रखते हुए, वहां के कार्यभार एवं कार्यगत दक्षता की मांग के स्तर के अनुकूल रखने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्णतया सतर्क है । विदेश सेवा निरीक्षक,

जिनमें विदेश मंत्रालय के सचिव/अतिरिक्त सचिव और वित्त मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, समय-समय पर भारतीय मिशनों का निरीक्षण करते हैं और कर्मचारी पद्धति तथा स्थल पर पहुंच कर अध्ययन करने के बाद बचत के बारे में सिफारिश करते हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पदों को चालू रखने के लिए मंत्रालय से स्वीकृति के समय उनकी पुनः जांच होती है। प्रति वर्ष बजट अनुमानों की जांच के समय भी कर्मचारियों की आवश्यकता पर विस्तार से विचार किया जाता है।

सेलम इस्पात संयंत्र की प्रगति

477. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस परियोजना पर निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सेलम इस्पात प्रायोजना के निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

(1) **भूमि अर्जन**

संयंत्र क्षेत्र के सीमांकन के पश्चात् तमिलनाडु सरकार को भूमि अर्जन के लिए प्राधिकृत किया गया था। अब तक लगभग 559 हेक्टेयर (1,397 एकड़) भूमि अर्जित की जा चुकी है।

(2) **स्थल समतलीकरण**

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (भारत सरकार का उपक्रम) ने स्थल तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है। उन्होंने स्थल पर एक कार्यालय भी खोल दिया है।

(3) **अवस्थापना सुविधाएं**

रेलवे एक्सचेंज यार्ड तथा साइडिंग के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है।

(4) **पानी तथा बिजली**

निर्माणावस्था के दौरान पानी तथा बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। परिचालन तथा रख-रखाव अवस्था के दौरान पानी तथा बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिये गए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(5) **सेलम स्टील लिमिटेड का गठन**

प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए 25-10-1972 को सेलम स्टील लि० के नाम से एक नई कम्पनी का गठन किया गया था ।

(6) **प्राथमिक कार्य**

गमन मार्गों, जलनिकास-प्रणाली, स्थल कार्यालय गोदाम इत्यादि के निर्माण का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाएगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

1972-73 में हड़तालों, कारखानों के बन्द होने, तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों के कारण जन-दिवस की हानि

478. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री रोबिन काकोटी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के पूर्वार्द्ध में भारतीय उद्योग को हड़तालों, कारखानों के बन्द होने, तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) उनकी उद्योगवार और राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) 1972 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए राज्यवार श्रम दिनों की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध अनंतिम सूचना का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है । 1972 में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों के उद्योगवार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) जैसा कि वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, प्रारंभिक विचार-विमर्शों, समझौते तथा न्याय-निर्णय अथवा विवाचन द्वारा काम बंदियों को कम से कम करने के लिए औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र द्वारा प्रयास जारी है; औद्योगिक सम्बन्ध प्रणालियों में सुधार लाने के लिए, सरकार भी सम्मत उपाय निकालने हेतु सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श करती रही है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	113,465
2.	आसाम	27,411
3.	बिहार	722,784
4.	गुजरात	235,797
5.	हरियाना	74,351
6.	हिमाचल प्रदेश	103
7.	जम्मू व काश्मीर	15,884
8.	केरल	2,096,165
9.	मध्य प्रदेश	506,407
10.	महाराष्ट्र	1,820,255
11.	मनीपुर	——
12.	मैसूर	730,807
13.	उड़ीसा	69,168
14.	पंजाब	22,955
15.	राजस्थान	202,344
16.	तमिलनाडु	3,764,296
17.	त्रिपुरा	38,025
18.	उत्तर प्रदेश	308,883
19.	पश्चिम बंगाल	4,030,844
20.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	468
21.	चन्डीगढ़	——
22.	दिल्ली	60,218
23.	गोआ, दमन और दीव	13,390
24.	पांडिचेरी	327,957

धनबाद कोककारी कोयला खानों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की हानि

479. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद की कोककारी कोयला खानों के तीन लाख श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि के अंशदान के सम्बन्ध में लगभग 5 करोड़ रुपयों की हानि होने की सम्भावना है क्योंकि भूतपूर्व खान मालिक इस सम्बन्ध में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करना चाहते ;

(ख) क्या बहुत से भूतपूर्व खान मालिकों ने भविष्य निधि की राशि का दुरुपयोग किया था ; और

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व खान मालिकों द्वारा श्रमिकों को देय भविष्य निधि का भुगतान कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

विदेश मंत्री द्वारा जापान की यात्रा

480. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अभी हाल में टोकियो की यात्रा की थी और जापानी विदेश मंत्री तथा अन्य सरकारी नेताओं के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और उनका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मामलों पर और आर्थिक सहयोग के विषयों पर बातचीत की गई । इस बातचीत से दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्धों को मजबूत करने और एक-दूसरे की स्थिति को और दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने में सहायता मिली ।

सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त कमान का गठन

481. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के लिए संयुक्त कमान गठित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्त बातों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड

482. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों की सेवा शर्तों तथा उपलब्धियों के बारे में उनकी शिकायतों की जांच के लिए सरकार तीसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और बोर्ड कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अभी वेज बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, श्रमजीवी पत्रकारों के संगठनों से इस विषय पर सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । अतः विचार-विमर्श के लिए समाचार पत्र उद्योग के नियोजकों और कर्मकारों के प्रतिनिधियों को क्रमशः 24 और 27 फरवरी, 1973 को आमंत्रित किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों का पंजीकरण

484. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ अधिनियम की धारा 7,8,9 और 10 का उल्लंघन करते हुए पश्चिम बंगाल के मजदूर संघों के रजिस्ट्रार ने पश्चिम बंगाल के कई मजदूर संघों का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया है और साथ ही कई संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों द्वारा अपनी इच्छानुसार अपने आप को संघों में संगठित करने के उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान के प्रचार तन्त्र द्वारा रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से अनुचित लाभ उठाया जाना

485. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री भोला मांझी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रचार तंत्र द्वारा रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से अनुचित लाभ उठाया गया है ;

(ख) क्या इस समिति ने पाकिस्तानी युद्धबन्दियों सम्बन्धी कुछ सामग्री भारतीय प्राधिकारियों से जांच-पड़ताल कराये बिना पाकिस्तान सरकार को भेज दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा युद्धबंदी शिविरों के दौरों के रिपोर्टों में लिखित कुछ बिना जांचे हुए आरोपों का पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रचार करने में प्रयोग किया था। सरकार ने औपचारिक नोट के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ इस मामले को मजबूती के साथ उठाया है । इस समिति ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने संदर्भ से बाहर उद्धरणों का उल्लेख करके प्रचार के उद्देश्य से समिति की रिपोर्टों का दुरुपयोग किया था ताकि कुछ मामलों में सामान्य अर्थों को बदल दिया जाए । समिति ने भी पाकिस्तान सरकार द्वारा समिति की रिपोर्टों का दुरुपयोग करने के खिलाफ जबर्दस्त शिकायत की है ।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में आये लोगों का पुनर्वास

486. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कितने परिवार भारत आये थे ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1971 के युद्ध के दौरान, गुजरात में 1107 परिवार और इस प्रकार के 1232 परिवार राजस्थान में आए थे ।

(ख) ज़रूरतमन्द शरणार्थियों को शिविरों में राहत देने के लिए राजस्थान तथा गुजरात सरकारों को खर्च करने के अधिकार दे दिए गए हैं । उनके पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये

विदेशी राष्ट्रिक हैं और आशा है कि यथासंभव समय में ये लोग पाकिस्तान में अपने घरों को वापस चले जाएंगे ।

औद्योगिक सम्बन्ध

487. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् औद्योगिक सम्बन्धों में कोई सराहनीय सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या बोनस की न्यूनतम राशि में वृद्धि संतोषजनक नहीं रही तथा नियोजक के रूप में सरकार ने भी उतनी ही कठिनाइयों का अनुभव किया है जितनी गैर-सरकारी फर्मों ने, जिनके हड़तालों तथा बिजली में कटौती के कारण लाभ में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1969 से 1972 के दौरान, औद्योगिक विवादों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त हुए श्रमिकों की संख्या और नष्ट हुए श्रमदिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	औद्योगिक विवादों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त हुए श्रमिकों की संख्या (दस लाख में)	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (दस लाख में)
1969	26.27	1.83	19.05
1970	28.89	1.83	20.56
1971	27.52	1.62	16.55
1972 (अनंतिम)	26.14	1.35	15.18

न्यूनतम बोनस की उच्चतर दर की व्यवस्था करने संबंधी हाल के विधान पर श्रमिक वर्ग की प्रतिक्रिया लगभग सामान्यतः सन्तोषजनक रही है, यद्यपि श्रमिकों का एक भाग जो इस विधान की परिधि में नहीं आया, इसे अपने पर लागू करवाने के लिए आन्दोलन करता रहा है ।

(ग) जैसा कि वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, प्रारंभिक विचार-विमर्शों, समझौते और न्याय-निर्णय अथवा विवाचन द्वारा काम बंदियों को कम से कम करने के लिए औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा प्रयास जारी हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार भी सम्मत उपाय निकालने के लिए संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करती रही है ।

लन्दन स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के लिए नया निवास गृह

488. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त ने अपना वर्तमान सरकारी निवास गृह छोड़ने और 500 पौण्ड प्रतिमास किराये का एक महंगा मकान किराये पर लेने का निर्णय किया है ;

(ख) सरकार ने इसकी मंजूरी किन कारणों से दी है ; और

(ग) विदेशों में वरिष्ठ राजनयिकों के लिए आवासीय स्थान सम्बन्धी सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उप हाई कमिश्नर कुछ समय पहले तक भारत सरकार के अपने मकान में रहते थे। हाल ही में सरकार ने 466 पौ० महीने के किराए का एक आवास लिया। सरकार के अपने मकान में अब मंत्री (शिक्षा) रहते हैं।

(ख) उप हाई कमिश्नर जिस मकान में पहले रहते थे वह सेंट्रल लंदन से कुछ दूर है। यातायात स्थिति के खराब हो जाने से ऐसा मालूम हुआ कि सड़क पर अधिक समय लगने लगा था और उससे उप हाई कमिश्नर के कार्यालय तथा प्रतिनिधान कार्यों में बाधा पड़ती थी। सरकार ने और अधिक केन्द्रीय स्थान पर किराए का आवास लेने का निर्णय लिया जिससे अब उप हाई कमीश्नर का हाई कमीशन आदि जाने में काफी समय बचता है।

(ग) सरकार विदेशों में हमेशा अपने वरिष्ठ राजनयिकों के लिए आवास या तो खरीदने का प्रयत्न करती है या किराए पर लेने का जिससे वे समुचित ढंग से आराम से रह सकें और अधिक से अधिक कुशलता से तथा प्रभावी रूप में अपना कर्त्तव्य निभा सकें।

Expenditure on POWs

489. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the total expenditure incurred so far in the varicus heads, head-wise on the Pakistani P.O.Ws. captured during Indo-Pak War ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The total expenditure incurred on Pakistani Prisoners of War including Civilians under Protective Custody upto 31-12-1972

as per compiled actuals on the various items is as follows :—

Item	Expenditure in Rupees
Advance of Pay	1,74,40,000
Movement of Ps.O.W.	19,51,000
Clothing	17,41,000
Ordnance Stores such as : (i) Tentage (ii) Cooking utensils, (iii) Plates, mugs, Spoons & Forks, (iv) Barber tools and (v) Washerman tools	39,87,000
Ration	4,87,99,000
Medical Stores & Equipment	24,40,000
Amenities	39,000
Works carried out by the MES for POW Camps	2,27,10,000
Rent and Allied charges	29,20,000
Photographs	1,64,000
Private Letters	5,66,000
Pay & Allowances and other expenditure on staff	1,85,08,000
Other items	37,71,000
Total =	12,50,36,000

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

490. **श्री दशरथ देव :**
श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की तुलना में 1972 में भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है तथा इस समय कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि दिसम्बर, 1971 और सितम्बर, 1972 के अन्त पर क्रमश: लगभग 1,860.67 लाख रुपये और 2,156.19 लाख रुपये थी ।

(ग) छूट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान भविष्य निधि की देय राशियों की अदायगी में चूक करते हैं, उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाही की जाती है ।

(3) उपयुक्त मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों में शिकायतें दायर की जाती हैं ।

(4) चूक को नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों के ध्यान में लाया जाता है जिनमें मज़दूर संघ शामिल हैं ।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दण्ड हर्जाने लगाए जाते हैं ।

(6) कुछ मामलों में प्रतिष्ठानों को अवसर दिया जाता है कि वे पर्याप्त गारन्टी, जमानत आदि के अध्यधीन समुचित किस्तों में देय राशियों का भुगतान करें ।

(7) ऐसी कपड़ा मिलों की स्थिति में, जो दिवालिया हो गई हैं, पुनर्निर्माण योजनाओं की गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है ।

त्रिपुरा में चाय बागानों के श्रमिकों की छंटनी

491. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सभी चाय बागानों में काम करने वाले बहुत से श्रमिकों की बिना कारण बताये छंटनी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मामला अनिवार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है ।

लौह अयस्क बोर्ड

492. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसका क्या कार्य होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

लौह अयस्क बोर्ड में अध्यक्ष और 15 से अनधिक वे सदस्य होंगे जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर नाम निर्देशित किया जाएगा । तथापि, इस समय बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) श्री आर० सी० दत्त, अध्यक्ष ।
(2) श्री एम० ए० वादूद खां, सचिव, इस्पात विभाग ।
(3) श्री बी० वी० लाल, सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।
(4) श्री एम० जी० पिम्पुत्कर, सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।
(5) श्री एस० के० गुहा, संयुक्त सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय ।
(6) श्री जी० रामनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद ।
(7) श्री एस० रामचन्द्रन्, अध्यक्ष, भारत का खनिज और धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली ।
(8) श्री एम० आर० यार्डी, वित्त सचिव, नई दिल्ली ।

बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) देश में लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के समस्त पहलुओं पर योजना और विकास के बारे में सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना ;

(ख) लौह अयस्क संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए परिप्रेक्ष्य-रेखांक तैयार करना ;

(ग) सूक्ष्मों के पैलेटीकरण, नीली-धूलि और लौह अयस्क के निम्नतर श्रेणियों को सम्मिलित कर, देश के लौह अयस्क संसाधनों के आर्थिक उपयोजन को बढ़ाना ;

(घ) भारतीय इस्पात उद्योग के लिए उत्तम प्रकार के लौह अयस्क की पर्याप्त आपूर्ति के लिए योजना बनाना ;

(ङ) आंतरिक आवश्यकताओं के संसाधनों के समरूप लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों के लिए सलाह देना ;

(च) देश में लौह अयस्क निक्षेपों के संतुलित विकास के, विशेषकर उपलभ्य राशियों की अवस्थिति, निर्यात अपेक्षाओं, भारतीय इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं, रेलवे प्रसुविधाओं, पत्तन प्रसुविधाओं और वैज्ञानिक संरक्षण, मामलों में अध्ययन करना ;

(छ) लौह अयस्क के उत्पादन के लिए आधार संरचना प्रसुविधाओं के समन्वय को सुनिश्चित करना और इस प्रयोजन के लिए रेलवे पत्तनों, राज्य सरकार, निर्यात संगठनों और वित्तीय संस्थानों जैसे अभिकरणों से परामर्श करना ;

(ज) समग्रतः लौह अयस्क के सैक्टर के लिए अनुसंधान और विकास की अपेक्षाओं का अध्ययन ;

(झ) किसी भूमि अथवा भवन का, जहां कहीं भी वह हो और सोसाइटी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, क्रय, पट्टे पर लेना अथवा अन्यथा अर्जित करना ;

(ञ) सोसाइटी की समस्त अथवा किसी सम्पत्ति को बेचना, पट्टे पर देना, विनिमय और अन्यथा अंतरित करना ;

(ट) सोसाइटी की निधियों को या उसको सौंपे गए द्रव्य को सोसाइटी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित प्रतिभूतियों और पद्धतियों में विनिहित करना ;

(ठ) सोसाइटी के प्रयोजन के लिए सरकारी और अन्य वचन-पत्रों, (प्रामिसरी नोट) विनिमय-पत्रों, चैकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखितों को लिखना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, छूट देना और निक्षिपत करना ;

(ड) पत्तन मितव्ययता और नियोजन के हित में विभिन्न पत्तनों से पोत लदान के लिए लौह अयस्क पोत-भार के बराबर वितरण को प्रोन्नत करना ;

(ढ) उपर्युक्त उद्देश्यों को अभिप्राप्त करने के लिए आनुषंगिक और सहायक कर्त्तव्यों को निभाने के लिए अपेक्षित स्टाफ के नियोजन के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक समस्त विधि पूर्ण व्यय उपगत करना ;

(ण) उपर्युक्त उद्देश्यों को अभिप्राप्त करने के लिए आनुषंगिक अथवा सहायक अस्थायी संचालन व्यय की पूर्ति के लिए उधार को सम्मिलित कर, समस्त अन्य विधि पूर्ण कार्यों को करना ;

(त) विशेषज्ञों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित करना अथवा उसकी सेवाएं अभिप्राप्त करना ; और

(थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा समनुदेशित अन्य कृत्यों को करना ;

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में हड़ताल

493. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के निकट नैनी स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में हड़ताल हुई थी;

(ख) हड़ताल कितने दिन रही और इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या सरकार को वफादार मजदूरों को डराने धमकाने, मारपीट की धमकियां देने और कारखाने से माल लाने ले-जाने में हस्तक्षेप करने के बारे में सूचना मिली है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और हड़ताल को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल 16 दिसम्बर 1972 को शुरू हुई थी और 40 दिन तक रही थी । हड़ताल के कारण कम्पनी को लगभग 20 लाख रुपये के उत्पादन की हानि हुई ।

(ग) डराने धमकाने और वफादार मजदूरों को मार-पीट की धमकियों और कारखाने से माल लाने ले जाने में हस्तक्षेप करने के बारे में प्रबन्धकों को कुछ रिपोर्टें मिली थीं । कारखाने और वफादार मजदूरों के बचाव के लिए प्रबन्धकों ने जिला प्राधिकारियों की सहायता से अपेक्षित सुरक्षात्मक उपाय किये थे ।

जेनेवा समझौते के अन्तर्गत गठित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियन्त्रण आयोग का भविष्य

495. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेरिस में हुए वियतनाम शांति समझौते से लाओस के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियंत्रण आयोग का भविष्य अनिश्चित हो गया है;

(ग) क्या राष्ट्रपति निकसन के विशेष सलाहकार डा० कीसिंजर ने कहा है कि लाओस के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग शीघ्र ही पुनर्गठित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो लाओस के लिये नियंत्रण आयोग के भविष्य के सम्बन्ध में क्या सरकार ने सम्बन्धित पार्टियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम शान्ति समझौते का लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग से कोई ताल्लुक नहीं है और आयोग का अस्तित्व बना हुआ है तथा वह पूर्ववत कार्य कर रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दोनों पक्षों (आर० एल० जी० तथा एन० एल० एच० एस०) ने अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण तथा नियंत्रण आयोग के वर्तमान स्वरूप में ही उसके प्रति समर्थन व्यक्त किया है।

भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पेशकश

496. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव, श्री कुर्त वाल्डाहाईम ने भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए अपनी सेवायें देने की पेशकश की है अथवा कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फरवरी 1973 में अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान हमारे साथ भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के बारे में बातचीत की। इस विषय पर भारत सरकार के विचारों से उन्हें अवगत करा दिया गया। बाहरी हस्तक्षेप के बगैर प्रभुसत्तात्मक समानता के आधार पर पक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिये सभी मतभेदों को दूर करने के भारत के निश्चय को दोहराया गया। महासचिव ने शिमला करार पर अमल करने की दिशा में अब तक की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने हमारे इस विचार पर भी ध्यान दिया कि पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को शीघ्र मान्यता दिए जाने से आगे कीं प्रगति में सुविधा मिलेगी।

(ख) बातचीत का ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में न होगा और गोपनीय बातें बताई नहीं जाया करती हैं।

गुजरात में लघु इस्पात कारखाना

497. **श्री बेकारिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में इस्पात का एक छोटा कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस स्थान पर लगाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) और (ख) गुजरात राज्य उद्योग पूंजी निवेश निगम ने इस्पात के बिलेटों के उत्पादन के लिए भावनगर में स्क्रैप पर आधारित एक विद्युत भट्टी लगाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है और आशय-पत्र देने की सिफारिश की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध लगाये आर्थिक प्रतिबन्ध

498. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया के श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा

लगाए गए आर्थिक प्रतिवन्ध असफल सिद्ध हुए हैं; और

(ख) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात के लिए राजी करने हेतु कार्यवाही करेगा कि वे रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लागू करने के लिए आर्थिक प्रभावशाली कार्यवाही करे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1965 से लगाये गए दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध अब तक वहां के श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन को समाप्त नहीं कर सके हैं ।

(ख) इस बारे में भारत सरकार की नीति वही रही कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों के साथ निकट सहयोग से काम किया जाए । भारत ने दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों का समर्थन किया है और बहुत से मामलों में तो वह सह-प्रस्तावक भी रहा है । दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के बारे में भारत संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों के सहयोग से सभी संभव तरीके खोजता रहेगा ।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

500. **श्री रोबिन सेन :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता में विस्तार करने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या इस समय क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता का 40 लाख टन तक विस्तार करने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । कारखाने की क्षमता को 70 लाख टन तक करने के लिए कारखाने का और विस्तार करने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) इस्पात पिण्ड की 25 लाख टन की वर्तमान क्षमता के मुकाबले में, वर्ष 1972-73 में 21 लाख टन के लगभग उत्पादन होने की आशा है । उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली मुख्य दिक्कतें गर्मी के महीनों में अधिक अनुपस्थिति, अच्छी किस्म की तापसह ईंटों के न होने के कारण भट्टियों से कम उपलब्धि, अच्छी किस्म के स्टापर स्लीव उपलब्ध न होना आदि हैं ।

आर्थिक संकटग्रस्त और बन्द पड़ी कोयला खानें

501. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काफी संख्या में कोयला खाने आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अनेक खाने तो पहले ही बन्द हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसका मुख्य कारण कुप्रबन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो बन्द पड़ी कोयला खानों को फिर से चालू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संकटग्रस्त और बन्द कोयला खानों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रखी जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार ने, उन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण लंबित रहने तक, कोयला उत्पादन का युक्तिसंगत और समन्वित विकास और अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप कोयला संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) के अधीन अकोक़कारी कोयला खानों का प्रबन्ध ग्रहण किया है।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

502. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कोयला खानों के नियोक्ताओं ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) ये सिफारिशें 69 प्रतिशत श्रमिकों के सम्बन्ध में पूर्णत: और 28 प्रतिशत श्रमिकों के सम्बन्ध में अंशत: लागू की जा चुकी हैं। 3 प्रतिशत श्रमिकों के बारे में ये बिलकुल लागू नहीं हुईं।

(ख) और (ग) हाल ही में खानों का जो प्रबन्ध संभाला गया है, उससे आशा है कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी।

इस्पात की उत्पादन लागत

503. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस्पात की औसत उत्पादन-लागत कितनी है ;

(ख) क्या जापान में इस्पात की औसत उत्पादन-लागत हमारी अपेक्षा कम है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अन्तर के निश्चित कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ;

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1971-72 में इस्पात पिंड की औसत उत्पादन-लागत, जिसमें मूल्य ह्रास तथा ब्याज शामिल नहीं हैं, लगभग 456 रुपये प्रति टन है ।

(ख) और (ग) जापान में उत्पादन-लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार करने, बेहतर रख-रखाव कार्यक्रम आदि जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं । बिजली की कमी के कारण भी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इन उपायों के फलस्वरूप क्षमता का अधिक उपयोग होने से, आशा है, उत्पादन लागत कम हो जाएगी ।

गत भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के हथियारों और उपकरणों की हुई हानि को पूरा करना

505. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हथियारों और उपकरणों की और विभिन्न प्रकार की अन्य हानियों को किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है ;

(ख) सशस्त्र सेनाओं को युद्ध से पहले की भांति तैयार करने और रक्षा अनुसंधान और साधन सम्पन्नता में विकास करके उन्हें आधुनिकतम बनाने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) हम अब भी विदेशी सप्लाई पर किस सीमा तक निर्भर हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हानियों की पुनः पूर्ति स्वदेशी उत्पादन तथा अनिवार्य मामलों में विदेशों से प्राप्त कर पूरी की जा रही है ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं को तत्परता की अवस्था में रखा जाता है । यह मानना होगा कि आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ।

(ग) रक्षा प्रयोजनों के लिए विदेशी पूर्ति पर हमारी निर्भरता सीमित है ।

गणतन्त्र दिवस परेड के व्यय में वृद्धि

506. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गणतन्त्र दिवस और उसके पहले होने वाले पूर्वाभ्यासों के खर्च में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या प्रदर्शन-व्यवस्था को व्यापक आधार देने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है, जिससे भविष्य में बेहतर सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में लोग परेड को देख सकें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970, 1971 और 1972 से केन्द्र सरकार द्वारा (खलासी उड़ान को छोड़कर) गणतन्त्र दिवस समारोह पर क्रमश: 17,12,000 रुपए, 20,17,000 और 23,38,000 रुपए व्यय किए गये ।

(ख) गणतन्त्र समारोह के लिए किये गये प्रबन्धों का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक संख्या में जनता को परेड दिखाने के लिए सम्भव सीमा तक सुधार किए जाते हैं ।

Educated Unemployed

507. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the number of educated unemployed has increased considerably during the past few years ;

(b) the number of educated unemployed in various States, Statewise ; and

(c) the reaction of Government thereto and steps taken to ease the situation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) Precise information about the number of educated unemployed is not available. The only available information in this regard relates to the number of educated *job-seekers* (Matriculates and above) registered with the Employment Exchanges in the country, which is given in the statement attached.

(c) The Government has been taking all possible steps to create more and more employment opportunities to absorb the educated unemployed through the various development schemes. In addition to the large number of employment opportunities generated as a result of implementation of various development programmes included in the Fourth Five Year Plan, increasing number of job-opportunities are expected to be created by the special employment-oriented schemes and programmes taken up since the year 1970-71 including programmes for the benefit of educated persons initiated during the year 1971-72.

In the Union Budget for 1972-73 an aggregate provision of Rs. 125 crores has been

made for Special Welfare Schemes such as Primary Education ; Slum Improvement ; Rural Home Sites ; Rural Water Supply, etc. This amount includes a sum of Rs. 60 crores for Special Employment Programmes which would be for the continuation of the various employment programmes taken up in 1971-72 and for organising new programmes both in rural and urban areas.

Besides, the following schemes which are also expected to provide a large number of job opportunities to the educated unemployed, have also been recently approved by the Planning Commission :—

(i) Natural resources survey (Land and Soil Survey, Forest Survey, Ground Water Survey and Industrial Mineral Survey) ;

(ii) Investigation of Irrigation and Power Projects ; and

(iii) Survey of India Programmes.

Further, it is also proposed to formulate programmes for providing employment to 5 lakh educated persons during 1973-74.

Statement

(a) Number of educated (Matric and above) job-seekers* on the live register of Employment Exchanges.

Year	Number as at the end of the year/period
1969	15,26,250
1970	18,21,616
1971	22,95,564
1972 (June)	26,11,827

(b) Number of educated (Matric and above) job-seekers* on the live register of the Employment Exchanges as on 30th June, 1972.

State/Union Territory	Number
A. STATE	
1. Andhra Pradesh	1,68,633
2. Assam	28,214
3. Bihar	2,48,629
4. Gujarat	97,066

*All the job-seekers on the live register are not necessarily unemployed.

	State/Union Territory	Number
5.	Haryana	54,526
6.	Himachal Pradesh	15,295
7.	Jammu and Kashmir	11,031
8.	Kerala	2,27,883
9.	Madhya Pradesh	1,38,111
10.	Maharashtra	2,17,957
11.	Manipur	17,916
12.	Meghalaya	2.734
13.	Mysore	1,54,655
**14.	Nagaland	—
15.	Orissa	59,356
16.	Punjab	64,059
17.	Rajasthan	73,090
18.	Tamil Nadu	2,10,045
19.	Tripura	15,065
20.	Uttar Pradesh	2,57,507
21.	West Bengal	4,48,329
	B. UNION TERRITORY	
**22.	Andaman and Nicobar Islands	—
**23.	Arunachal Pradesh	—
24.	Chandigarh	9,414
25.	Delhi	81,162
26.	Goa, Daman and Diu	6,053
27.	Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	366
28.	Mizoram	385
29.	Pondicherry	4,346
	Total :—	26,11,827

**There is no Employment Exchange in this State/Union Territory.

चीन-भारत सीमा विवाद के सम्बन्ध में रूसी विद्वानों द्वारा भारत का समर्थन

508. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विद्वानों ने भारत में सीमा सम्बन्धी उन दावों का समर्थन किया है जिनके बारे में चीन सरकार ने दावा किया है ; और

(ख) क्या सोवियत संघ रूसी विद्वानों के मत का समर्थन करती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सोवियत समाचार पत्रों में कुछ ऐसे लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें उन देशों के प्रति चीन की सरकार के रवैये और कार्यवाहियों की आलोचना की गई है जिनकी सीमाएं चीन की सीमा से मिलती हैं और जिनमें भारत भी शामिल है। इन लेखों में भारत-चीन सीमा के संबंध में चीन सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया है।

(ख) इन लेखों पर सोवियत संघ की ओर से कोई सरकारी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है।

पाकिस्तान के साथ संचार, व्यापार और यात्रा सुविधाओं को फिर से चालू करना

509. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौते के अनुसरण में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा सीमा अंकित करने और फौजें हटाने के बाद दोनों देशों के बीच संचार, व्यापार और यात्रा सुविधाओं को फिर से चालू करने के लिए दोनों देशों में से किसी देश ने आगे कार्यवाही की है ;

(ख) क्या समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का विचार आवश्यक पहल करने का है ; और

(ग) यदि किसी भी देश द्वारा कोई पहल की गई है, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) इस विषय पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच कुछ पत्र व्यवहार हुआ है। लेकिन शिमला समझौता के पैरा 3 में उल्लिखित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए प्रतिनिधि मंडलों के आने-जाने का कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक तय नहीं हो पाया है।

भारत-चीन सम्बन्ध

510. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि निकट भविष्य में चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो जायेगा ;

(ख) क्या हाल ही में विदेश मंत्री के जापान के दौरे के समय जापान ने चीन और

एशिया के अन्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में विशेष रुचि दिखाई थी ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार करने के लिये जापान की मध्यस्थता को स्वीकार करने का है ; और इस सम्बन्ध में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई और कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार हमेशा यह आशा करती है कि चीन के साथ संबंध सुधर जायेंगे।

(ख) विदेश मंत्री ने जापान के साथ मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की।

(ग) भारत सरकार की नीति यह है कि संबंधों को सुधारने या सामान्य बनाने के लिए द्विपक्षीय तरीका सबसे अच्छा तरीका है।

(घ) सरकार चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में बराबर ईमानदारी दिखा रही है और सरकार को आशा है कि चीन की अनुकूल प्रतिक्रिया होगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

511. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में संक्षेप में क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) कौन-सी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ग) किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

512. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित प्रतिशतता सभी रक्षा प्रतिष्ठानों में उचित रूप से बनाए रखी जा रही है ;

(ख) क्या इसका पालन रक्षा विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सिविल कर्मचारियों के मामले में भी किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश न किए जाने के कारण रक्षा कर्मचारियों में असंतोष

513. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश न किए जाने के कारण, रक्षा कर्मचारियों में भारी असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) रक्षा असैनिक कर्मचारियों की ट्रेड संघों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

(ख) सरकार वेतन आयोग से सम्पर्क बनाए हुए है और ऐसी आशा की जाती है कि आयोग यथा व्यवहार्य अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देना

514. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा, रेलवे और डाक तथा तार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों समेत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को बोनस देने के संबंध में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) ऐसे कर्मचारी, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिधि से बाहर रखे गए हैं और यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान स्थिति को फिलहाल बरकरार रखना चाहिए ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता

515. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडो-चीन में परिवर्तित राजनीतिक स्थिति

के संदर्भ में क्या सरकार का विचार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर पुन: विचार करने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जैसा कि सदन में पिछले अवसरों पर बताया जा चुका है, भारत सरकार वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है और यह अनुभव करती है कि वियतनाम में चल रही अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिनिधित्व के वर्तमान ढांचे में तत्काल किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परामर्शदाता के रूप में जापान की मैसर्स निपॉन स्टील की नियुक्ति

516. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के विस्तार का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में जापान की मैसर्स निपॉन स्टील की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) देश में अन्य इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए स्वीकृत अन्य योजनाएं क्या हैं और उनके विस्तार सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा मैसर्स निपॉन स्टील को कितनी फीस दी जायेगी और उसमें से कितनी विदेशी मुद्रा के रूप में होगी।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए जापान के निपॉन स्टील को शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने की अनुमति दे दी है।

(ख) केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो भिलाई इस्पात कारखाने का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड तक विस्तार करने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है। बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में 40 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता का कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन रूसी प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था। आरम्भ में 17 लाख टन क्षमता के प्रथम चरण का ही अनुमोदन किया गया था। 40 लाख टन तक विस्तार के द्वितीय चरण के लिए पहले तैयार किये गये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन को मुख्य परामर्शदाता अर्थात् केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन अद्यतन कर रहा है। मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी भी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें वही कार्य सौंपे गये हैं जो उन्होंने प्रथम चरण में किये थे। केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो से बोकारो इस्पात कारखाने के 47.5 लाख टन तक विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी कहा गया है।

(ग) शक्यता प्रतिवेदन के लिए फीस 35 लाख रुपये दी जायेगी। कुल फीस विदेशी

मुद्रा में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त टिस्को को शक्यता प्रतिवेदन के साथ-साथ 15 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की लागत से कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए रिपोर्ट तैयार करवाने की भी अनुमति दी गई है।

प्रिंस सिंहानुक के कम्बोदियाई शासन को मान्यता देने का प्रस्ताव

517. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रिंस सिंहानुक के कम्बोदियाई शासन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार ने किसी रूप में उस सरकार के साथ कोई सम्पर्क या सम्बन्ध स्थापित किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

भारतीय सेना द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों की पाकिस्तान में रह रहे विदेशी राजनयिकों द्वारा यात्रा

518. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना द्वारा खाली किए गए कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान ने राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधियों सहित पाकिस्तान स्थित विदेशी राजनयिकों को भेजा था ;

(ख) क्या उनमें से कुछ राजनयिकों के कथित वक्तव्यों को सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त वक्तव्यों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जांच करने से सरकार को विदित हुआ है कि पाकिस्तान के प्रचार तंत्र ने कुछ राजनयिकों एवं राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को गलत उद्धरित किया। पाकिस्तान के इस झूठे आरोप को भी सरकार ने अस्वीकार किया है कि भारतीय सेना द्वारा खाली किए क्षेत्रों में जानबूझकर सम्पत्ति का विनाश किया गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दोषपूर्ण गणना की जांच

519. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के प्रमुख मज़दूर संघों की इस मांग पर विचार किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के दोषपूर्ण आधार की जांच के लिए गैर-सरकारी विशेषज्ञ समिति बनायी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार का औद्योगिक क्षेत्र कलकत्ता के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों की बंगला देश को वापसी

520. **डा० रानेन सेन** :
श्री समर गुह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 लाख बंगाली पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में बन्दियों के रूप में रखे जा रहे हैं ; और

(ख) बंगला देश सरकार जो बंगालियों की मुक्ति और उनकी बंगला देश में वापसी की मांग कर रही है, के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि कई लाख बंगालियों को पाकिस्तान में जबर्दस्ती रोक रखा है और उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान में रुके बंगलादेश के इन राष्ट्रिकों के प्रति बंगलादेश की जनता एवं सरकार की चिंता व आकुलता से भारत सरकार की सहानुभूति है। इन राष्ट्रिकों की बंगला देश वापसी का मामला एक ऐसा मामला है जो मुख्यतः बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा ही निपटाया जा सकता है परन्तु भारत सरकार यह आशा करती है कि पाकिस्तान यह महसूस करेगा कि इन निर्दोष व्यक्तियों को बन्धक के रूप में रोक रखना मानवता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मान्य आदर्शों के प्रतिकूल है।

बोकारो तथा कोरबा ऐल्यूमिनियम संयंत्रों के लिए सोवियत इस्पात सम्बन्धी समाचार

521. **श्री एच० एम० पटेल** :
श्री रामकंवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1972 के 'इकनामिक टाइम्स' में छपे

समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सोवियत संघ कोरबा ऐल्यूमिनियम संयंत्र और बोकारो संयंत्र के निर्माण के लिए भारत द्वारा मांगे गये विशेष इस्पात को उपलब्ध कराने के लिये राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कोरबा (मध्य प्रदेश) ऐल्यूमिनियम संयंत्र के लिए विद्युत विश्लेषी भाजनों की गढ़ाई के लिए 1973 के अन्तिम तिमाही के दौरान अपेक्षित विशेष इस्पात के 3000 टन की आपूर्ति के लिए सोवियत रूस के प्राधिकारियों के साथ संविदा हेतु बातचीत की जा रही है। कलकत्ता में लागत बीमा और भाड़ा सहित इसकी लागत 36.00 लाख रुपए होने की आशा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वितीय इस्पात गलनशाला के लिए संरचनाओं की गढ़ाई हेतु विशिष्ट प्रकार के इस्पात के प्लेटों और संरचनात्मकों के जिनका स्वदेशीय उत्पादन नहीं होता है, 19, 635 टन के आयात की अपेक्षा है। सोवियत रूस इससे सहमत हो गया है कि वह मई और सितम्बर, 1973 के बीच इस्पात की उपयुक्त अपेक्षाओं की आपूर्ति के लिए समस्त प्रयास करेगा। वास्तविक लागत और वितरण के विस्तृत निबंधनों को, संविदा के अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही जाना जाएगा ।

Chinese Plea for U.S. Army Presence in Asia

522. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Hari Kishore Singh :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the American Government have decided to reduce substantially the trength of the United States Army personnel stationed in the Asian countries after the ermination of Vietnam war ;

(b) whether the Chinese Government have cautioned them against doing so ; and

(c) the reaction of Indian Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government of India is not aware of any such decision.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Closure of Kedla and Jharkhand Coal Mines after take-over by Government

523. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take over Kedla and Jharkhand Coal mines of Bihar ;

(b) if so, whether the Patna High Court has stayed the implementation of Government's decision ;

(c) whether thousands of poor labourers working in the collieries have been starving after their closure since then ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken to save the labourers from starvation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) The Patna High Court has not stayed the implementation of the Government decision. However, the Custodian had filed a petition before the subordinate Judge, Hazaribagh, with a prayer to direct the Receiver to hand-over the Management of these two coal mines which are Custodia Legis property.

(c) and (d) The bulk of the labourers working in these collieries are on strike demanding *inter-alia* the termination of the Managing Contract System. The National Coal Development Corporation is taking all possible steps for expeditious decision of the Court so that the collieries can come under its management at the earliest.

पंचवर्षीय योजना में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्मी दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन

524. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिये कर्मी दल (टास्क फोर्स) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज अन्वेषण निगम

525. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खनिज संसाधनों की ब्यौरेवार खोज आरम्भ करने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित खनिज अन्वेषण निगम ने अपना प्राथमिक कार्य पूरा कर लिया है और अपना सामान्य कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) खनिज समन्वेषण निगम को 21-10-1972 को पंजीकृत किया गया और 22-11-1972 को प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की गई। निगम में 5-1-1973 से निदेशक-मण्डल की भी नियुक्ति की गई है। निगम ने देश में अपने कृत्यों को विस्तारपूर्वक करने की प्रसुविधा को दृष्टि में रखकर नागपुर में अपना मुख्यालय और कलकत्ता, लखनऊ, जयपुर तथा हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। निगम के प्रसामान्य कार्यकरण को आरम्भ करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से कार्मिकों, उपस्कर और कार्य के मदों को अन्तरित किया जा रहा है। देश के खनिज संसाधनों के समन्वेषण का कार्य किया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संविदागत कार्यों के लिए निगम द्वारा बातचीत की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि के सम्बन्ध में बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के कर्मचारियों से ज्ञापन

526. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कर्मचारी भविष्य निधि न्यास की 27 जुलाई, 1972 की बैठक के अनुसार प्रस्तावित संशोधित खण्ड को क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को मज़दूर संघ से कोई ज्ञापन पत्र अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन के साथ भविष्य निधि अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारी सूचना एकत्र कर रहे हैं। यह यथा-समय लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोरबा (मध्य प्रदेश) में कोयला खानें कल्याण संगठन के अन्तर्गत अस्पताल का खोला जाना

527. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला श्रमिक संघ, तुराकाचार, मध्य प्रदेश से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें कोयला खानें कल्याण संगठन के अधीन क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार कोरबा (मध्य प्रदेश) में एक अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, कोरबा क्षेत्र, मध्य प्रदेश की कोयला खानों के श्रमिकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

Pig Iron Exports to Japan

528. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :—

(a) the quantity of pig iron to be exported to Japan by India during the current year (1973-74) ;

(b) the quantity of pig iron exported to Japan during 1972-73 ; and

(c) the amount of foreign exchange earned from pig iron exported to Japan as also the amount of foreign exchange estimated to be earned from pig iron to be exported in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) On the basis of the market indications prior to the recent monetary crisis and the devaluation of the US Dollar Hindustan Steel Limited had estimated that export of pig iron to Japan during 1973-74 would be of the order of 300,000 tonnes.

(b) During the period April, 1972 to January, 1973 a quantity of 112,000 tonnes of pig iron was exported to Japan. Subject to the availability of ships another 70,000 tonnes of pig iron is likely to be exported in February and March 1973 making a total of 1,82,000 tonnes for 1972-73.

(c) Foreign exchange earned from 1969-70 against export of pig iron to Japan was as follows :

	FOB Value (US Dollar-in millions)
1969-70	27.0
1970-71	21.2
1971-72	7.2
1972-73	8.2 (Including estimate for Feb.-March 1973)

The F.O.B. value of export of 300,000 tonnes of pig iron during 1973-74 is estimated to be of the order of 13.2 million U.S. Dollars.

Treatment of Agriculture as Industry

529. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether agriculture has been treated as an industry ;

(b) whether Government have formulated certain specific rules under some labour law for agricultural labourers like other industries ; and

(c) if so, the broad outlines thereof and whether these rules are being implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Agriculture is covered under the Minimum Wages Act, 1948, along with various industries/employments listed in Schedule I and II of the Act. Agricultural farms run on commercial basis are also covered under the Industrial Disputes Act, 1947.

(b) Under the Minimum Wages Act, 1948, Minimum Wages Rules are framed by the Central and various State Governments. The minimum rates of wages under the Act, in respect of agricultural employment have been fixed for all the States/Union Territories.

The Central Government have also fixed minimum rates of wages for workers employed in the Military Farms, Agricultural Demonstration Farms, some Archaeological Gardens, Experimental Farm attached to I.I.T., Kharagpur and Horticultural works of CPWD in Delhi.

(c) In most of the States/Union Territories, the implementation of the Act in agricultural employment is the responsibility of the inspection staff appointed by the State Governments.

Repatriation of P.O.Ws.

531. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he made statements recently to the effect that repatriation of Prisoners

of War is possible even without the recognition of Bangladesh by Pakistan ; and

(b) if so, whether the said statements are not contrary to the declared policy of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) A section of the press had misreported the Minister for External Affairs on his interview to two visiting Pakistani journalists. During this interview, the Minister of External Affairs had in fact reiterated Government's well-known stand that Bangladesh is a necessary party to any discussion on the question of repatriation of POWs and civilian internees who had surrendered to the joint Indo-Bangladesh Command.

(b) Does not arise.

Rehabilitation of Bangladesh Refugees in India

532. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether arrangements are being made to rehabilitate the Bangladesh refugees in the country permanently ;

(b) the number of such refugees ;

(c) whether such arrangements would made for the refugees from West Pakistan ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatna Reddy) : (a) No, Sir.

(b) The total number of Bangladesh refugees who came over to India after 25-3-71 was 98.99 lakhs. 67.97 lakhs sought admission into camps and the remaining were residing outside camps with friends and relatives. All camp refugees, except 540 persons have since been repatriated to Bangladesh. These 540 persons will also be sent back to their country as soon as possible.

As regards the non-camp refugees i.e. those who were staying with their friends and relatives, most of them are reported to have returned to Bangladesh on their own. Isolated cases, as and when detected, are dealt with by the State Governments concerned in accordance with the provisions of Foreigners' Act, 1946.

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise as these are foreign nationals, and, as such, expected to go back to their homes in Pakistan.

पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण की सम्भावना

533. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड मार्शल मानेक शा ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पुन: भारत पर

आक्रमण कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार के कार्य प्रेस रिपोर्ट द्वारा प्रभावित नहीं होते। हमारी रक्षा तत्परता सभी अनुमानित सम्भाव्यताओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है।

Border Disputes

534. Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the names of the countries with which India still have border disputes;

(b) the time by which those are likely to be settled; and

(c) the particulars of the disputed places ?

The Minister Of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) China and Pakistan are the two countries which are in illegal occupation of Indian territory. In Ladakh the Chinese have illegally occupied 14,500 sq. miles of our area. In addition, through an illegal border settlement with Pakistan, China has occupied over 2,000 sq. miles of Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir.The Government of India are seeking the return of the illegally-occupied territory through peaceful means. Pakistan is in illegal occupation of approximately 30,500 sq. miles of territory in Indian state of Jammu and Kashmir. It reamins the policy of the Government to secure the return of this area through peaceful and bilateral negotiations.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

535. **श्री बक्शी नायक : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन के विस्तार की सम्भावना की जाँच कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा समांकन ब्यूरो को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए एक विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है। सम्भव विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा अर्थात् क्षमता लागत आदि शक्यता प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगा।

लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में समाचार

536. **श्री बख्शी नायक :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लघु इस्पात संयंत्रों के लिए अनेक क्षेत्रों की ओर से अनुमति मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सम्भवत: अभिप्राय विद्युत भट्टियों से परम्परागत/निरन्तर ढलाई प्रक्रिया द्वारा इस्पात पिण्ड/बिलेट उत्पादन के लिए इकाइयां स्थापित करने के बारे में मिले अनेक प्रस्तावों पर हाल में सरकार द्वारा किए गए विचार के समाचार से है। स्क्रैप की वर्तमान तथा भावी उपलब्धियों और अधिक क्षमता के सृजन की सीमित गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत रूप में 50-50 हजार टन वार्षिक क्षमता के तीन कारखाने लगाने की सिफारिशें करने का निर्णय किया गया है, जबकि सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले कारखानों को प्राथमिकता दी जायेगी और जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कारखानों के समान रूप से विसराव में सहायता मिलेगी।

विदेशों के साथ शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधियां

537. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 9 अगस्त, 1972 से अब तक किन-किन देशों से शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की सन्धियों का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) उसके प्रति उन देशों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 9 अगस्त, 1972 के बाद भारत सरकार ने किसी देश के साथ इस प्रकार की संधि का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजय नगर में इस्पात संयंत्र का शीघ्र चालू किया जाना

538. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि विजयनगरम् इस्पात संयंत्र को पांचवीं योजना में सम्मिलित करके इसे शीघ्र चालू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विजय नगर इस्पात प्रायोजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में रखा गया है और इसका प्रारम्भिक कार्य पहले ही हो रहा है। इस प्रायोजना का कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी चलता रहेगा।

मैसूर सरकार ने इस प्रायोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है परन्तु परामर्शदाताओं ने पूर्व अनुमान लगाया है कि इस प्रायोजना पर किए जाने वाले भारी पूंजी निवेश पर भारी आवर्ती हानियां होंगी, इसके कारण कुछ देरी होनी अनिवार्य है, क्योंकि प्रायोजना पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से बहुत-सी बातों पर नये सिरे से विचार करना होगा।

इस बीच भूमि अर्जन, रेलवे एक्सचेंज यार्ड तथा साईडिंग्स के सर्वेक्षण, लौह खनिज के नमूनों की जांच आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य किए जा रहे हैं।

इस प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में मैसूर सरकार को बता दिया गया है।

भारतीय नौसेना से सेवा-निवृत्त होने वाले नाविकों के पुनर्वास के लिए योजनाएं

539. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना से सेवा-निवृत्त होने वाले नाविकों की पुनर्वास संबंधी योजनाएँ क्या हैं ;

(ख) क्या 'मैकेनाइज्ड' मछली पकड़ना भी पुनर्वास का एक क्षेत्र है ;

(ग) यदि हां, तो उपलब्ध की गई विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सुविधा से कितने भूतपूर्व नौसैनिक कर्मचारियों ने लाभ उठाया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) नौसेना से सेवा-निवृत्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए अब तक अलग से कोई योजना नहीं है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवा निवृत्त होने वाले अन्य भूतपूर्व सैनिकों के समान ही उनसे व्यवहार किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमन् !

(ग) गुजरात सरकार द्वारा दी गई रियायतें :

(1) मत्स्य किश्तियों पर 10 प्रतिशत, किश्ती में लगाए जाने वाले मैरीन इंजन की कीमत पर 30 प्रतिशत और मत्स्य जालों और गियर पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की आर्थिक सहायता। शेष राशि के 100 प्रतिशत को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।

(2) जो लोग मछुवाही को व्यावसायिक आधार पर लेते हैं उन्हें राज्यों की अपनी प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत

राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को किराया-खरीद आधार पर मछुवाही किश्तियां देती है और किश्तियों के संचालन से संबंधित तकनीक के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं तथा अन्य तकनीकी सहायता देती है।

(घ) अब तक केवल एक भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी ने 1972-73 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उठाया है। केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों का लाभ उठाने वालों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

इस्पात संयंत्रों और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रशासकीय ढांचा

540. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना के बाद सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और उनके आपसी सम्बन्धों और इनके तथा इस्पात विभाग एवं स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के बीच प्रशासकीय सम्बन्धों के स्वरूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) इस ढांचे की मुख्य रूपरेखा क्या है और हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों और बोकारो इस्पात कारखाने के संदर्भ में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की होल्डिंग कम्पनी की भूमिका के अतिरिक्त प्रशासकीय भूमिका तथा दर्जा क्या होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र की सभी इस्पात कम्पनियों अर्थात् हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो इस्पात लि० और सेलम इस्पात कारखाना स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कम्पनियां होंगी। भविष्य में सरकारी क्षेत्र में लगाए जाने वाले सभी इस्पात कारखाने 'सेल' के अधीन होंगे। 'सेल' अपनी सभी सहायक कम्पनियों के कार्यों का समन्वय, नियन्त्रण और मार्गदर्शन करेगी।

'सेल' के निदेशक मण्डल का गठन हो गया है। इसमें अध्यक्ष, तीन कार्यकारी निदेशक नामत: निदेशक (वित:), निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वाणिज्य) और बहुत-से अंशकाल निदेशक होंगे। 'सेल' को अपनी विभिन्न सहायक कम्पनियों में समन्वय के लिए और निदेशक मण्डल को सभी कार्य संगठित रूप से करने के लिए कुछ सहायक कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी अंशकाल निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

सहायक कम्पनियों के निदेशक मण्डलों के अध्यक्षों की नियुक्ति 'सेल' के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से की जाएगी। सहायक कम्पनियों के निदेशक-मण्डलों में दूसरे सभी निदेशकों की नियुक्ति 'सेल' के अध्यक्ष द्वारा सहायक कम्पनी के अध्यक्ष की सलाह से की जाएगी। सहायक कम्पनियों के कारखानों के महा-प्रबन्धकों और मुख्यकार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा 'सेल' द्वारा बनाई गई चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

'सेल' अपनी सहायक कम्पनियों की आय-व्यय की आवश्यकताओं का पता लगाएगी और सरकार को एक समेकित बजट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। सहायक कम्पनियों को इक्विटी अथवा ऋण के रूप में सरकार से जितना धन लेने की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति 'सेल' के माध्यम से की जाएगी। 'सेल' वित्तीय साधनों के उपयोग में वित्तीय नियंत्रण रखने में सहायता देगी और इसलिए इसे अपनी सहायक कम्पनियों को अपने द्वारा दिए गए ऋणों पर सेवा खर्च के रूप में कुछ उगाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारत में पाकिस्तान युद्धबन्दियों के साथ व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति की पक्षपातपूर्ण टिप्पणी

541. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान युद्धबंदियों के साथ किये जा रहे व्यवहार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा पक्षपातपूर्ण टिप्पणी करने पर भारत ने समिति को विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ख) क्या किसी अन्य देश ने भी पाकिस्तान के झूठे प्रचार का समर्थन किया है, और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है, किसी भी देश ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के झूठे प्रचार का समर्थन नहीं किया है।

युद्ध-पीड़ितों का सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्वास

542. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री और मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी जिसमें 1971 के पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों के राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्वास में पेश आने वाली समस्याओं पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में श्रम और पुनर्वास मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। फिर भी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में बेघर हुए लोगों को राहत तथा पुनर्वास से सम्बन्धित कुछ विषयों के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्री को एक नोट दिया था। ये विषय सक्रिय विचाराधीन हैं ।

शहीदों के बच्चों द्वारा सेवाओं और शैक्षणिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की सुविधाओं का उपयोग

543. **प्रो० नारायणचन्द्र पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहीदों के बच्चों द्वारा देश में सेवाओं और शैक्षणिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की सुविधाओं का पूर्णतया उपयोग किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार इन सुविधाओं को पर्याप्त समझती है अथवा यह समझती है कि इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : युद्ध में मारे गए सैनिकों के बच्चों के लिए सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं है लेकिन सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ऐसे प्रत्येक परिवार में से दो सदस्यों तक को बिना रोज़गार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए नियुक्त किया जा सकता है। युद्ध में मारे गए सैनिकों के बच्चों को दाखिले में वरीयता दी जाती है। कुछ मेडिकल संस्थानों में उनके लिए स्थानों का कुछ कोटा भी निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने 1971 की संक्रियाओं में मारे गए अथवा स्थायी रूप से अशक्त हुए सैनिकों के बच्चों को सभी मान्यता-प्राप्त स्कूलों में प्रथम डिग्री स्तर तक पुस्तकों की कीमत, स्टेशनरी, वर्दी, भोजन और आवास सहित मुफ्त शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है। राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के आदेश दिये हैं। उपर्युक्त सुविधाओं को संतोषजनक समझा जाता है।

परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता

544. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय व्यक्तियों के नाम और स्थायी पते क्या हैं जिन्हें वर्ष 1972 के अन्त तक परमवीर चक्र दिये गये हैं ;

(ख) उनमें से उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो जीवित हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उनके लिए क्या सुविधाएं तथा उपलब्धियां मंजूर की हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) 1972 के अन्त तक परमवीर चक्र पाने वालों के नाम और उनके स्थायी निवास स्थान, जहां उपलब्ध हैं, नीचे दिये गए हैं। शेष मामलों में स्थायी निवास स्थानों और परमवीर चक्र पाने वालों के नामों के सम्बन्ध में सूचना, जो जीवित हैं, एकत्र की जा रही है।

नाम	जिस तारीख को पुरस्कार अधि-सूचित किया गया था।	स्थायी निवास स्थान
1. मेजर सोमनाथ शर्मा (आई० सी-521) कुमाऊं (मरणोपरांत)	26-1-1950	ई-डिफैंस कालोनी, नई दिल्ली।
2. नं० 22356 लांस नायक करमसिंह, एम० एम० सिख रेजिमेंट	26-1-1950	मालूम किया जा रहा है।
3. सेकंड लेफ्टि० (अब मेजर) आर० आर० राने (एस० एस-14246), इंजीनियर्स (निर्मुक्त)	21-6-1950	23 यशवंत नगर गणेश खिंड रोड, पुणे-7
4. नं० 27373 एन० के० जदूनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट (मरणोपरांत)	11-12-1950	मालूम किया जा रहा है।
5. नं० 2831592 सी० एच० एम० पीरूसिंह, राज० राइफल्स (मरणोपरांत)	26-1-1952	मालूम किया जा रहा है।
6. कैप्टन जी० एन० सेलेरिया (आई० सी-8497) गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)	24-1-1962	ग्राम जंगल, डाकघर परोता, गुरदासपुर
7. मेजर धनसिंह थापा (आई० सी-7990) गोरखा राइफल्स	12-11-1962	ग्राम ठाकुरपुर, देहरादून।
8. जे० सी-4547 सूबेदार जोगिन्द्रसिंह, सिख रेजिमेंट	12-11-1962	मालूम किया जा रहा है।

नाम	जिस तारीख को पुरस्कार अधि-सूचित किया गया था।	स्थायी निवास स्थान
9. मेजर शैतान सिंह (आई० सी-6400) कुमाऊं (मरणोपरांत)	26-1-1963	ग्राम बनासर डाकघर फलौदी, जिला जोधपुर
10. ले० कर्नल ए० बी० तारपुर (आई० सी०) पूना हार्स (मरणोपरांत)	17-9-1965	3 पर्वती विलासपुर गोलीबार मैदान, पुणे-1
11. 2639985 सी० क्यू० एम० एच० सिंह अब्दुल हमीद, ग्रिनेडियर्स (मरणोपरांत)	17-9-1965	ग्राम धामपुर डाकघर जलालाबाद, तहसील सैयदपुर, गाजीपुर (उ०प्र०)
12. मेजर होशियार सिंह (आई० सी-14608) ग्रिनेडियर्स	20-1-1972	ग्राम सीसाना जिला रोहतक, हरियाणा
13. फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखों (10877) फ्लाइंग ब्रांच (पायलट); (मरणोपरान्त)	20-1-1972	ग्राम तथा डाकघर इसेवाल जिला लुधियाना (पंजाब)
14. सेकंड लेफ्टि० अरुण क्षेत्रपाल (आई० सी-25067) 17 हार्स (मरणोपरान्त)	20-1-1972	बी-24 नारायण, नई दिल्ली-28
15. नं० 4239746 लांस नायक अलबर्ट एक्का, गार्डर्स (मरणोपरान्त)	20-1-1972	ग्राम जरी, डाकघर चैनफुट, रांची (बिहार)

(ग) 1 जनवरी, 1972 से पूर्व कमीशंड अफसर से नीचे के परमवीर चक्र पाने वालों को केन्द्रीय सरकार से 50 रु० प्रतिमाह मिलते थे। 1 जनवरी, 1972 से इस भत्ते को बढ़ाकर 100 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है और यह भत्ता कमीशंड अफसरों सहित सभी परमवीर चक्र पाने वाले को ग्राह्य कर दिया है। यह भत्ता दो जीवन तक ग्राह्य है, अर्थात् पुरस्कार पाने वाले को और उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा को। यदि पुरस्कार पाने वाला अविवाहित है तो वित्तीय भत्ता उनके माता-पिता को दिया जाता है। विधुर के संबंध में लड़के/अविवाहित लड़की को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परमवीर चक्र पुरस्कार (कमीशंड अफसरों सहित) के प्रत्येक प्राप्तकर्ता को

संबंधित राज्य से एक मुश्त नकद पुरस्कार भी मिलता है। नकद पुरस्कार की राशि में भी राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा संलग्न विवरण अनुसार समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4228/73]

2. परमवीर चक्र पानेवाले नेपाल में रहने वाले प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारत सरकार ने 15,000 रु० की राशि मंजूर की है।

3. पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा उसके निकट संबंधी को वस्तुत: मिलने वाले अथवा मिल रहे अतिरिक्त लाभ अथवा वित्तीय सहायता के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

विक्टोरिया-क्रॉस विजेता

545. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय व्यक्तियों के नाम और स्थायी पते क्या हैं जिनको 14 अगस्त, 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस दिये थे ;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों में उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जो अभी जीवित हैं ;

(ग) उनको इस समय क्या उपलब्धियाँ पेंशन की राशि तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं और क्या उन्हें परमवीर चक्र विजेताओं के समान समझा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनको इस सम्बन्ध में समान दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) विक्टोरिया क्रॉस पाने वालों के नामों की एक सूची संलग्न है। इसमें उनका नाम भी दिया गया है जिन्हें पुरस्कार मरणोपरान्त दिया गया था। अन्य मामलों में यह पता नहीं है कि क्या पुरस्कार पाने वाला जीवित है अथवा नहीं, और यह सूचना बाद में सभा के पटल पर रखने के लिए एकत्र की जा रही है।

पुरस्कार पाने वालों के पतों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह उनके रिकार्ड कार्यालयों से जहां तक उनके पास उपलब्ध है एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं ; क्रॉस देने के लिए कोई आर्थिक भत्ता नहीं मिलता। तथापि, अन्य रैंकों सहित जे० सी० ओज और एन० सी० ओज जो विक्टोरिया क्रॉस लिए हुए हैं, वे अपने वेतन तथा पेंशन के अतिरिक्त क्रमश: 70 रुपये प्रति माह तथा 35 रुपये प्रति माह आर्थिक भत्ता पाने के पात्र हैं। विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं को कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती।

परमवीर चक्र विजेता, चाहे कमीशन प्राप्त अफसर हों अथवा जे० सी० ओ० अथवा एन० सी० ओ० हों, जनवरी, 1972 से वेतन या पेंशन के अतिरिक्त 100 रुपए प्रति माह आर्थिक भत्ता पाते हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमन् !

विवरण

विक्टोरिया क्रास पाने वालों के नामों की सूची

क्रम संख्या	रैंक	नाम	
1.	नायब सूबेदार	अब्दुल हफ़िज	(मरणोपरान्त)
2.	हवालदार	चेल्लुरम	(मरणोपरान्त)
3.	नायक	फजलदीन	(मरणोपरान्त)
4.	लेफ्टिनैन्ट	कमरजीत सिंह	(मरणोपरान्त)
5.	सूबेदार	नेत्रबहादुर थापा	(मरणोपरान्त)
6.	नायब सूबेदार	प्रकाश सिंह	(मरणोपरान्त)
7.	नायब सूबेदार	रामस्वरूपसिंह	(मरणोपरान्त)
8.	सूबेदार	रिछपाल राय	(मरणोपरान्त)
9.	रायफल मैन	शेर बहादुर थापा	(मरणोपरान्त)
10.	रायफल मैन	थामन गुरुंग	(मरणोपरान्त)
11.	नायक	यशवन्त घाडगे	(मरणोपरान्त)
12.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	अगनसिंह राय	
13.	लेफ्टिनैन्ट जनरल	पी० एस० भगत,	पी० बी० एस० एम०
14.	लान्स/नायक	मानभक्त गुरुंग	
15.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	भण्डारी राय	
16.	नायक	चत्तासिंह	
17.	सूबेदार	दरवानसिंह नेगी	
18.	सूबेदार मेजर	गजे घाले	
19.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	गंजू लामा	
20.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	गेन सिंह	
21.	रिसाल्दार	गोविन्द सिंह	
22.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	इशर सिंह	

क्रम संख्या	रैंक	नाम
23.	रिसाल्दार	बदलू सिंह
24.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	कमल राय
25.	रायफल मैन	करन बहादुर राणा
26.	रायफल मैन	कुलबीर थापा
27.	रायफल मैन	लछीमन गुरुंग
28.	रायफल मैन	गोबर सिंह नेगी
29.	हवालदार	नन्द सिंह
30.	हवालदार तथा मानार्थ नायब सूबेदार	नामदेव जधाओ
31.	मेजर	प्रकाश सिंह
32.	सूबेदार मेजर तथा मानार्थ कैप्टन	उमराव सिंह

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करना

340. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में किन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई और वर्ष 1973-74 में यह योजना किन-किन क्षेत्रों में लागू कर दी जायेगी ; और

(ख) उड़ीसा में अब तक कितने कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) 1. वर्ष 1971-72 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना उड़ीसा के किसी नये क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं की गई।

2. 1972-73 के दौरान, यह योजना निम्न केन्द्रों में विस्तृत की गई ।

(i) बेहीमपुर,

(ii) गंजाम ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने इस योजना को मार्च, 1973 के दौरान निम्न क्षेत्रों में विस्तृत करने के लिए आरजी तौर पर विचार किया है :—

1. लात्काता ।

2. बेल्पाहार

3. बार्डोल ।

3. वर्ष 1973-74 के दौरान इस योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का विचार किया गया है :—

1. जोडा ।

2. राउरकेला (हिन्दुस्तान स्टील्स की इकाइयों को छोड़कर) ।

3. हीराकुड ।

(ख) अब तक 35,650 कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है ।

राउरकेला इस्पात कारखाने में कोयले की कमी

547. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुकिंग कोयले की अत्यधिक कमी के कारण राउरकेला इस्पात कारखाने को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जनवरी, 1973 में कुछ समय तक राउरकेला इस्पात कारखाने में कोकिंग कोयले का स्टाक न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम हो गया था लेकिन सभी सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा समय पर कार्यवाही करने से राउरकेला में कोकिंग कोयले का स्टाक पूरा कर लिया गया है।

उड़ीसा में मलंगटोली लोहा खानों का कार्यकरण

548. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मलंगटोली लोहा खानों में नवम्बर, 1972 में इसके उद्घाटन के समय से ही काम बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मलंगटोली परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस खान के कार्यकरण के लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेपों में से 6000 लाख टन तक लौह अयस्क की उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को आवश्यक प्रौद्योग-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु अतिरिक्त भूवैज्ञानिक, धातुकर्मीय और इंजीनियरी अध्ययन करने के लिए निर्देश दिया गया है।

देश में तांबा अयस्क के भंडार

549. **श्री भोला मांझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तांबा अयस्क कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध होने का अनुमान है ;

(ख) देश में तांबा अयस्क के भंडार मुख्य रूप से कहां-कहां पर हैं ;

(ग) आजकल कितनी मात्रा में तांबा अयस्क निकाला जा रहा है ; और

(घ) तांबा अयस्क के खनन तथा परिशोधन में सरकार ने कुल कितनी राशि लगायी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) देश में उपलब्ध ताम्र अयस्क की कुल उपलभ्य राशियां लगभग 2,850 लाख टन है जिनमें लगभग 39 लाख टन ताम्र धातु अन्तर्विष्ट है।

(ख) देश में ताम्र अयस्क संसाधनों के मुख्य केन्द्र राजस्थान, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रमशः खेतड़ी, सिंहभूम, अग्निगुंडला और मालंजखण्ड ताम्र पट्टियां हैं।

(ग) इस समय, भारतीय ताम्र संकुल, घाट सिला की ताम्र अयस्क की उपलभ्य राशियों का लगभग 13,000 टन ताम्र धातु उत्पादन के लिए समुपयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा, राजस्थान के खेतड़ी ताम्र परियोजना में और बिहार के राखा ताम्र परियोजना में विकासात्मक ताम्र अयस्क उत्पादन भी आरम्भ किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ताम्र अयस्क उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	राज्य	उत्पादन वर्ष	
		1971	1972
1.	राजस्थान	59,080 टन	175,775 टन
2.	बिहार	607,269 टन	692,868 टन
3.	मैसूर	30 टन	55 टन

(घ) सरकार द्वारा ताम्र अयस्क के खनन और प्रसंस्करण के लिए किया गया कुल पूंजी विनिधान 90 करोड़ रुपये है जिसमें मैसर्स भारतीय ताम्र निगम को, उनके उपक्रम के अर्जन के लिए, संदत्त 7.5 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में प्लाटों का आवंटन

550. **श्री भोला मांझी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में 1106 प्लाट उन लोगों को आवंटित किये जायेंगे जिन्हें अब तक कोई वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं। प्लाटों को नीलाम द्वारा बेचा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवाणु शस्त्रों तथा विषैले शस्त्रों सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देश

551. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवाणु शस्त्रों तथा विषैले शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उनके विकास, उत्पादन और जमा करने सम्बन्धी संधि पर किन-किन देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जीवाण्विक तथा विषैले शस्त्रों के विकास, उत्पादन और भण्डारण निषेध तथा उनके विनाश से सम्बद्ध समझौते पर अब तक 107 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले देशों की सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4229/73]।

विभिन्न शिविरों से पाकिस्तानी-युद्धबन्दियों का भाग जाना

552. **श्री आर० के० सिन्हा** :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री 16 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1972 से आज तक महीनेवार कितने युद्धबन्दियों ने विभिन्न शिविरों से भागने की चेष्टा की, कितने वास्तव में भाग जाने में सफल हुए और कितने मारे गये ;

(ख) क्या भाग जाने वाले युद्धबन्दियों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या शिविरों के गार्डों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क)

मास	भागने का प्रयत्न करने वालों की संख्या	भाग गये उनकी संख्या	मारे गये उनकी संख्या
नवम्बर, 72	4	1	1
दिसम्बर, 72	2	शून्य	शून्य
जनवरी, 73	16	शून्य	5
फरवरी, 73	1	1	शून्य
	23	2	6

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) कैम्प गार्ड अपनी ड्यूटियों पर असावधान नहीं पाए गए अत: उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में तालाबन्दी

553. **श्री यमुनाप्रसाद मंडल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में एक महीने से भी अधिक समय तक तालाबन्दी रखी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप, एक त्रिपक्षीय समझौते के बाद, हिन्दुस्तान केबल्स कारखाने में तालाबन्दी उठा दी गई है और श्रमिक 17 जनवरी, 1973 से पुन: अपने काम पर आ गये ।

Rehabilitation of Indian Repatriates From Uganda

554. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of labour and Rehabilitation be pleased to state the steps taken so far by Government of India for rehabilitation of Indian Repatriates from Uganda ?

The Minister of Labour And Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : Government have extended the age concession for purposes of appointment to posts under the Government of India, sanctioned to nationals who have migrated from East

African countries, including Uganda, for a further period of one year i. e. upto 31st December, 1973. For recruitment to posts/services which are filled otherwise than through the Union Public Service Commission, such repatriates who were employed in Government service are granted priority-III through the Employment Exchange.

Other schemes for their rehabilitation are under formulation in consultation with the Governments of the states concerned.

Proposals to set up Hindi Bhavans Abroad

555. Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up 'Hindi Bhavans' in foreign countries for the promotion and propagation of Hindi;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) whether foreign Embassies in India have shown some interest in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. There are no Hindi Bhavans contemplated for the time being but under the Government of India's scheme for the propagation of Hindi abroad, Hindi books are being supplied to the libraries of the Indian Missions abroad, particularly in countries where there is a sizeable population of people of Indian origin. We send Hindi films to some of our Missions and Hindi classes have also been organised in some of them. Indian Council for Cultural Relations also sends out Hindi men of letter, scholars and lecturers in some of the foreign countries.

(b) & (c) Do not arise.

प्रिंस सुवन्नह फूमा के दिल्ली के दौरे के दौरान चीनी प्रतिनिधियों से वार्ता

556. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रिंस सुवन्नह फूमा के दिल्ली के दौरे के दौरान चीनी तथा भारतीय प्रतिनिधियों में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी उद्योग में समान मजूरी

557. **श्री ए० के० गोपालन** :

श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे देश में बीड़ी उद्योग में समान न्यूनतम मजूरी लागू करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गई हैं ; और

(ग) न्यूनतम मजूरी की प्रस्तावित दर क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) 17 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में हुई राज्य श्रम मंत्रियों की एक बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी-दरों में विषमताओं को कम करने के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर (3.50 रुपये प्रतिदिन तक की विभिन्नताओं के साथ) 3.25 रुपये प्रतिदिन तक लाया जाए, परन्तु यह कुछ राज्यों/क्षेत्रों में पहले से प्रचलित उच्चतर मजदूरी-दरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर हो । राज्य सरकारों से अगली कार्यवाही तदनुसार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों पर नियंत्रण

558. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सांस्कृतिक केन्द्रों पर नियंत्रण रखने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या कुछ विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों ने अपनी गतिविधियों पर इस प्रकार की निगरानी रखने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है, यदि हां, तो उन सांस्कृतिक केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन सांस्कृतिक केन्द्रों से अपने अधिकार में लिये जाने वाले पुस्तकालयों के नाम क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेशी मिशनों और संगठनों के सांस्कृतिक कार्य-कलापों के नियमन के लिए सरकार ने एक रूपरेखा निश्चित कर दी है । इसकी मुख्य बातें दिनांक 10 सितम्बर, 1971 के नोट में दी गई हैं, जो भारत स्थित सभी विदेशी मिशनों को भेजा गया था, इसकी प्रति संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 4230/73]

(ख) संबंधित विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र समय-समय पर इस रूपरेखा के क्रियान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण मांगा करते हैं जो उन्हें दे दिया जाता है ।

(ग) विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों से पुस्तकालयों के लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं

है ; हालांकि योजना के अन्तर्गत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ही पुस्तकालयों का प्रबन्ध करेगी ।

इस्पात का आयात

559. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 23 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों से इस्पात का आयात किया गया और उस का मूल्य कितना था ;

(ख) क्या इस्पात के आयात पर विदेशी मुद्रा की खपत में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों में आयात किये गये लोहे और इस्पात का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4231/73] । विवरण से पता चलेगा कि आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य जो 1969-70 में 83.01 करोड़ रुपये था, 1970-71 में बढ़कर 149.18 करोड़ रुपये तथा 1971-72 में 244.79 करोड़ रुपये हो गया ।

गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई झांकियों की नीलामी

560. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई विभिन्न राज्यों की झांकियों की इस वर्ष दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला में की गई नीलामी से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) इन झांकियों के निर्माण पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ; और

(ग) क्या सरकार इन झांकियों को नाटक मंडलियों अथवा ड्रामा कम्पनियों को उचित मूल्य पर बेचने जैसे किसी अन्य सुझाव पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पंजाब तथा गुजरात को छोड़कर, जिनके प्रतिनिधि अपनी झांकियों की नीलामी कराना नहीं चाहते थे, शेष सभी झांकियों की नीलामी से 7,768 रुपये की धनराशि प्राप्त की गई ।

(ख) चार झांकियां बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1,49,300 रुपये खर्च किए गए। राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई झांकियों पर उनके द्वारा किए गये खर्च का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) झांकियां लागत मूल्य पर बेचने के लिए नाटक मंडलियों अथवा ड्रामा कम्पनियों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। यदि भविष्य में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ तो उस पर विचार किया जाएगा।

1973-74 में इस्पात की कमी पूरी करने के लिए इस्पात का आयात

561. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में उसके आयात का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 के दौरान कितने इस्पात का आयात किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) किस देश से आयात किया जायेगा; और

(घ) आयातित इस्पात का कितना मूल्य होगा और उसकी अदायगी कैसे की जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के आयात को वर्ष 1972-73 की आयात व्यापार नियन्त्रण नीति में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार विनियमित किया जाता है। इस नीति के अनुसार इस्पात का आयात वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों अथवा उनके नुमाइन्दों और माध्यम अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

पंजीकृत निर्यातकों को अपने निर्यात आर्डर पूरे करने के लिए जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में देश में इस्पात उपलब्ध न हो आयातित इस्पात की सप्लाई करने की एक योजना भी 18 अप्रैल, 72 से लागू है। इन योजनाओं के अधीन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा आयात किया जा रहा है। इस योजना के अधीन सरकार ने सिद्धान्तत: 3 लाख टन इस्पात के आयात की स्वीकृति दे दी है। परन्तु वास्तविक आयात इन्जीनियरी सामान के निर्यातकों द्वारा समर्पित रिलीज आर्डरों पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त सरकार ने एक इस्पात बैंक की स्थापना की है जिसका संचालन हिन्दुस्तान स्टील लि० करेगी। बैंक को इस्पात का आयात करके ऐसी दुर्लभ श्रेणियों के इस्पात की, जिसका कि सामान्य आयात नीति के अधीन आयात करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) 1973-74 में आयात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा और मूल्य का इस समय ठीक-ठीक अनुमान के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि यह इस्पात की माँग, घरेलू उपलब्धि और

विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है । फिर भी 1973-74 में 10 लाख टन के लगभग आयात का अनुमान है ।

(ग) प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर उचित प्रकार के माल की उपलब्धि और विदेशी मुद्रा के आधार पर इस्पात का आयात सामान्यत: जापान, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया, आस्ट्रीया, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, बेल्जियम, हालैण्ड, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका से किया जाता है ।

(घ) मूल्य आयात के स्रोत और किस्म पर निर्भर होता है तथा अलग-अलग वस्तु के लिए अलग-अलग होता है । यदि इस्पात का निर्यात करने वाले देश के साथ उधार का कोई समझौता न हो तो शत-प्रतिशत भुगतान अपरिवर्तनीय शाख-पत्र के जरिये स्थल पर किया जाता है । भुगतान लदान की साक्षी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों जैसे लदान पत्र, परीक्षण प्रमाण पत्र, स्रोत बीजक आदि पर किया जाता है ।

इटारसी स्थित सेन्ट्रल प्रूफ एस्टेब्लिशमेन्ट क्षेत्र से हटाए गए लोगों का पुनर्वास तथा उन्हें दिया गया मुआवजा

562. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी के सेन्ट्रल प्रूफ रेंज में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ;

(ख) रेंज बनाने के लिए कितने गाँव खाली किए गए, उनमें से कितने लोग निकाले गए और उनका वैकल्पिक पुनर्वास कैसे किया गया और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) क्या उन सबका अब तक पुनर्वास नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं और उनका पुनर्वास कब तक किया जायेगा ?

रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (i) रेंज के अन्दर कायर लेनों को इस प्रकार से स्थित किया गया है जिससे रेंज की परिधि से बाहर पड़ने वाली सिविलियन जनता और गाँवों के जान-माल को कोई हानि न हो ।

(ii) 1938 के फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टीलरी प्रैक्टिस एक्ट के अन्तर्गत इटारसी की रेंज के सम्पूर्ण क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ।

(iii) आग से बचाव के लिए अग्नि शमन उपस्कर और प्रशिक्षित व्यक्ति स्थापना में दिए गए हैं ।

(iv) रेंज के ऊपर से 12000 फुट से नीचे की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए महा-निदेशक सिविल विमानन, नई दिल्ली द्वारा एक अधिसूचना जारी की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) 6297 आबादी (1145 परिवार) के कुल 29 गाँव इससे प्रभावित हुए थे। इन हटाए गए व्यक्तियों को बसाने का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश सरकार का है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को 10 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त उखाड़े गए व्यक्तियों को रेंज क्षेत्र में खाली किए गए मकानों के ढाँचों को 10 प्रतिशत अधिग्रहण मूल्य पर तोड़ने और हटाने की आज्ञा दे दी गई थी। सेन्ट्रल प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट ने स्थानीय और उखाड़े गए व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मार्ग निकाला है और अब तक स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित 165 व्यक्तियों को स्थापना में नौकरी दी जा चुकी है।

केन्द्रीय शस्त्र परीक्षण संस्थान

563. **श्री वीरेन्द्र सिह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्मित शस्त्रों के परीक्षण केन्द्रों की संख्या और नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन केन्द्रीय शस्त्र परीक्षण संस्थानों की क्षमता क्या है ; और

(ग) उसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रक्षा सेवाओं के लिए हथियारों तथा गोला-बारूद के परीक्षण का कार्य करने के लिए 10 परीक्षण स्थापनाएं हैं। उनके नाम तथा स्थान निम्नांकित हैं :—

(1) लांग प्रूफ रेंज, खमरिया।

(2) सैंट्रल प्रूफ इस्टाब्लिस्मैंट, इटारसी।

(3) इंस्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, किर्की।

(4) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, चन्दा।

(5) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, अवादी।

(6) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, वरंगांव।

(7) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, कानपुर।

(8) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, त्रिचनापल्ली।

(9) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, ईशापुर।

(10) प्रूफ और एक्सपैरीमैंटल इस्टाब्लिशमेंट, बालाशोर।

व्यापारिक फर्मों द्वारा बनाए गये असैनिक हथियारों के परीक्षण के लिए परीक्षणगृह

निम्नांकित स्थापनाओं में कार्य कर रहे हैं :—

(1) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, ईशापुर ।

(2) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स, कानपुर ।

(3) इन्स्पैक्टोरेट आफ आर्मामेंट्स खमरीया ।

(4) कन्ट्रोलरेट आफ इन्स्पैक्सन (एम्यूनेशन) किरकी ।

(ख) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) जब कभी और जहां कहीं आवश्यक होता है परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जाती है ।

उड़ीसा में नेवल ब्वायज़ सेन्टर के लिए स्थान

564. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित नेवल ब्वायज़ सेन्टर के लिए इस बीच स्थान का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो स्थान का चुनाव शीघ्र करने में क्या रुकावटें हैं ; और

(ग) पारादीप के साथ-साथ उड़ीसा के वे अन्य स्थान कौन-से हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् !

(ख) और (ग) ब्वायज प्रशिक्षण स्थापना के लिए उड़ीसा में चिलका लेक तथा पारादीप सहित विभिन्न स्थल विचाराधीन हैं और इनके पक्ष-विपक्ष का अध्ययन किया जा रहा है ।

राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

565. **श्री अजुँन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राऊरकेला इस्पात कारखाने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो उसमें क्या कठिनाइयां हैं ? और

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने का 18 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता से अधिक विस्तार करने की शक्यता पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा की तीन खान परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन

566. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की तीन प्रस्तावित खान परियोजनाओं (अर्थात् निकिल निक्षेप सुकिन्दा, सीसा निक्षेप, सरगीपल्ली और लौह अयस्क निक्षेप मालुनटोली) के विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की क्षमता क्या है और प्रत्येक उपरोक्त परियोजना के किस समय से उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) उड़ीसा की तीन खनन परियोजनाओं में से किसी के बारे में भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। तथापि, सुकिन्दा निकल निक्षेप के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ख) साध्यता रिपोर्ट के अनुसार, सुकिन्दा निकल परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 4800 टन निकल चूर्ण और 200 टन कोबाल्ट चूर्ण का उत्पादन होगा। इस अवस्था में यह बतलाना संभव नहीं है कि किस समय से सुकिन्दा निकल परियोजना से उत्पादन आरम्भ होगा।

सरगीपल्ली सीसा परियोजना और मालंगटोली लौह अयस्क निक्षेप के बारे में क्षमता और समय-सारिणी विषयक जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् ही उपलब्ध होगी।

मेजर अनिल परब की मृत्यु

567. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1973 को अथवा इसके आस-पास नाग पहाड़ियों में पैदल सेना पर गोलाबारी करने के समय चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर अनिल परब की मृत्यु हुई थी ;

(ख) इस अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) क्या इस आकस्मिक मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(घ) मृतक के रिश्तेदारों को कितना मुआवजा दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या इनकी लाश रिश्तेदारों को सौंप दी गई थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् !

(ख) से (घ) जांच अदालत कार्य कर रही है। अफसर की आकस्मिक मृत्यु की सही

परिस्थिति अदालती जाँच का निर्णय उपलब्ध हो जाने पर मालूम होगी। निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। दिवंगत अफसर के संबंधियों को दिया जाने वाला मुआवजा इस पर निर्भर करेगा कि क्या अफसर की मृत्यु सेना सेवा के कारण हुई अथवा नहीं जो जांच-अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है।

(ङ) जी नहीं श्रीमन् ! दिवंगत अफसर के पिता की पूर्व सहमति से, जो अपने स्वास्थ्य के कारण यात्रा नहीं कर सकते थे, शव का दाहसंस्कार 23 जनवरी, 1973 को दिमापुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया।

मारे गए सैनिकों की विधवाओं के साथ-साथ उनकी माताओं को मुआवजा दिया जाना

568. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के साथ उनकी माताओं को भी मुआवजा दिया जाता है ; यदि हां, तो कितना ;

(ख) क्या अभी तक इस प्रकार के मुआवजे के लिए नगाहिल्ज सरीखे क्षेत्र ही युद्ध-क्षेत्र माने जाते हैं ; यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं ;

(ग) ऐसे युद्ध-क्षेत्रों में मारे गये लोगों की विधवाओं तथा माताओं को कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है ; और

(घ) क्या गोली चलाने के अभ्यास के दौरान अचानक मर जाने वाले लोगों के लिए भी इस प्रकार का मुआवजा दिया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ! जहां पेंशन लाभ विधवा को ग्राह्य होते हैं, वहां माता उसके लिए पात्र नहीं होती। तथापि यदि माता की परिस्थितियां ऐसी हों तो वह विधवा को दी जाने वाली पेंशन में से हिस्सा मांग सकती हैं।

(ख) और (ग) युद्ध हताहत पुरस्कार युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को ग्राह्य है, जिसमें नागाओं जैसे सशस्त्र विरोधियों के विरुद्ध हुई लड़ाई भी शामिल है, चाहे ऐसी लड़ाई किसी भी क्षेत्र में हुई हो। इस संबंध में 17 मार्च, 1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गए दिनांक 24-2-72 के आदेशों की एक प्रति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमन् ! अभ्यास फायरिंग के दौरान हुई दुर्घटनाओं में हताहत हुए को युद्ध में हताहत हुओं के समान नहीं माना जाता है।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधान

569. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रस्तावित विधान के संबंध में सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से कोई विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन संगठनों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं ; और

(ग) क्या प्रस्तावित विधान पर सरकार ने अपने विचारों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के साथ औद्योगिक संबंधों से सम्बन्धित मामलों के बारे में समय-समय पर कई बार विचार-विमर्श किया है और जो प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं, उनमें इन संगठनों के विचारों के साथ ही अन्य संबंधित पक्षों के विचारों को भी ध्यान में रखा गया है।

(ग) सरकार ने इस विषय पर अपने विचारों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

भारत द्वारा सोवियत संघ से पनडुब्बियों की खरीद

570. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सोवियत संघ से और अधिक पनडुब्बियां खरीदेगा;

(ख) क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ इस आशय का कोई करार किया है ; और—

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) सरकार की नीति विभिन्न नियन्त्रणों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सम्भव सीमा तक स्वदेशी उत्पादन पर निर्भर करने की है। भारत में पनडुब्बियों का निर्माण भी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारी योजना का एक अभिन्न अंग है। तथापि, इस बारे में जब तक अपेक्षित आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं हो जाती है, विदेश से पनडुब्बियां मंगाना आवश्यक होगा। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस विषय पर और आगे सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

राष्ट्रीयकृत और सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों के प्रबन्धक मंडल में कर्मचारियों का सम्मिलित किया जाना

571. **श्री डी० के० पंडा** :

श्री एम० एस० शिवस्वामी

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत और सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों के प्रबन्धक मण्डल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाने में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों में श्रमिक निदेशक की नियुक्ति संबंधी योजना की, संबंधित मंत्रालयों से परामर्श लेते हुए, जांच की जा रही है।

(ख) योजना में व्यवस्था की गई है कि श्रमिक-निदेशक के चयन किए जाने हेतु व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु का हो चुका होना चाहिए, उपक्रम में उसकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिए और निदेशक के रूप में नियुक्ति की कालावधि के दौरान उसे वार्धक्य की आयु का नहीं हो जाना चाहिए ।

त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए गए दावों के अनिर्णीत मामले

573. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों द्वारा, जिनके मकान और धान के खेत बंगला देश के स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कब्जे में ले लिए गए थे, मुआवजे के लिए किए गए अनेक दावे अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) उन दावों पर निर्णय करने और वास्तव में प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा धान के किसी खेत अथवा मकानों को कब्जे में नहीं लिया गया था । तथापि, रक्षात्मक तैयारियों के चरण में तैयारी के दौरान खड़ी फसल, उपवन और कृषि सम्पत्ति को हुई क्षति के कारण स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा बांटने के लिए 3.9 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं । यह भी सूचित किया गया है कि गत 2 महीनों के दौरान सम्पत्ति के कब्जे का आरोप लगाते हुए और मुआवजे का दावा करते हुए स्थानीय उपायुक्त द्वारा 232 अर्जियां प्राप्त की गई हैं । स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात् इन अर्जियों को स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा ; जिन्हें इन दावों को शीघ्रता से निबटाने के लिए अनुदेश दिए जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य-निधि का कार्यालय

574. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भविष्य-निधि आयुक्त के कार्यालय के न होने के कारण श्रमिकों को भारी दिक्कत हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के श्रमिकों को भविष्य-निधि अधिनियम का लाभ पहुंचाने में सहायता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य-निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

(क) और (ख) 1971 वर्ष से पहले, त्रिपुरा क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों के बारे में प्रशासन सम्बन्धी कार्य की देख-भाल, क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, पश्चिम

बंगाल द्वारा की जा रही थी और भविष्य-निधि सम्बन्धी धन, सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से वसूल न करने के कारण अंशदायियों आदि के दावों के निपटारे में देरी होने से सम्बन्धित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। त्रिपुरा क्षेत्र में एक पूर्णांग क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। अधिनियम के अधीन अन्तर्गत लाए गए प्रतिष्ठानों और अंशदायियों की थोड़ी संख्या, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और अन्य विभिन्न तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा क्षेत्र में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय न खोलने का निर्णय किया गया है। तथापि, इस क्षेत्र के भविष्य-निधि के सदस्यों की कठिनाइयों को कम करने के विचार से जुलाई, 1971 से उस क्षेत्र के भविष्य-निधि के प्रशासन सम्बन्धी कार्य को पश्चिम बंगाल क्षेत्र से असम क्षेत्र के भविष्य-निधि संगठन को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निधि के सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरीक्षणालय का एक कार्यालय अगरतल्ला (त्रिपुरा) में पहले से ही विद्यमान है।

सैनिक स्कूलों में भरती के इच्छुक छात्रों को नडियाड में भरती से पूर्व प्रशिक्षण देना

575. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक स्कूलों में भरती के इच्छुक छात्रों के लिए नडियाड में भरती से पूर्व प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया है ;

(ख) क्या यह सुविधा सभी राज्यों में अन्य छात्रों को दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् !

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कच्छ के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण

576. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ क्षेत्रों में लिग्नाइट और बाक्साइट के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले ही कच्छ के लिग्नाइट और बाक्साइट निक्षेपों के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। गुजरात राज्य सरकार ने 1963 से 1972 के दौरान गर्तन, खदान और व्यधन द्वारा कच्छ क्षेत्रों में लिग्नाइट और बाक्साइट के लिए विस्तृत अन्वेषण किए हैं।

(ख) इन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, 1 : 3·6 से 1 : 3·2 के अधिभार के अनुपात वाली लिग्नाइट की 1948·80 लाख टन और ऐलूमिना की उच्च प्रतिशतता वाली बाक्साइट की 277·40 लाख टन की अनुमानित उपलब्ध राशियां अवस्थापित की गई हैं।

युद्ध-पीड़ितों को अनुग्रहात अनुदान की राशि में वृद्धि

577. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री बेकारिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों को दिये जाने वाले अनुग्रहात अनुदान की राशि में वृद्धि करने पर विचार किया है जिनकी फसल तथा आवास दिसम्बर, 1971 के युद्ध में नष्ट हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा ऐसे किसानों को बीज तथा उर्वरकों के लिए दिये जाने वाले अनुदान की दर में वृद्धि करने तथा 1971 के युद्ध के दौरान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पुनर्निर्माण या उनकी मरम्मत के लिए अनुदान/ऋण की दरों में वृद्धि करने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर व्यय

578. **श्री लालजी भाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता दिवस तथा 26 जनवरी के समारोहों पर कितना व्यय किया जाता है; और

(ख) अन्य कौन-से मन्त्रालय तथा विभाग इन समारोहों से सम्बद्ध हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस समारोहों पर किया जाने वाला व्यय प्रतिवर्ष अलग-अलग होता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में 1972 के गणतन्त्र दिवस समारोहों (सलामी उड़ान को छोड़कर) पर लगभग 23,38,000/- रुपये का व्यय किया गया। लाल किले पर 15 अगस्त, 1972 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह के सम्बन्ध में लगभग 3,16,620/-रुपये के व्यय का अनुमान है।

(ख) राजधानी में इन समारोहों के लिए रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त कृषि, संचार, सिविल विमानन, विदेश, गृह, औद्योगिक विकास, सूचना तथा प्रसारण, रेलवे, जहाजरानी तथा परिवहन, निर्माण तथा आवास मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक और दिल्ली प्रशासन आदि भी सम्बन्धित हैं।

पदोन्नत किए जाने वाले और सीधे भर्ती किये जाने वालों में पदोन्नति का अनुपात

579. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री पदोन्नत किए जाने वाले और सीधे भर्ती किये जाने वालों में पदोन्नति के अनुपात के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधी भर्ती द्वारा तथा पदोन्नति द्वारा चयन किये गए अधिकारियों का वर्तमान अनुपात क्या है; और

(ख) अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) **सेना** अधिकारियों के कुल संवर्ग संख्या में से लगभग 5 प्रतिशत पदोन्नति वालों के लिए आरक्षित हैं।

स्थायी कमीशन रैंकों में कुल भर्ती का मोटे तौर पर 25 प्रतिशत 'वार्षिक' जो नीचे के रैंकों में है वे अभ्यावेदन दे सकते हैं और यदि प्राथमिक प्रशिक्षण के पश्चात् सभी प्रकार के उपयुक्त पाए जाते हैं तो कमीशन पा सकते हैं।

(2) **नौसेना**—नीचे के रैंकों से कमीशन रैंक पर पदोन्नति के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं हैं; परन्तु नीचे के रैंकों से कमीशन रैंक पर पदोन्नतियां, वरिष्ठता तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता के आधार पर और परिवीक्षा सन्तोषप्रद पूरा करने पर आवश्यक सीमा तक की जाती है।

(3) **वायुसेना**—फ्लाइंग तथा तकनीकी शाखाओं में कमीशन रैंकों में पदोन्नति वालों के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है। तथापि गैर-तकनीकी ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में पदोन्नति के लिए निम्नलिखित आरक्षण उपलब्ध हैं :—

(1) प्रशासनिक शाखा $33\frac{1}{3}\%$

(2) लाजिस्टिक ब्रांच
(3) शिक्षा शाखा
(4) लेखा शाखा
(5) मैट्रोलाजिकल शाखा
} 20 प्रतिशत

(ख) (1) कमीशन रैंकों में पदोन्नतियाँ केवल उन्हीं को मिल सकती हैं जो सभी प्रकार से पात्र हैं और जो नीचे के पदों में उपयुक्त समझे जाते हैं, जो नीचे के रैंकों में हैं उनके लिए समुचित जीविका भविष्य और कुशल अधिकारी संवर्ग के बीच समानुपात रखते हुए जिसका उच्च शिक्षा प्राप्त सीधे भरती होने वालों

पर कोई आवश्यक अनुपात रखे, जिन्हें सैनिक प्रशिक्षण के पश्चात् कमीशन रैंक में सीधे भरती किया जाता है।

(2) सेना में वर्तमान कोटे में भी, कमीशन प्राप्त रैंकों को नीचे के रैंकों से अलग रखा जाता है, जो लगभग 25 प्रतिशत है, जिसे उपयुक्त अभ्यार्थी न मिलने के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और इस प्रकार से पदोन्नत होने वालों के पक्ष में इस पदोन्नति को बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है।

(3) वायु सेना में, तकनीकी शाखाओं में उच्च तकनीकी अर्हता की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से फ्लाइंग ब्रांचों में, बुनियादी तौर पर उच्च स्तरीय सामान्य ज्ञान, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के उच्च मानक के अतिरिक्त और कतिपय अन्य प्राथमिक गुणों की आवश्यकता है। तदनुसार, इन शाखाओं में सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इसके कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए निम्न रैंकों से कमीशन रैंकों में सीधी भरती के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है तथापि, अन्य ब्रांचों में, जैसा ऊपर बताया गया है, नीचे के रैंकों से कमीशन रैंक में आरक्षण किए गए हैं। आरक्षण की ये प्रतिशतता पर्याप्त समझी जाती हैं।

अफसरों तथा जवानों के लिए एक मैस

580. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रक्षा** मंत्री अधिकारियों और जवानों के लिए एक मैस के बारे में 21 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जवानों और अधिकारियों के लिए एक मैस न रखने के वित्तीय, प्रशासनीय एवं अन्य विशेष कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : निम्नलिखित कारणों से अफसरों और जवानों के लिए एक मैस रखना व्यावहारिक नहीं है :—

(1) अफसरों को केवल संक्रियात्मक क्षेत्रों को छोड़कर अपने भोजन का पैसा देना होता है, जबकि जवान सदैव सरकारी खर्च पर मुफ्त भोजन पाने के पात्र हैं।

(2) यह भय है कि इस प्रकार के प्रबन्ध से अफसरों और उनके अधीनस्थों में घनिष्ठता बढ़ेगी जिससे अनुशासन का उच्च स्तर स्थापित करने में कठिनाई होगी जो कि सेना के कुशल संचालन के लिए मुख्य आवश्यक है।

भटिंडा में छावनी के लिए भूमि का अधिग्रहण

581. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा (पंजाब) में छावनी के लिए कोई भूमि अर्जित की गई है और यदि हां, तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) क्या उस भूमि के मालिकों को, जिनसे भूमि अर्जित की गई है, कोई मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी उपक्रमों में इस्पात और लोहे का उत्पादन

582. **श्री श्यामनंदन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष सितम्बर से दिसम्बर तक की अवधि से सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में हुए उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या होल्डिंग कम्पनी की स्थापना के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि नहीं तो मूल्य की दृष्टि से उत्पादन में कितनी कमी हुई ; और

(घ) होल्डिंग कम्पनी की स्थापना से प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त वित्तीय व्यय बढ़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के तीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का वर्ष 1970, 1971 और 1972 के सितम्बर-दिसम्बर के चार महीनों का इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन इस प्रकार है :—

(हजार टन)

	सित०-दिस० 1970	सित०-दिस० 1971	सित०-दिस० 1972	1 और 3 में प्रतिशत अन्तर		2 और 3 में प्रतिशत अन्तर	
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
भिलाई इस्पात कारखाना							
(क) इस्पात पिण्ड	641.5	691.2	703.1	(+)	9.6	(+)	1.7
(ख) विक्रेय इस्पात	519.7	521.9	594.4	(+)	14.4	(+)	13.9
दुर्गापुर इस्पात कारखाना							
(क) इस्पात पिण्ड	200.6	203.9	226.1	(+)	12.7	(+)	10.9
(ख) विक्रेय इस्पात	167.0	128.2	162.9	(—)	2.5	(+)	27.0
राउरकेला इस्पात कारखाना							
(क) इस्पात पिण्ड	365.4	200.9	410.6	(+)	12.4	(+)	104.4
(ख) विक्रेय इस्पात	225.8	159.0	272.0	(+)	20.5	(+)	71.1

(हजार टन)

	सित०-दिस० 1970	सित०-दिस० 1971	सित०-दिस० 1972	1 और 3 में प्रतिशत अन्तर	2 और 3 में प्रतिशत अन्तर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोड़ :					
(क) इस्पात पिण्ड	1207.5	1096.0	1339.8	(+) 11.0	(+) 22.3
(ख) विक्रेय इस्पात	912.5	809.1	1029.3	(+) 12.8	(+) 27.2

इससे पता चलेगा कि सितम्बर-दिसम्बर, 1972 के महीनों में पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में कुल उत्पादन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है ; इस्पात पिण्ड के कुल उत्पादन में 11.0 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 12.8 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) स्टील अथारिटो आफ इण्डिया लिमिटेड की संस्थापना 24 जनवरी, 1973 को हुई है ।

(ग) ऊपर दिए गए भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की अभिदत्त पूंजी में 2.0 करोड़ रुपये उसके प्रारम्भिक व्यय के लिए रखे गए हैं । इसके अतिरिक्त सरकार 5 वर्ष तक इसे इसके संचालन खर्च के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये का अनुदान देगी ।

विदेशों में बसे हुए भारतीयों द्वारा दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए अनुरोध

583. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बसे हुए भारतीयों ने दोहरी नागरिकता लेने के लिए अर्थात् भारतीय नागरिकता को बनाये रखने और विदेश में किसी भी अन्य देश में नागरिकता को स्वीकार करने के लिए अनुमति देने हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये भारतीय बसे हुए हैं ;

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) दोहरी नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) अगस्त, 1972 में यूनाइटेड किंगडम निवासी एक भारतीय राष्ट्रिक से दोहरी नागरिकता के लिए एक लिखित

अनुरोध प्राप्त हुआ था। पहले जून, 1972 में यूनाइटेड किंगडम की एक भारतीय संस्था ने वहाँ रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को दोहरी नागरिकता दिए जाने का सामान्य प्रश्न भी उठाया था।

(ग) और (घ) दोनों ही मामलों में सरकार ने कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ; अर्थात्, अगर कोई भारतीय राष्ट्रिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के अधीन भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा।

पाकिस्तान द्वारा खाली किए गए क्षेत्र में विकास कार्य

584. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा अधिकार में ली गई भूमि में जिसे खाली करा लिया गया है, क्या-क्या सुधार किए गए हैं और उन सुधारों का विवरण क्या है और उन पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या खाली की गई ऐसी भूमि में रेल, पानी के पाइप बिछा दिए गए हैं और उसमें विद्युतीकरण कर दिया गया है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा वापस किए गए भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा कोई सुधार नहीं किए गए थे और वहाँ जो कुछ भी बना हुआ था उसको इन क्षेत्रों को वापस देने से पूर्व तोड़-फोड़ दिया गया था अथवा नष्ट कर दिया गया था ?

रक्षा-मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) 1.44 करोड़ रुपए की सम्पत्ति पीछे छोड़ दी गई जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है—

(क) शंकरगढ़ क्षेत्र में लगभग 61,00,000 रुपये की लागत से हमारे द्वारा बनाई गई लगभग 90 कि० मी० पक्की सड़क ठीक हालत में छोड़ी गई।

(ख) सिंध के अधिकृत क्षेत्र में रेल संचार को फिर से चालू करने के लिए 1,660 फुट रेल की पटरी बिछाई गई। इस पेल पटरी के अनुरक्षण के लिए 2,000 स्लीपर्स, 36 फुट लम्बी 18 रेलें, 300 फिश प्लेटें तथा अन्य विविध स्टोर उपयोग में लाया गया। यह रेल पटरी ठीक हालत में छोड़ दी गई। उपयोग में लाए गए माल की लागत लगभग 49,600 रुपये है।

(ग) सिंध के विजित क्षेत्र में लगभग 40,45,320 रुपये की लागत से लकड़ी के तख्तों से बनी हुई 55.14 कि० मी० पटरी, जिसे डक बोर्ड कहा जाता है, भी बिछाई गई थी। इन्हें भी ठीक हालत में वहां छोड़ दिया गया।

(घ) पाकिस्तान में हमारी सेनाओं द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में 41,72,872 रुपये मूल्य के रक्षा स्टोर भी वहां पर छोड़ दिये गये। इसमें एन्गल विजन विक्टम और कांटेदार तार सम्मिलित हैं जिन्हें सुरंग क्षेत्र जाहिर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

विशेष ध्यान :—यह सम्पत्ति खाली किए गए क्षेत्र की असैनिक जनता के हित की होगी।

(ङ) सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय अधिकृत क्षेत्र में उनके द्वारा कोई विकास किया गया हो। वहां पर भवनों, भूमि संयंत्रों तथा उपस्करों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है।

भारतीय वायु सेना को दिए गये भारत निर्मित मिग विमान

586. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को कोई भारत निर्मित वायुयान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायुसेना को अब तक कितने ऐसे वायुयान दिये जा चुके हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां, श्रीमन् !

(ख) सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

गैर-सरकारी व्यापार गृहों द्वारा छोटे शस्त्रों के निर्माण के लिए लाइसेंस

587. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से गैर-सरकारी व्यापारिक गृहों ने सैनिक और असैनिक उपयोग के लिए कारतूस तथा अन्य छोटे शस्त्र बनाने के लिए सरकार से लाइसेंसों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ग) क्या सरकार देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ! अग्नि शस्त्रों तथा गोला-बारूद बनाने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए निजी व्यक्तियों तथा पार्टियों से बहुत संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) इन्डस्ट्रीयल पालीसी रेजुलेशन 1956 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में शस्त्र तथा गोला-बारूद बनाने की अनुमति नहीं। तथापि, रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ गैर-घातक उपस्कर, घातक तथा गैर-घातक मदों के भाग तथा उपकरण निजी क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में बन्द युद्धबन्दियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का प्रयत्न

588. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत में बन्द पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को शीघ्र रिहा कराने के लिए भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत तैयार कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र में भी मामला उठा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विदेशों में पाकिस्तान के ऐसे प्रयत्नों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं ।

(ख) भारत ने पश्चिमी क्षेत्र के युद्धबन्दी पहले ही वापस भेज दिए हैं । पूर्वी क्षेत्र के युद्धबन्दियों ने चूंकि, भारत और बंगलादेश की सेनाओं की संयुक्त कमान के सम्मुख आत्म-समर्पण किया था अतः उनके प्रत्यावर्तन संबंधी बातचीत में बंगला देश को शामिल करना और उसका भाग लेना अनिवार्य है । तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने में देरी के लिए पाकिस्तान स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में असफल रहा है जिससे बंगला देश समान प्रभुसत्ता के आधार पर बातचीत में भाग ले सके ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को सही स्थिति से अवगत कराने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है ।

भारतीय वायुसेना के पुराने वायुयानों को आधुनिक वायुयानों में बदलना

589. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के अधिकांश वायुयान पुराने हैं और उनकी कार्यक्षमता सामान्य से भी कम हो गई है ;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे वायुयानों को आधुनिक वायुयानों से बदलने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पुराने वायुयानों को नये वायुयानों से बदलने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) यद्यपि भारतीय वायुसेना में कुछ वायुयान पुराने हैं ; लेकिन उनकी संक्रियात्मक कार्यक्षमता कम नहीं हुई है । अपेक्षित प्रकार के वायुयानों और प्रौतों की लगातार उपलब्धता से भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को सतत

आधार पर बढ़ाया जा रहा है जिसमें पुराने प्रकार के वायुयानों को बदलकर उनके स्थान पर अधिक आधुनिक वायुयान रखने का है जिससे वायुसेना की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

वियतनाम में तीन सरकारों के साथ सम्बन्धों की स्थापना

590. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और उत्तरी वियतनाम के बीच हाल ही में हुए शान्ति समझौते को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने वियतनाम की तीनों सरकारों के साथ दौत्य, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में अपने दृष्टिकोण का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) हनोई में भारत का राजदूतावास है तथा सैगोन में प्रधान कोंसलावास । दक्षिण तथा उत्तरी वियतनाम दोनों के साथ सरकार के वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं । सम्बन्धों के विद्यमान ढाँचे को बदलने की अभी कोई योजना नहीं है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र का 10 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार

591. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की 10 मिलियन टन की क्षमता एक क्रमिक विकास करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उसकी परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) विशेषज्ञों की राय में बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात तैयार करने की क्षमता चरणों में लगभग 100

लाख टन तक बढ़ाई जा सकती है । इस विस्तार के लिए तकनीकी और आर्थिक रिपोर्ट उपयुक्त समय पर तैयार की जाएगी ।

छम्ब क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाना

592. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर के छम्ब क्षेत्र के लगभग 18,500 विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार ने पहले ही कुछ भूमि ढूंढ़ ली है। उनका उचित पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता देती रहेगी ।

गणतंत्र दिवस परेड के टिकटों की बिक्री

593. **श्री नरेन्द्र सिंह** :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गणतंत्र दिवस समापन समारोह, 1973 के समान भविष्य में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए टिकट बेचने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) गणतंत्र दिवस परेड के लिए बैठने वाले बाड़ों में प्रवेश को भविष्य में सशुल्क टिकटों द्वारा व्यवस्थित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Bangladesh Shown As Paisktan's Province In Constitution Of Pakistan

594. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Bangladesh has been shown as a Province of Pakistan in the Constitution of Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government of India.

The Minister of State In The Ministry Of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Clause 1 (3) of Part 1 of Pakistan's Draft Constitution Provides for an appropriate amendment to the Constitution "so as to enable the people of the province of East Pakistan, as and when foreign aggression in that province and its effects are eliminated to be represented in the affairs of the Federation."

(b) Bangladesh is a sovereign and independent country, recognised by more than 95 nations of the world. Any suggestion that Bangladesh is under foreign occupation is utterly absurd.

Rehabilitated Areas After Withdrawal

595. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri M. S. Purty :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the names of the areas which have since been rehabilitated after withdrawal of Indian Forces;

(b) whether there exist certain areas which will not be rehabilitated from strategic point of view; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister Of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Areas which have been completely cleared of mines and proved safe are being rehabilitated. The villages in the following areas have since been rehabilitated :

(i) Area Thanko Chak.

(ii) Hussainiwala Enclave.

(iii) Khalra Sector.

(iv) Area Muliakot.

(b) No, Sir,

(c) Dose not arise.

'हिन्दालको' को सरकारी अधिकार में लिया जाना

596. **श्री के० सूर्यनारायणन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार से कोई संदेश प्राप्त हुआ है कि उन्हें बिड़लाओं के स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन (हिन्दालको) को अपने अधिकार में लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायुसेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात

597. **श्री के० सूर्यनारायणन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1973 के टाइम्स ऑफ इंडिया, (पृष्ठ 1) नई दिल्ली में 'आई० ए० एफ० एक्शन आन स्लेजड अनआथोराइजड इम्पोर्टस' कथित अनधिकृत आयात के सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस मामले की मुख्य बातें क्या हैं और सम्बन्धित वायुसेना के अधिकारियों द्वारा कितने मूल्य की अवैध वस्तुएं आयात की गई हैं ;

(ग) क्या इस पूरे मामले की जांच की गई है और क्या इस बारे में कोई सुराग प्राप्त हुआ है कि इस अनधिकृत आय में सीमाशुल्क अधिकारियों की भी मिली-भगत है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ड्यूटी पर विदेश गये हुए भारतीय वायु-सेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या निवारक कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) 31 जुलाई 1972 को विदेश से आने वाला भारतीय वायुसेना का एक कैरियर वायुयान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। वायुसेना प्राधिकारियों ने आने वाले वायुयान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पाया गया कि 65,00 के लगभग की विदेशी वस्तुएं सीमाशुल्क प्राधिकारियों को नहीं बताई गईं। तस्करी की वस्तुओं को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था।

2. भारतीय वायुसेना ने वायुसेना कार्मिकों के भाग पर की गई भूल की छानबीन के लिए एक जांच अदालत बनाई थी। इस दुर्घटना से सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

3. वायुसेना मुख्यालय ने विशिष्ट अनुदेश जारी कर दिये हैं कि भारत से बाहर की उड़ानों में सैनिक वायुयानों पर अवैध सामान नहीं लाया जाएगा।

4. इस घटना की जांच सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भी की गई है। जांच होनी अभी बाकी है। इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सीमाशुल्क अधिकारी भी इसमें शामिल है।

5. सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने हवाई सीमा-शुल्क कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसे दृष्टि में रखते हुए विदेशों से आने वाले भारतीय वायुसेना के वायुयानों की तलाशी को तेज कर दिया गया है।

न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर गोलियां चलाया जाना

598. **श्री हरिकिशोर सिंह :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा सुराग मिला है जिससे यह पता लग सके कि न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर किन परिस्थितियों में गोलियां चलाई गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) न्यूयार्क में भारतीय प्रधान कोंसलावास के मुख्य द्वार पर राइफल से चार बार गोली चलाने की घटना के बारे में न्यूयार्क पुलिस और संघीय जांच कार्यालय ने जांच-पड़ताल की थी। वे उस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों का पता लगाने में सफल न हो सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी

599. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध-मशीनरी स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अलग रूप से एक औद्योगिक सम्पर्क तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ बातचीत

600. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों की उत्पादी क्षमताओं के विस्तार के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हिन्द-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक के अवसर पर सोवियत पक्ष से हुई हाल की बातचीत में यह बात स्वीकार कर ली गई कि भिलाई इस्पात कारखाने का 70 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता और बोकारो कारखाने का लगभग 100 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जा सकता है। विस्तार के लिए तकनीकी और आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किए जाने हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण के बारे में समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण के बारे में समाचार

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 20 फरवरी, 1973 को 9.30 (लन्दन समय) बजे, जब कार्यालय खुलने के समय से कुछ मिनट पहले एल्डविच, लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन के सामने वाले दरवाजे खोले गए तो कुछ घुसपैठिये, जिनके पास शस्त्र थे, भवन में घुस आए और कुछ कर्मचारियों को जो अन्दर आ रहे थे या आ चुके थे, पकड़ने की कोशिश की। ये घुसपैठिये नकाबें पहने थे, उन्होंने अपने शस्त्र निकालकर हमारे कुछ कर्मचारियों को शस्त्र दिखलाते हुए घेरना और बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें हथियार दिखाकर धमकी दी और मारपीट भी की। हमारा एक सुरक्षा प्रहरी उनसे भिड़ गया और झगड़े में घायल हो गया।

2. दो नकाबपोश व्यक्तियों ने हमारे हाई कमीशन के दो कर्मचारियों को बांधकर उन्हें धमकाया और उनसे मुख्य द्वार की चाबियां मांगीं। हमारे एक कर्मचारी ने बगल के एक दरवाजे से निकलकर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बन्दूकधारियों से मुकाबला किया। संघर्ष में दो घुसपैठिये मारे गए और एक घायल हुआ और पकड़ लिया गया। पूछताछ हो रही है और उम्मीद है कि यह मालूम हो जाएगा कि क्या कोई आक्रमणकारी बचकर भी निकल गए हैं।

3. सुरक्षा प्रहरियों के अतिरिक्त हमारे दो कर्मचारियों को भी चोटें आईं। सभी का अस्पताल में उपचार किया गया और उनमें किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं है। लन्दन पुलिस ने सराहनीय तत्परता से कार्य किया और एक स्थिति पर तेजी से नियंत्रण कर लिया जिसका बहुत भीषण परिणाम हो सकता था। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन चाहेगा कि इसकी मैं सराहना करूं। इस काण्ड का कारण क्या था—इसकी अभी अधिक जानकारी नहीं है किन्तु विश्वास किया जाता है कि आक्रमणकारी पाकिस्तान मूल के थे। यह ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने एक तलवार, 3 छुरे और 2 नकली बन्दूकें पकड़ी हैं। पुलिस ने उनके पास से तेजाब तथा छिड़काव पम्प भी बरामद किए हैं।

4. यूनाइटेड किंगडम के विदेश तथा राष्ट्रमंडल कार्यालय के मंत्री लार्ड बालनिएल लंदन स्थित हमारे कार्यकारी हाई कमिश्नर से मिले तथा इस घटना पर उन्होंने महामहिम की सरकार की ओर से खेद तथा सहानुभूति प्रकट की। यूनाइटेड किंगडम के विदेश कार्य मंत्री श्री एलक डगलस होम ने हमें एक संदेश भेजा है जिसमें हमारे हाई कमीशन पर हमला किए जाने पर उन्होंने गहरी चिन्ता व्यक्त की है।

5. इस स्थिति से निपटने में हमारे हाई कमीशन के कर्मचारियों ने प्रशंसनीय बुद्धि-कौशल तथा धैर्य से काम लिया।

6. विश्व के प्राय: सभी भागों में और विशेष रूप से राजनयिकों के विरुद्ध हिंसा की जो दुखद प्रवृत्ति पनपी है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुरक्षा से सम्बद्ध समस्याओं से निपटने के लिए कुछ समय पहले ही हमने विदेश स्थित अपने सभी प्रमुख मिशनों को विस्तृत निर्देश दे दिया था।

7. इस घटना की आगे छानबीन करने में तथा आवश्यकता पड़ने पर यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए तथा लंदन में हमारे भवन और कर्मचारियों के लिए पूर्ण एवं समुचित सुरक्षा-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी कल रात दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हुए हैं।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने इस घटना से सम्बद्ध प्रश्न को सफलतापूर्वक टाल दिया है। मुझे पाकिस्तान के दो नवयुवकों के प्राण चले जाने पर दुःख है और साथ ही मैं अपनी सद्भावना ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग के उन अधिकारियों ने प्रति भी प्रकट करता हूं जिन्हें चोटें आयी हैं। यह एक अलग घटना नहीं है। पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई के प्रश्न पर श्री भुट्टो द्वारा आरंभ किए गए राजनीतिक 'ब्लैकमेल' का यह भाग है। पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री की पेशकश के उत्तर में श्री भुट्टो ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने की बात युद्धबंदियों की रिहाई के साथ सम्बद्ध है।

इन सभी तथ्यों की पृष्ठभूमि में ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग पर 'ब्लैक दिसम्बर' संगठन द्वारा छापा मारने की घटना हुई है। विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में हमारे अधिकारियों की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने है। क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की ब्रिटेन और भारत की यात्रा के कुछ समय पूर्व लंदन से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि कोई संगठन ब्रिटेन में भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार करने में सक्रिय है। मुझे यह पता नहीं है कि ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग के पास यह जानकारी थी अथवा नहीं थी। ब्रिटेन स्थित हमारा उच्चायोग विश्व में सबसे बड़ा आयोग है, फिर भी यह घटना कैसे हुई ; घटना घटित होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

ऐसी घटना विदेशों में हमारे मिशनों, व्यापारिक कार्यालयों, एयर इंडिया के कार्यालयों आदि में भी घट सकती है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस उपाय किये हैं ?

हमारे राजनीतिज्ञ स्थायी शांति स्थापित करने के मामले में शिमला में असफल हुए हैं। हमने एक अनर्गल तर्क दिया कि हमने दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हमने पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध-बंदियों को रिहा कर दिया है और क्षेत्र खाली कर दिये हैं **(व्यवधान)**···

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान मेजर ए० के० एम० शाहजहां द्वारा प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि 28,000 बंगाली अधिकारी·····

अध्यक्ष महोदय : यहां बंगाली अधिकारियों का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय अन्तिम प्रश्न का उत्तर न दें। वह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री समर गुह : क्या मैंने यह संगत प्रश्न नहीं किया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं।

श्री समर गुह : क्या कोई गुमनाम टेलीफोन कॉल भी आई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ उत्तेजनाजनक कॉलें आयी थीं परन्तु, जांच के बाद पता चला कि वे मिथ्या थीं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या आक्रमण के पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसके पीछे जो प्रेरणा थी उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है । अधिक जांच के बाद मैं और जानकारी दे सकूंगा । (**व्यवधान**)···

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : There are certain forces especially the U. S. imperialistic forces inside and outside this country which do not want peace and implementation of the Simla Agreement. May I know whether the U. S. imperialistic forces are involved in the tragic incident that took place in the Indian High Commission in U. K.

So far as the issue of the prisoners of war is concerned, it is not possible that after consulting Bangla Desh Government the POW's should be handed over to Pakistan whom the Bangladesh Government do not want to try.

श्री स्वर्ण सिंह : लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग में हुई घटना में अमरीकी शक्तियों का हाथ होने की बात दूर की कौड़ी है ।

युद्धबन्दियों के प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान शिमला समझौते के उपबन्ध की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । हम इस बात पर सहमत हो गये हैं कि इस प्रश्न पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी । हम इसके लिए तैयार हैं परन्तु श्री भुट्टो की निरन्तर हठ की प्रवृत्ति उप-महाद्वीप में हो रही नई स्थिति की वास्तविकताओं को महसूस नहीं कर रही है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : It is said that there can be only one security guard. The official, who has been entrusted with the responsibility, has not paid attention towards it. London is a big city and the occurring of such an incident in the broad day light creates suspicion in my mind that there was no proper security arrangement at the main gate of the High Commission. Had not our liason officer, Shri Kashyap shown firmness and patriotism by immediately telephoning the Scotland Yard Police, the situation would have assumed serious dimension.

The hon-Minister has said that the inquiries are now on and we hope to know if there were any other assailants, who escaped ? I want to cite an example of another incident. It is said that thirty young people roamed at the roads with the placards indicating some-

thing and they called the Britishers by bad names. The hon. Minister has said that they were intruders. He should have said clearly that they were misguided Pakistani students.

It is gratifying to note that India has sent some officials to London for extending help in the investigation. Have the Government instructed our embassies and missions in other countries in regard to security arrangements ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो व्यक्ति भवन में घुसे थे, उस समय वे नकाबपोश नहीं थे, उन्होंने भवन में घुसने के बाद नकाब पहन लिये थे। उन्होंने भवन में घुसने के बाद हथियार निकाले थे। अत: उनके प्रवेश पर गेट पर किसी को संदेह नहीं हुआ।

सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं। जो प्रभावी कार्यवाही की गई वह सर्वोत्तम गारंटी है।

शेष सुझावों को मैंने नोट कर लिया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि उक्त घटना के पीछे जो प्रेरणा है उसके बारे में उन्हें पूरा-पूरा मालूम नहीं है, तथापि हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि एक प्रेरणा यह है कि युद्धबन्दियों के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उठाने का है ताकि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में कोई देश हस्तक्षेप करे, जिसके लिए शिमला समझौते में निषेध किया गया है।

पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में वहां की सरकार और शासकों का यह प्रयास हो सकता है कि वे अपनी जनता का ध्यान आंतरिक उपद्रवों से हटाकर भारत-विरोधी भावना पैदा करने में लगा दें।

इस प्रकार की घटनाएं आजकल एक सामान्य बात हो गई हैं। आए दिन संसार में कहीं-न-कहीं ऐसी घटना होती ही रहती है।

इस घटना का शिमला-समझौते पर क्या असर पड़ेगा ? इस घटना से पता चलता है कि समझौते के सम्बन्ध में हमारा जो विचार था वह सही था। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिमत बनाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। ऐसा करने से इस प्रकार की घटनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के मन में भरे हुए आतंक को ध्यान में रखते हुए उन विदेशवासी, विशेषकर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या दिशा-निर्देशन सरकार ने जारी किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार की घटना शिमला समझौते पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती। न ही ऐसी घटनाओं का युद्धबन्दियों की समस्या पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय राय बिलकुल स्पष्ट है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह की घटना का समर्थन नहीं कर सकता है।

पाकिस्तानी दूतावास ने लन्दन में दिए अपने वक्तव्य में यह बताया है कि युद्धबन्दियों का

मामला शान्तिपूर्ण ढंग से हल होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार दबाव डालने वाले कार्यों में वहां की सरकार का कोई हाथ नहीं है।

ब्रिटेन अथवा अन्य किसी देश में रह रहे भारतीयों के लिए कोई निश्चित मार्ग-दर्शन नहीं किया जा सकता। हमारे नागरिक हमारी नीतियों से पूरी तरह अवगत हैं, फिर वे स्वयं समझदार हैं।

सदस्य का निलम्बन

Suspension of Member

(श्री ज्योतिर्मय बसु)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उसके सम्बन्ध में मैं, आपने जो कहा था उसमें से·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले अपना निर्देश इस सम्बन्ध में दे चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद भी वही मामला बार-बार रोजाना उठाया जाना चाहिए (**व्यवधान**)···। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता (**व्यवधान**)···। आपने इस प्रकार सभा में व्यवधान डालने का रवैया बना लिया है (**व्यवधान**)···। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इस पर सभापति के अभिभाषण पर चर्चा के समय कह सकते हैं (**व्यवधान**)···। इस प्रकार आप रोज व्यवधान डालते रहे तो अन्ततः मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है और मुझे अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कठिनाई यह है कि जिस निर्देश के अनुसार आपने मूल्यों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था क्या उसी आधार पर आप इसे भी अस्वीकार कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्देश बिलकुल साफ है। यह एक लगातार चलने वाला मामला है। अतः इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं हो सकती (**व्यवधान**)···। मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु **

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति तब तक नहीं देता जब तक उसका कथन कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु **

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसु से कहता हूं कि या तो वे अपने शब्द वापस लें या सभा को छोड़कर चले जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ऐसा नहीं करूंगा।

** सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा सुझाव है कि निन्दात्मक शब्दों को निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही दिन से वे रोजाना ऐसा ही कर रहे हैं (**व्यवधान**)···। यदि यही होता रहता है तो यह सभा एक मजाक बन जायेगी । वे अध्यक्ष की निन्दा कर रहे हैं । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि या तो वे अपने शब्द वापस लें या सदन से बाहर चले जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं शब्द वापस नहीं लूँगा और न ही बाहर जाऊंगा (**व्यवधान**)···।

संसद कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके अपने शब्द वापस ले लें अन्यथा मुझे उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वे अपने शब्द वापिस नहीं लेते मैं कार्यवाही को आगे नही चलाऊंगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कौन-सा असंसदीय शब्द प्रयोग किया है । उन्होंने सभा में ही आपकी आलोचना की·····

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यक्ष पीठ की निन्दा की है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मूल्य बढ़ने को सरकार ने भी माना है, तब आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Since your election as a speaker, you have done a great service to the Government and the Members are compelled to say such thing. **(Interruption)**

अध्यक्ष महोदय : नियम यह कहते हैं कि जब किसी विषय के सम्बन्ध में बोलने के अवसर हैं, तब स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता । ऐसे अवसर कई हैं । तब आप उस पर बोल सकते हैं । (**व्यवधान**) फिर इस पर आप बोलते रहे हैं । पिछले सत्र में इस पर चर्चा हुई थी । अब मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): आपने कहा है कि यह एक हमेशा चलने वाला प्रश्न है । पर यदि आप मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह एक हाल ही का मामला है ।

दूसरे आपने कहा कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट पर चर्चा होनी है, पर इससे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई रुकावट नहीं पड़ती । पहले भी ऐसा हुआ है और स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है । अतः ऐसे पूर्वोदाहरण हैं । आप इस पर विचार करके अपना निर्देश दें । हम प्रतीक्षा कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक लगातार चलने वाला विषय है । प्रत्येक सत्र में इस पर चर्चा होती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि थोक भावों में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।·····

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कई सत्रों में आ चुका है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार और सत्ताधारी दल इस विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आपका यह रवैया क्योंकर है ?

अध्यक्ष महोदय : एक बार इसे अनुमति देकर मैं निरन्तर चलने वाले विषय पर चर्चा उठाने का एक उदाहरण पेश कर दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि सरकार भी इस पर चर्चा करना चाहती है । इस पर अलग से चर्चा करने पर सरकार को क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं अपने निर्देश पर पुनः विचार कर सकता हूँ, पर इस प्रकार नहीं जिस प्रकार श्री बसु चाहते हैं··· (**व्यवधान**) । उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए··· (**व्यवधान**) । वे अध्यक्ष पीठ पर दोषारोपण नहीं कर सकते । उन्हें वे शब्द वापस लेने चाहिए अन्यथा उन्हें सभा से बाहर चले जाना चाहिए । मैं उनकी कोई बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक वे अपने शब्द वापस नहीं लेते । (**व्यवधान**)

यह हो सकता है कि कभी सदस्य निर्देशों से सहमत न हों, पर दोषारोपण करना सर्वथा अलग बात है । (**व्यवधान**)

ऐसी स्थिति में कार्यवाही आगे बढ़ाना नितान्त कठिन है । श्री बसु अपने शब्द वापस लेने पर ही बोल सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं शब्द वापस नहीं लूँगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के एक सदस्य, श्री ज्योतिर्मय बसु को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम लेकर पुकारा गया, सभा की सेवा से दो दिन, अर्थात् आज और कल के लिए निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि इस सभा के एक सदस्य, श्री ज्योतिर्मय बसु को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम लेकर पुकारा गया, सभा की सेवा से दो दिन, अर्थात् आज और कल के लिए निलम्बित किया जाये ।"

** कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged.

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह प्रस्ताव किस आधार पर किया गया है ? जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल व्यवस्था के प्रतिकूल है । मेरा निवेदन यह है कि कोई भी प्रस्ताव सदन के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक सदस्य उसके लिए इच्छुक न हों ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए, इसलिए प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है । अब भी मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपने शब्द वापिस ले । यह भावनाओं का प्रश्न नहीं है ।

सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना

Termination of Suspension of Member

(श्री ज्योतिर्मय बसु)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं नियम 374 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं "कि सभा की सेवा से श्री ज्योतिर्मय बसु के निलम्बन को तुरन्त समाप्त किया जाये और अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन शब्दों पर आपत्ति की गई है, उन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव नियम 374 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सभा की सेवा से श्री ज्योतिर्मय बसु के निलम्बन को तुरन्त समाप्त किया जाये और अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन शब्दों पर आपत्ति की गई है, उन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल के नेताओं के अनुरोध पर मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, किन्तु भविष्य में मैं ऐसा व्यवहार कभी सहन नहीं करूंगा । मेरा विचार है आप सब इस बारे में मुझसे सहमत होंगे ।

मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : मेरा अनुरोध है कि सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाए । भोजन-उपरान्त इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यद्यपि इस प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से सभा में मतविभाजन नहीं हुआ है फिर भी हम इसे स्वीकृत मान लें तो अच्छा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने हमारे अनुरोध पर सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा है, अतः उसी ढंग से सभा भी स्वीकृति दे दे ।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दलों के नेताओं के अनुरोध पर मैंने प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखा है, पर मैं नहीं चाहता कि भविष्य में इसे पूर्वोदाहरण बना लिया जाए । आपका अध्यक्ष से

मतभेद हो सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप सीधे उनके सिर चढ़ जाएं और कहें कि आप यह हो, वह हो। आज तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं पर भविष्य में कभी ऐसा न होगा।

प्रश्न यह है :

"कि सभा की सेवा से श्री ज्योतिर्मय बसु के निलंबन को तुरन्त समाप्त किया जाए और अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन शब्दों पर आपत्ति की गई, उन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक समीक्षा—1972-73

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं 'आर्थिक समीक्षा 1972-73' की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4212/73]

भारत डाइनेमिक तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4213/73]

(2) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4214/73]

आश्वासनों के विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारह विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 4215/73]

चौथी लोक सभा

(1) विवरण संख्या 27	छठा सत्र, 1968
(2) विवरण संख्या 28	सातवां सत्र, 1969

(3)	विवरण संख्य	आठवां सत्र, 1969
(4)	विवरण संख्या 25	नौवां सत्र, 1969
(5)	विवरण संख्या 28	दसवां सत्र, 1970
(6)	विवरण संख्या 17	ग्यारहवां सत्र, 1970
(7)	विवरण संख्या 18	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(8)	विवरण संख्या 19	दूसरा सत्र, 1971
(9)	विवरण संख्या 11	तीसरा सत्र, 1971
(10)	विवरण संख्या 10	चौथा सत्र, 1972
(11)	विवरण संख्या 4	पांचवां सत्र, 1972
(12)	विवरण संख्या 2	छठा सत्र, 1972

कोयला बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं कोयला बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4216/73]

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम और बेलडिला लौह अयस्क परियोजना की घातक घटना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1490 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 63 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1417/73]

(2) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1488 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1418/73]

(3) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बेलडिला लौह अयस्क परियोजना संचय संख्या 5 परियोजना पर 5 जून, 1972 को हुई घातक घटना सम्बन्धी जाँच प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1419/73]

लोक सेवा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

(64वां प्रतिवेदन)

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं निर्माण और आवास मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेलवे अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

(दूसरा प्रतिवेदन)

श्री आर० के० सिंह : मैं रेल अभिसमय समिति 1971 का 'उप नगरीय सेवा' सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक

FOREIGN EXCHANGE REGULATION BILL

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री सतीश चन्द्र (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास

के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 30 अप्रैल, 1973 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 30 अप्रैल, 1973 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

समवाय (संशोधन) विधेयक
COMPANY (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at two minutes past fifteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी रखेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बढ़ती हुई कीमतों के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । मेरा अनुरोध है कि आप सरकार से उस विषय पर वक्तव्य देने को कहें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I rise on a point of order. Three thousand teachers have been arrested in Delhi and one thousand teachers have been removed from service. The prices are rising. I request that adjournment motion on these two subjects may kindly be admitted.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक तो कीमतों के सम्बन्ध में चर्चा की जानी चाहिए और दूसरा प्रश्न जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है वह है बिजली कटौती के बारे में । आज देशभर में बिजली की कमी है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में । कानपुर के रक्षा कारखानों में बिजली की कटौती की जा रही है, फलस्वरूप उत्पादन कम हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि आप संसदीय कार्य मंत्री को यह सूचना प्रतिरक्षा मंत्री तक पहुंचाने को कहें अन्यथा कानपुर के सभी कर्मचारी एक दिन की अर्थात् 26 फरवरी की टोकन हड़ताल करेंगे ।

Shri Jambuwant Dhate (Nagpur) : There is President's Rule in Andhra Pradesh. It is regrettable that the agitation of the people of Andhra Pradesh for the bifurcation of their State is sought to be put down by imposing President's rule and by taking recourse to repressive methods but the President's Rule is not going to help in the solution of the problem. It appears that the agitation has gained momentum after the imposition of President's Rule there. The Government should realise that peace cannot be restored by such repressive methods. They might succeed in having peace for some time, but that peace will only be a temporary one. Nowadays we talk of democracy, but what is democracy ? Only Parliamentary democracy is not the real democracy. If in a democracy we do not pay attention to what people want, then we are not fit to rule We know what the people of Andhra demand but still we are keeping silent over it. President's rule is not the ultimate solution. Either Andhra and Telengana should be made separate states or a new state should be reorganised. It is being said that the agitation for the division of Andhra is a bourgeoise movement. This is totally wrong, it is

a people's movement and people of the state including Government servant are behind it. Today the position is such that even the courts are not functioning there. Therefore it is high time the Government reconsidered the matter and conceded the genuine demand of the people.

The people cry and agitate but they have to face firings. In that state of affairs if they do not manufacture bombs what else they can do ?

In this country smaller states should be re-organized. This demand is in nation's interest and moreover ours is a federal Government and not a unitary type one. It is wrong to say that this demand is sectarian movement or anti national.

With the formation of small states the voice of the people could be heard by the Government concerned. This would yield good results. It would be helpful for balanced development of all the regions.

The Government's attitude, that it would attend to the problem when peace has been established there, does not suit in a democratic set up. The demand of Telengana and Vidarbha is identical. This problem is not going to be solved by use of force.

Apart from the question of Andhra and Telengana we have the problems of Saurashtra, Mahakaushal, Karnatak and Vidarbha etc. In order to deal with these problems why does not the Government appoint second State Re-organization Commission, I believe that this announcement by the Government would lead to peace in all the regions.

It is wrong to name the agitating parties as reactionaries. On the other hand the Government should announce the appointment of Second Reorganization Commission.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं चाहता हूँ कि सदन परिस्थिति की मूल बातों पर विचार करे। मैं यहां सदस्यों का ध्यान उन अभागे लोगों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो आन्ध्र प्रदेश में गोलियों के या बर्बरतापूर्ण हिंसात्मक कार्यवाहियों के शिकार हुए। उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। पृथक् आन्ध्र प्रदेश बनाने का आन्दोलन तो 1913 से प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु उस राज्य के लोग राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते रहे हैं। इसी कारण सिंध और उड़ीसा के लोगों की पृथक् राज्यों की मांगें स्वीकार कर ली गईं परन्तु पृथक् आन्ध्र का निर्माण 1953 में ही हो सका।

मैं श्री वाजपेयी से पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि आन्ध्र में स्थापित सेनाओं द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है क्या यही राष्ट्रवाद है ?

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : राष्ट्रध्वज तो क्या, कांग्रेस के ध्वज को जलाने की एक भी घटना नहीं हुई है। वह उस क्षेत्र में नहीं गये हैं, अतएव उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : प्रश्न पृथक् आन्ध्र अथवा तेलंगाना का नहीं है। प्रश्न देश में लोकतन्त्र को बचाने का है। यदि आंध्र प्रदेश के बटवारे के प्रश्न को लोकतान्त्रिक और

संसदीय ढंग से चलाया जायेगा तो मैं इसका समर्थन करूंगा। परन्तु हिंसापूर्ण वातावरण में मैं साथ नहीं दे सकता हूँ।

इस समय तो हिंसा का वातावरण आन्ध्र में ही है। परन्तु शीघ्र ही ऐसा लगता है कि इसके मध्य प्रदेश, मैसूर और अन्य स्थानों पर भी फैल जाने की संभावना है। सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश के उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति पैदा की जानी चाहिए। यदि विधायकों का बहुमत किसी बात के पक्ष में फैसला करता है तो लोकतान्त्रिक सरकार लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित सदस्यों की इच्छाओं और भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाएगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बारे में हिंसापूर्ण उपायों के अपनाए जाने की निन्दा की है। यह हिंसापूर्ण कार्य हमारे द्वारा स्वीकृत मूल्यों की अवहेलना करते हैं।

आन्ध्र प्रदेश देश के बड़े राज्यों में से एक है। मैं वहां की जनता से पृथकवाद को त्यागने की प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया है कि वहां की समस्या का पुराना इतिहास है। उन्होंने स्वयं इस आन्दोलन में भाग लिया था।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा है कि समस्याओं के समाधान के लिए हिंसापूर्ण उपायों का अपनाया जाना हमारे द्वारा स्थापित मूल्यों को हानि पहुंचाता है और इससे जान-माल की अक्षय क्षति होती है।

प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि लोकतंत्र में कोई बात अंतिम नहीं है। हर मामले में लोकतांत्रिक ढंग से विचार-विमर्श की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर रायलसीमा जिले में भारी अकाल पड़ा हुआ है। गांवों में पेय जल उपलब्ध नहीं है। परन्तु वहां कोई राहत कार्य अथवा सिंचाई कार्य नहीं किया जा रहा है। सारा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के समय कहा गया था कि रायलसीमा के लोगों का ध्यान रखा जाएगा।

सिकन्द्राबाद और हैदराबाद को चावल और दूध आन्ध्र क्षेत्र से जाता है। परन्तु उन्हें यह नहीं दिये जा रहे हैं और उनके निर्यात का संवर्धन किया जा रहा है।

इस सभा में बार-बार कहा गया है कि तेलंगाना के लोग तथा नेता विशाल आन्ध्र राज्य के पक्ष में नहीं हैं। जिस प्रकार हिन्दीभाषी लोगों के कई राज्य हो सकते हैं वैसे ही तेलुगुभाषी राज्य भी दो अथवा अधिक हो सकते हैं। तथ्य तो यह है कि तेलुगु-भाषी लोगों की राजधानी तेलंगाना में ही थी। यदि आंध्र के निर्माण के समय पर मैं वहां पर होता तो उसका नाम तेलुगुनाडु रखता।

सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के रूप में तेलंगाना के लोगों को दिया गया आश्वासन जारी रहना था जब तक कि 1974 में अधिनियम की अवधि पूरी न हो जाती। परन्तु उच्चतम न्यायालय के कष्टकारी निर्णय से स्थिति बदल गई है। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति ओवूला रेड्डी ने फिर ऐसा ही निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोग मुल्की नहीं हैं अपितु बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहां 15 वर्षों से रह रहे हैं। वे ही मुल्की हैं। इस निर्णय से कैसी हास्य-

पूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए संसद में मुल्की अधिनियम लाया गया। प्रधानमंत्री का फैसला लोगों पर लादा नहीं गया अपितु नेता लोग स्वयं उनसे निर्णय चाहते थे। आन्ध्र प्रदेश एक राजनीतिक शक्ति है। यदि बहुमत पृथक् होना चाहता है तो हमें मित्रों की तरह पृथक् होना चाहिए, न कि विद्वेषियों की भांति। हमें जीवन को ठप्प करने की बजाय मिलकर सामान्य स्थिति पैदा करनी चाहिए।

हमें लोकतान्त्रिक पद्धति को बनाये रखते हुए बहुमत की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं केवल आन्ध्र प्रदेश तक ही अपने को सीमित रखूंगा। राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि इस समस्या का पुराना इतिहास है। आन्ध्र में स्थिति बड़ी भयंकर है।

आन्ध्र के विभाजन का आन्दोलन एक जन-आन्दोलन है। इसमें समाज का हर वर्ग भाग ले रहा है। कल यहां कहा गया था कि आन्दोलन कुछ लोग ही चला रहे हैं। मेरे पास कुछ ज्ञापन हैं। यह ज्ञापन वॉर एसोसिएशन, गुन्टूर, सरकारी कालेजों के छात्रों, आन्ध्र प्रदेश के एन० जी० ओ० आदि से प्राप्त हुए हैं।

यह कहना उचित नहीं है कि आन्दोलन निहित-स्वार्थों द्वारा किया जा रहा है। क्या विद्यार्थियों, अध्यापकों, अराजपत्रित अधिकारियों, वकीलों और डाक्टरों का इसमें निहित स्वार्थ है। वास्तव में इसमें निहित स्वार्थ उन लोगों का है जो आन्दोलन को कुचलना चाहते हैं। क्या खाम्मा अथवा रेड्डी समुदाय में उत्पन्न होना पाप है? क्या वे प्रतिक्रियावादी हैं? आंध्र प्रदेश में कुछ समय पूर्व कुछ मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया था। अब ये मंत्री प्रतिक्रियावादी कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का मिथ्या प्रचार किया जा रहा है।

ऐसा कहना उचित नहीं है कि यह आन्दोलन हरिजनों के विरुद्ध है। यदि ऐसा होता तो श्री नरसिम्हा राव को कौन मुख्य मंत्री बनाना चाहता? श्री नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल से सर्वप्रथम त्याग-पत्र देने वाला मंत्री हरिजन ही था। हरिजन इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं।

अधिकांश संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य आंध्र के विभाजन के पक्ष में हैं। यदि आंध्र के प्रतिनिधि यह समझते हैं कि यह आन्दोलन उचित नहीं है, तो उन्हें वहां जाकर लोगों को समझाना चाहिए। आंध्र के सब 12 जिलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना भेज दी गई है। राज्य की सब शिक्षा संस्थाएं बन्द पड़ी हैं। राज्य में कोई कार्यालय काम नहीं कर रहा है। सरकार बिक्री कर, मोटरगाड़ी कर तथा अन्य वाणिज्यिक कर और यहां तक कि आयकर वसूल करने में असफल रही है। राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

राज्य में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की ज्यादतियों से लोग बहुत परेशान हैं। आन्दोलन में 200 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लेकिन सरकारी तौर पर यह संख्या 60 बताई गई है। इस बारे में कोई जांच के आदेश नहीं दिये गये हैं। मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। लेकिन विधान सभा के कांग्रेस के एक सदस्य श्रीमती सरोजनी भाई को 56,000 रुपये दिये गये हैं। एक अन्य सदस्य श्री प्रभाकर राय को 26,000 रुपये और भारतीय

साम्यवादी दल के एक सदस्य श्री श्रीकृष्ण को 15,000 रुपये दिये गये हैं। गरीब करदाताओं के धन को इस प्रकार रिश्वत के रूप में दिया जाता है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने अनेक मकानों के दरवाजे तोड़ दिये हैं। अनेक वकीलों को पीटा है और उन्हें गलियों में घसीटा गया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा साइकिल, ट्रांजिस्टर और घड़ी चुराने के अनेक मामले सामने आये हैं। सरकार इस प्रकार वहां अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। राज्य में सोडावाटर की बोतलों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सरकार का यह विचार है कि लोग इसका प्रयोग केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के विरुद्ध करते हैं। सरकार द्वारा बार-बार त्रुटियां करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुल्की नियम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों के लोगों से इस विषय पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के 85 विधान-सभा सदस्यों ने और आंध्र और तेलंगाना के 40 संसद् सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है। सरकार ने न तो उनके त्याग-पत्रों को स्वीकार किया है और न ही वहां के नेताओं से विचार-विमर्श किया है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार को विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नेताओं का गोलमेज सम्मेलन बुलाकर इस समस्या को हल करना चाहिए।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

सरकार को विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिए। आंध्र और तेलंगाना के प्रतिनिधि हैदराबाद आयें और इस राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय करें। अन्यथा वहां की विधान सभा को भंग करना पड़ेगा और नये चुनाव कराना एकमात्र ही विकल्प रह जायेगा। राज्य के लोगों को अपना निर्णय देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पुलिस के दमन को शीघ्र रोका जाना चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा किया जाना चाहिए। सरकार अधिनियम का मनमाना उपयोग कर रही है। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों को शीघ्र रिहा किया जाना चाहिये।

राज्य में सर्वप्रथम शान्ति स्थापित की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार बल से आन्दोलनों को दबा नहीं सकेगी। आन्ध्र के लोग पहले ही बहुत क्रुद्ध हैं। सरकार को वहां के लोगों से मिलकर वहां की समस्या हल करनी चाहिए।

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi) : It appears that sympathy has all of a sudden arisen in the minds of the opposition parties towards Andhra Pradesh. The previous speaker from D. M. K. has shed too many tears for the people of Andhra Pradesh. I want

to remind him of the farmers agitation in Tamil Nadu when innocent farmers were prosecuted and penalised on false charges and nobody raises an objection. Nobody condemned the incidents of violence in the state but on the other hand the opposition parties are trying to create more trouble and are complicating the issue.

The people of Andhra know that you have no sympathy with them. The opposition members want to take the advantage of the situation there. People like Vajpayee are inciting the public to agitate against the Government.

The Government should appoint a Commission for the Prevention of incitement of violence by public Organisation and Publicmen. This Commission should take action against any person inciting public.

We do not believe in lawlessness. We believe in law and order. We want that a peaceful solution of Andhra's problem should be found out. Some people do not want a peaceful solution of Andhra's problem. The duty of the opposition in not only to oppose but to create confidence in the people.

Unfortunately, the oppositions have been unsuccessful in performing their duties I hope, oppositions will work intelligently in this matter.

The President has also remarked in his address that our present difficulties are temporary and that we should overcome them and emerge more united and disciplined.

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम-निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं सत्तारूढ़ कांग्रेस का गत चुनावों से इसीलिए समर्थन कर रहा था क्योंकि मेरा विचार था कि केन्द्र में स्थायी सरकार की स्थापना हो जाएगी। लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद अब उसके पास कोई बहाना नहीं रह गया है।

सरकार आर्थिक स्थिति की भयानकताओं में फंस गई है और इसका कारण यह है कि सरकार नारों की दलदल में फंस गई है।

कांग्रेस में भी सब तरह के व्यक्ति हैं—भूमिहीन श्रमिक, घास खाने वाले और मांस खाने वाले, अवसरवादी और दल-बदलू। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के लिए अन्य दलों पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाना उचित नहीं।

खाद्य मंत्री ने अपने भाषण में बहानों का सहारा लिया है। देश में समय-समय पर सूखा पड़ता रहा है। प्रत्येक पाँच वर्षों में ऐसा नियमित रूप से होता रहा है। किन्तु वर्तमान सूखा 1960 में पड़े सूखे अथवा 1966 में पड़े सूखे जैसा नहीं है। लेकिन समस्या का सार यह है कि जहाँ धन की सप्लाई अत्यधिक बढ़ी है, वहाँ उसी अनुपात से माल की सप्लाई और सेवाओं में वृद्धि नहीं हुई है। रिजर्व बैंक से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार धन की सप्लाई कम-से-कम 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है, किन्तु माल और सेवाओं की सप्लाई केवल 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है।

वर्ष 1965 से मुद्रास्फीति में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। मुद्रा उपलब्धि 4,236 करोड़ से बढ़कर 8,333 करोड़ रुपये हो गई है। इसका कारण घाटे की अर्थव्यवस्था, अपव्यय और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। आज मितव्ययिता के नारे लगाए जाते हैं परन्तु यह शासक कांग्रेस के लिए नहीं है।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना सिद्धान्त रूप में अच्छा है परन्तु इसको व्यावहारिक रूप देना कठिन प्रतीत होता है। मंत्रियों के निवासस्थानों का आए दिन नवीकरण किया जाता है, सरकार उसे कैसे न्यायोचित ठहराएगी ? केन्द्रीय मंत्री जिन भवनों में रहते हैं उनकी कीमत 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये होगी और उनके रख-रखाव पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक प्रति मास खर्च किए जाते हैं और फिर वे मितव्ययिता की बात कहते हैं, वे इस देश की जनता का अपमान करते हैं क्योंकि शासक दल के लोग भारत के नये राजा और रानियाँ हैं जबकि उन्होंने भूतपूर्व राजाओं के वर्ग को समाप्त कर दिया है। वे बाहर से खद्दर पहनते हैं परन्तु उनके निवासस्थानों पर विलास की हर सामग्री उपलब्ध है। यह कैसा ढोंग है ? आज चोरबाज़ारी करने वाले शासक कांग्रेस से ही प्रेरणा ग्रहण करते हैं। चुनाव-खर्च में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। चुनावों के लिए उनके पास लाखों और करोड़ों रुपये कहाँ से आते हैं ? कम्पनियों द्वारा चन्दा दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के बाद चोरबाज़ारी करने वालों से ही इस प्रकार का धन प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार ने करोड़ों रुपये बिलकुल अनुत्पादक सरकारी क्षेत्र में लगा दिए हैं। वर्ष 1968-69 से वर्ष 1970-71 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 31 से 37 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अब मालभाड़े में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है जिससे मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी। भारत में इस्पात सबसे अधिक महंगा है। इस्पात की लागत में 75-100 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। सरकार स्वयं मुद्रास्फीति में वृद्धि करती है और फिर वे अन्य लोगों के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं।

मैं खाद्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि उनके द्रुत कार्यक्रम का क्या परिणाम निकला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार्यक्रम नारेबाज़ी तक ही सीमित रह गया है। कृषि क्रान्ति का जो नारा लगाया गया था उसका क्या परिणाम निकला है ? मुझे खाद्य मन्त्री के नारा पर कोई विश्वास नहीं रहा है। हमें प्रतिदिन गलत आँकड़े दिए जाते हैं। अनाज के लक्ष्य में 20 लाख टन की कमी नहीं थी बल्कि 100 या 150 लाख टन की कमी थी। आज सरकार को मज़बूर होकर रूस से भी अधिक मूल्य देकर अमरीका से अनाज खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को भी बदनाम कर दिया है। यदि सरकार अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेती है तो 500 या 600 करोड़ रुपये खर्च करने के अतिरिक्त भ्रष्टाचार में और वृद्धि हो जाएगी। अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सरकार इस देश में रहने वाली जनता के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सरकार द्वारा सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने का प्रभाव कुछ पड़ेगा या नहीं, यह तो पता नहीं। परन्तु किराये अवश्य बढ़ गए हैं। मैं अपने अध्यापकों के क्वार्टरों के लिए 5000 रुपये देता था परन्तु गत दो वर्षों में यह किराया 10,000 रुपये हो गया है।

बेरोज़गारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा परन्तु मुझे याद है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भी यही आश्वासन दिया गया था। सरकारी क्षेत्र के लक्ष्यों में 20-50 प्रतिशत की कमी रहेगी। इस्पात, उर्वरक, विद्युत और परिवहन आदि के कारण देश को कष्ट उठाना पड़ रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार

बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या 2 करोड़ है जबकि अन्य लोगों के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या 4 करोड़ है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस संख्या में एक करोड़ की और वृद्धि हो जायेगी। अब 5,00,000 शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए विशेष द्रुत कार्यक्रम बनाया गया है। वर्ष 1970 में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया था और इस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी परन्तु वह कार्यक्रम असफल रहा था।

यूनेस्को के प्रतिवेदन के अनुसार आधे लोग प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ जाते हैं और फिर अनपढ़ ही रह जाते हैं। अतः मेरे विचार में पांचवीं योजना के अन्त में इस देश में अनपढ़ लोगों की संख्या 40 करोड़ से अधिक होगी।

देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। छोटी-मोटी रिश्वत लेने वाले पकड़े जाते हैं परन्तु कोई मंत्री नहीं पकड़ा जाता है। वे कोई व्यवसाय किये बिना ही अचानक करोड़पति और लखपति बन जाते हैं। यहां तक कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी भ्रष्टाचार का रोग फैल गया है। ऋण प्राप्त करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अल्प राशि के ऋणों में से कितने ऋण वसूल हो पाये हैं ?

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आन्ध्र और तेलंगाना की समस्या के समाधान का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने प्रधान मंत्री से कहा था कि वह मुल्की नियम सम्बन्धी विधेयक को न पास करवायें। परन्तु वह इस सुझाव से सहमत नहीं हुई थीं।

यह समझना या स्पष्ट करना कठिन है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग एकाएक पृथक् राज्य की मांग क्यों करने लगे। इसका उत्तर तो समाजशास्त्री ही दे सकते हैं। तेलंगाना के लोग 20 वर्षों से पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि तेलुगूभाषी क्षेत्र कभी भी एक राजनीतिक शासन के अधीन नहीं रहे। अधिकांश तेलुगू भाषी लोग आन्ध्र सतवाहन्स के शासन में थे। परन्तु रायलसीमा इस आन्ध्र सतवाहन्स राज्य का कभी भी भाग नहीं था। रायलसीमा काकातिया रुद्र शासन का भी भाग नहीं था। विजय नगर शासन के अधीन, जब रायलसीमा और तटवर्ती जिले विजय नगर शासन के अंग बने तब इसे द्विभाषी राज कहा जाता था क्योंकि तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग न्यायालय में किया जाता था। तेलंगाना इस शासन का अंग नहीं था। केवल 1700 और 1800 के बीच रायलसीमा, तटवर्ती ज़िले और तेलंगाना एक राजनीतिक शासन के अधीन थे।

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जब कुछ लोगों ने अपने पृथक् अस्तित्व की माँग की। कुछ समय पूर्व मराठी भाषा-भाषी लोगों ने अपने पृथक् अस्तित्व की माँग की थी। उप-संस्कृति के रूप में कुछ लोगों को पृथक् अस्तित्व की मान्यता दिए जाने से भारत संघ कमजोर नहीं पड़ेगा। भारत में हमेशा विभिन्न राष्ट्रीयता और उप-संस्कृतियों वाले लोग रहे हैं। यदि ऐसे लोगों को अपने पृथक् अस्तित्व की मान्यता मिल जाने से पर्याप्त भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सन्तोष मिलता हो तो वे आर्थिक हानि की भी परवाह नहीं करते। लोकतन्त्र में इस प्रकार की इच्छा का अवश्य आदर किया जाना चाहिए। यह कहना अनुचित है कि पृथक् तेलंगाना की माँग निहित स्वार्थ और प्रतिक्रियावादी तत्त्व करते हैं। इस प्रकार के आन्दोलन में बुद्धिजीवी वर्ग,

विद्यार्थियों और प्रमुख किसान ग्रुपों का पहल करना स्वाभाविक होता है। यदि हम भारत संघ में 6 हिन्दी-भाषी राज्य रख सकते हैं तो 2 तेलुगूभाषी राज्य रखने में भी कोई हानि नहीं होगी। अब स्थिति यह है कि अब तक तेलंगाना के लोग पृथक् राज्य की माँग कर रहे थे परन्तु अब आन्ध्र प्रदेश के लोग भी पृथक राज्य चाहते हैं। मैं हिंसा, आगज़नी अथवा लूटमार की कड़ी निन्दा करता हूँ। परन्तु अब समय है कि सरकार लोगों की इस भावनात्मक माँग को स्वीकार कर ले। आज समाज का प्रत्येक वर्ग पृथक् राज्य की माँग कर रहा है। जब दोनों क्षेत्र पृथक् राज्य की माँग कर रहे हैं तो उसे न मानने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तेलंगाना का बजट अलग होता है और फिर आन्ध्र में अब दो मुख्य सचिव हैं। एक अलग उच्च न्यायालय और अलग मन्त्रिमंडल बनाया जाना बाकी है। मुल्की नियम या 6 सूत्री अथवा 5 सूत्री सिद्धान्तों से मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि दोनों क्षेत्रों के लोग भारत संघ में ही पृथक् राज्य चाहते हैं तो इस माँग को स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर होगा। पृथक् होने की इच्छा प्रगति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है और जब तक इस बाधा को हटाया नहीं जाता तब तक इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहेगा। ये आन्दोलन तो समाप्त हो जायेंगे परन्तु यदि इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया तो क्रोध, कटुता और निराशा की भावना बनी रहेगी। बल प्रयोग से यदि बाह्य शान्ति स्थापित कर दी जाए तो उससे लोगों के मन में शान्ति स्थापित नहीं हो जायेगी। पृथक् होने से आर्थिक हानि भी हो सकती है, परन्तु इससे ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसका प्रगति और विकास के कार्यों में प्रयोग किए जाने से आर्थिक हानि भी समाप्त हो जायेगी।

लोकतन्त्र में अल्पसंख्यक आन्दोलन, हड़ताल और बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल करके तथा जलूस निकालकर ही बहुसंख्यक वर्ग से कह सकते हैं कि उनकी माँग का आदर किया जाए। वर्ष 1971 के चुनाव में पृथक् तेलंगाना की माँग को लेकर 14 स्थानों में से 10 स्थान जीते गए। लोक तन्त्र में और किस प्रकार से जनता अपनी राय प्रकट कर सकती है? यदि सरकार या संसद इस माँग को स्वीकार न करे तो अल्पसंख्यक समुदाय क्या कर सकता है? इस मूल प्रश्न पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। निश्चय ही यह सभा यह नहीं चाहेगी कि तेलंगाना की 150 लाख की जनता में क्रोध, कटुता, निराशा, अप्रसन्नता और भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अलगाव की भावना पैदा हो। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि तेलंगाना को भारत संघ पृथक् राज्य बनाए जाने की माँग को स्वीकार कर लिया जाए। मैं प्रधान मन्त्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस समस्या पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के प्रति किसी प्रकार की अनादर की भावना से नहीं बल्कि आजकल की घटनाओं के कारण ही स्वतन्त्र दल ने दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय भाग नहीं लिया था। इसका एक कारण यह भी था कि लोगों की आन्ध्र के विभाजन की सर्वसम्मत लोकप्रिय माँग को कुचलने के लिए केन्द्रीय आरक्षण पुलिस ने दमनकारी कार्यवाही द्वारा अधिक लोगों को मारा। वहाँ जनजीवन और सम्पत्ति को बहुत क्षति पहुँची है। केन्द्रीय आरक्षण पुलिस और आन्ध्र प्रदेश में काम कर रही सेना द्वारा वहाँ मुक्त रूप से आतंक का शासन चलाया जा रहा है।

पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों, की गई ज्यादतियों, महिलाओं के साथ की गई छेड़छाड़ तथा बलात्कार और अंधाधुंध मारपीट करने के बारे में अनेक दर्दनाक कहानियाँ सुनी जा रही हैं।

तेलंगाना के लोगों ने 1971 के चुनाव में काफी अधिक संख्या में तेलंगाना प्रजा समिति के संसद सदस्यों को इस सभा के लिए निर्वाचित करके पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि पृथकता के सम्बन्ध में वहाँ के लोगों का स्पष्ट निर्णय क्या है ?

राज्य पुनर्गठन आयोग के एकमात्र जीवित सदस्य श्री कुंजरु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेलंगाना के लोगों की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए और आंध्र और तेलंगाना को पृथक् राज्यों के रूप में बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुझाव दिया है, जैसा कि पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिश की गयी थी कि एक पृथक् विदर्भ राज्य की स्थापना की जानी चाहिए।

देश में बेरोजगार लोगों की संख्या 6 करोड़ है और 30 करोड़ लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिला हुआ है। एक लाख इंजीनियर और 20 हजार डाक्टर अभी बेरोजगार हैं और शिक्षितों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह सब राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रपति-अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार कैसे इस विशाल समस्या का सामना करेगी।

सरकारी उपक्रमों की हानि निरन्तर बढ़ती जा रही है। 1969-70 में यह हानि 2.05 बिन्दु थी जो 1970-71 में बढ़कर 2.15 बिन्दु हो गयी।

श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 18 प्रतिशत बढ़ गया है। एक ही वर्ष में मूल्य सूचकांक 12 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। खाद्य उत्पादन में कमी होती जा रही है। 1970-71 में यह उत्पादन 1070 लाख टन था। 1971-72 में कम होकर 1040 लाख टन हो गया। सरकार को खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने के सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए। यदि वितरण प्रणाली में सुधार न किया गया तो वर्तमान परिस्थितियों में उसके कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार को देखते हुए किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा और उपभोक्ता का भी शोषण होगा।

आश्वासनों के बावजूद भी सरकार दलबदल विरोधी विधेयक नहीं लायी। यह दलबदल का खेल न केवल काले धन से प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि दलबदल करने वालों को मंत्री बनाकर पुरस्कृत करके भी किया जा रहा है। उड़ीसा में दलबदलुओं को मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक भी अब तक सामने नहीं लाया गया है, यदि अब तक पास किया गया होता तो श्री बंसीलाल के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच इसके अधीन हो गयी होती।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : एक-दो भाषणों को छोड़कर समूची चर्चा आन्ध्र-सम्बन्धी चर्चा में परिवर्तित हो गयी है। विपक्ष के अपने मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आन्ध्र की समस्या के बारे में अधिक भावना में न बहकर एक शांतिपूर्ण वातावरण में इसे हल करने का प्रयत्न करें।

आज देश के अन्दर कई विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं। भाषायी, क्षेत्रीय तथा आर्थिक

कारणों से आज देश के अन्दर बेचैनी का वातावरण पैदा हो गया है। विरोधी दल के मित्रों से मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि हम बेचैनी तथा अहिंसा के इस वातावरण को नहीं कुचलते तो परिणाम क्या होंगे ?

क्या आन्ध्र का पिछड़ापन वहां की रेलवे सम्पत्ति के नाश करने से दूर होगा ? मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम आसाम की आर्थिक प्रगति के लिए उन्हीं रेलवे लाइनों की कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं जिन्हें आन्ध्र में नष्ट किया जा रहा है। एक पिछड़ा क्षेत्र अपनी प्रगति के लिए रेलवे लाइनों को नष्ट करे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ··· (**व्यवधान**)

आंध्र प्रदेश के विभाजन से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसकी प्रतिक्रिया होगी और कई छोटे-छोटे राज्यों की मांगें जोर पकड़ेंगी।

मैं श्री वाजपेयी को बता देना चाहता हूं कि छोटे राज्यों में प्रशासनिक व्यय अधिक होता है जिसे सहना भारत सरीखे पिछड़े देश के लिए कठिन है (**व्यवधान**)। अतः 40 राज्यों के गठन से देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि भीतरी फूट के अवसरों पर ही विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किए। अतः हमें इन सब बातों पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए।

बेरोजगारी के कारण देश की नौजवान पीढ़ी आज असंतोष और बेचैनी से ग्रस्त है जो देश के भविष्य के लिए घातक है। बहुत से युवकों ने सूझबूझ खो दी है और वे प्रतिक्रियावादी दल में शामिल हो गये हैं। आज की स्थिति में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना ज़रूरी है। क्या आज की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी को यह सिखाने में समर्थ है कि समाजवाद क्या है ? अतः हमें समूची शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 23 फरवरी, 1973/4, फाल्गुन 1984 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 23rd February, 1973/Phalguna 4, 1894. (Saka)

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32, 22-2-73—490